छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्रों का संकलन

फरवरी 2004
से
मार्च 2013

मुख्यालय शंकर नगर रायपुर-492007

NRrhlx< xg fuekl.k e.My] jk;iqj

iLxo'k

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्पदा प्रबंधन से जुड़े नियमों एवं निर्देर्शों की जानकारी के लिए fnukd 13@02@2004 l fnukd 31@03@2013 तक जारी किये गये परिपत्रों का संकलन पूर्ण किया गया है।

इस संकलित परिपत्रों की पुस्तिका में कोई परिपत्र यदि समाहित नहीं हो पाया हो तो उसका प्रभाव यथावत् रहेगा एवं यदि प्रकाशन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका प्रभाव मूल परिपत्र में उल्लेखित अनुसार ही रहेगा । इस पुस्तिका में कोई कमियाँ हो तो आप अपना सुझाव अवश्य दें । सम्पदा प्रबंधन मेनुअल तैयार किया जा रहा है, आपके सुझाव सम्पदा प्रबन्धन मेनुअल को तैयार करने में अधिक उपयोगी सहायक होंगे ।

सम्पदा प्रबन्धन से संबंधित उक्त परिपत्रों के संकलन में एवं पुस्तिका की रूपरेखा व पाण्डुलिपि तैयार करने में संभागीय कार्यालय दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा श्री एम.पी.कर्णेवार सेवानिवृत्त, सहायक सम्पत्ति प्रबंधक एवं कु.गोमती साहू, सहायक का विशेष योगदान सराहनीय है तथा वे बधाई के पात्र हैं।

आशा है उक्त प्रयास सार्थक सिद्ध होगा ।

(सी.एस. बाजवा)
मुख्य सम्पदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय से

दिनांक 13/02/2004 से दिनांक 31/03/2013 तक प्रसारित परिपत्र

"विषय सूची"

स.क्रं.	परिपत्र क्रं.	दिनांक	विषय	पृ.क्रं.
			वर्ष 2004	
1.	परिपत्र–1	04.06.2004	मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं कन्टेन्जेन्सी के भारित शुल्क में संशोधन बाबत्।	1
2.	कार्या.आ –2	02.06.2004	मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तन करने बाबत्।	3
3.	कार्या.आ –3	15.06.2004	सम्पदा कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु उपायुक्त I एवं उपायुक्त II द्वारा संलग्न किए गये चैक–लिस्ट अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु। चैक–लिस्ट।	8
4.	परिपत्र–3	17.09.2004	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने विषयक।	15
5.	परिपत्र–4	12.10.2004	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित/ निर्मित व्यावसायिक/ आवासीय सम्पत्तियों को शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों को विक्रय/आबंटन बाबत्।	18
			वर्ष 2005	
6.	आदेश क्रं. –1	10.01.2005	मण्डल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटन भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	19
7.	परिपत्र–2	10.01.2005	मण्डल के भाड़ाक्रय आधार पर उच्च आय वर्गीय एवं मध्यम आय वर्गीय हितग्राहियों को बकाया वसूली हेतु भारित ब्याज 25% की छूट देने बाबत्।	22
8.	परिपत्र–3	10.01.2005	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दुर्ग एरावत परिसर में स्थित चार हॉल वाणिज्यिक कर विभाग, दुर्ग को किराये पर देने बाबत्।	23
9.	परिपत्र–4	25.01.2005	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय संपत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज 50%-60% छूट देने विषयक।	24

10.	परिपत्र–5	30.04.2005	भाड़क्रय आधार पर आबंटित आवासीय संपत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाने बाबत्।	25
11.	परिपत्र–6	30.04.2005	एम.आई.जी.डुप्लेक्स(एम.डी.) भवनों को एल.आईजी.श्रेणी के समतुल्य माने जाने बाबत,।	26
12.	परिपत्र–7	06.07.2005	माननीय आवास मंत्री महोदय/माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उनके निजी स्टॉफ को आवासीय संपत्ति के आबंटन पर मण्डल कर्मचारियों के समान रियायतें देने बाबत्।	27
13.	आदेश	15.10.2005	मण्डल के आवासीय कॉलोनी में आरक्षित शाला भवनों का निजी शिक्षण संस्थाओं को आबंटन करने बाबत् नीति निर्धारण।	28
14.	परिपत्र–21	21.10.2005	विधि शाखा	30
15.	परिपत्र–9	22.10.2005	एल.आई.जी. मेसोनेट 03,सेक्टर–1,शंकर नगर रायपुर के आवंटन के संबंध में।	31
			वर्ष 2006	
16.	परिपत्र–1	27.01.2006	आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में प्रदान की गई छूट की अवधि में वृद्धि करने विषयक।	32
17.	परिपत्र–4	19.04.2006	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने विषयक।	34
18.	परिपत्र–5	29.05.2006	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित एच.आई.जी/एम.आई.जी./ एल.आई.जी. श्रेणियों की आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदान करने विषयक।	35
19.	परिपत्र–6	08.09.2006	मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापना स्थान पर मण्डल से क्रय किया हुआ आबंटित भवन रहते हुए लायसेंस फीस आधार पर आबंटित भवन की समय सीमा बाबत्।	36
20.	परिपत्र 7	08.09.2006	विभिन्न आवासीय योजनाओं में आरक्षित अंश के हितग्राहियों के लिए पंजीयन राशि कम करने बाबत्।	39
21.	परिपत्र 8	11.10.2006	मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामांतरण के निवासरत व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में।	40
22.	परिपत्र 22	23.01.2006	मण्डल की योजनाओं में घोषित मूल्यों से 10% से	42

			अधिक वृद्धि होने पर असहमत हितग्राहियों का ब्याज सहित राशि वापसी बाबत्।	
23.	परिपत्र 31	08.11.2006	ऊर्जा संरक्षण के प्रावधानों को मंडल की आवासीय योजनाओं में एच.आई.जी. तथा एम.आई.जी. प्रकार के भवनों में ''सौर गर्म जल संयंत्र''(Solar Water Heater) स्थापित करने बाबत्।	43
24.	परिपत्र 32	09.11.2006	मंडल की प्रस्तावित योजना जो किसी कारणवश नहीं ली गई है एवं उनमें पंजीकृत हितग्राहियों की पंजीयन राशि वापस करने के संबंध में।	44
25.	आदेश 34	09.11.2006	विभिन्न आबंटित आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्ति यथा भूखण्ड/भवन/दुकान आदि की रजिस्ट्री	45
			वर्ष 2007	
26.	परिपत्र 1	12.01.2007	आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में संशोधन।	46
27.	परिपत्र 2	12.01.2007	आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दण्डित ब्याज में छूट बाबत्।	47
28.	परिपत्र 4	19.01.2007	वर्तमान में किराये पर उठाई गई मण्डल की अचल सम्पत्ति (यथा आवासीय/ गैर आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन/परिसर, दुकानें आदि) का एकमुश्त आधार पर मूल्य निर्धारण कर विक्रय बाबत्।	48
29.	परिपत्र 5	19.01.2007	विक्रय होने वाली आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति पर भारित होने वाले विभिन्न दरों का पुनर्निर्धारण बाबत्।	52
30.	आदेश 56	19.01.2007	आई.व्ही.आर.एस. सुविधा का प्रचार–प्रसार	57
31.	परिपत्र 6	24.04.2007	निराश्रित एवं विधवा महिला हितग्राहियों के लिए दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।	58
32.	परिपत्र 7	24.04.2007	आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में प्रदान की गई छूट की अवधि में वृद्धि करने विषयक।	59
33.	परिपत्र 8	10.05.2007	मण्डल की आवासीय योजना में स्व–वित्तीय योजनांतर्गत भवनों की किश्त बाबत्	60
34.	परिपत्र 10	08.06.2007	मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	62
35.	परिपत्र 11	08.06.2007	मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक बार	65

			भाटकीय आधार पर आबंटित भवन विक्रय करने के पश्चात् पुनः भाटकीय आधार पर आबंटित भवनपरिवर्तित कर विक्रय करने के संबंध में।	
36.	परिपत्र 12	08.06.2007	मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में	66
37.	परिपत्र 13	08.06.2007	आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।	67
38.	परिपत्र 14	08.06.2007	मण्डल की द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को एक भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	68
39.	परिपत्र 5	02.08.2007	मण्डल की आवासीय योजना में लीजरेंट, भू–संधारण व्यय, सर्विस टैक्स एवं अन्य प्रभाव को भी दर्शाने बाबत्	71
40.	परिपत्र 15	24.09.2007	मण्डल की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	72
41.	परिपत्र 16	24.09.2007	निःशक्तजनों को जलकर में 50% की छूट प्रदान करने के संबंध में।	75
42.	परिपत्र 17	25.09.2007	मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूँजीगत ब्याज में संशोधन बाबत्।	76
43.	परिपत्र 18	25.09.2007	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।	77
44.	परिपत्र 19	06.12.2007	पंजीयन एवं आधिपत्य में विलम्ब होने पर सुरक्षा शुल्क लिया जाना।	79
			वर्ष 2008	
45.	परिपत्र 1	08.02.2008	पंजीयन एवं आधिपत्य में विलम्ब होने पर सुरक्षा शुल्क लिया जाना।	81
46.	परिपत्र 2	08.02.2008	मण्डल के तृतीय श्रेणी (कार्यभारित) कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	82
47.	परिपत्र 3	22.02.2008	मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	85
48.	परिपत्र 6	13.05.2008	मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना	86

			नामान्तरण के निवासरत व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में।	
49.	परिपत्र 7	16.07.2008	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।	87
50.	परिपत्र 8	16.07.2008	मण्डल के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	89
51.	परिपत्र 9	18.07.2008	शंकर नगर सेक्टर–2 स्थित भवन क्रमांक एच.आई.जी. 27 एवं 28 के सामने स्थित भूमि के उपयोग हेतु अनुमति देने बाबत्।	91
52.	परिपत्र 10	27.08.2008	मण्डल के कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	93
53.	परिपत्र 11	13.10.2008	मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं में जमा पंजीयन राशि पर ब्याज दिये जाने बाबत्	96
54.	परिपत्र 39	17.01.2008	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक–1/2/3, रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग, रायपुर/दुर्ग हेतु अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है।	97

वर्ष 2009

55.	परिपत्र 1	28.02.2009	पं. दीनदयाल आवास योजनांतर्गत खम्हारडीह में रिक्त 24 भवनों को विक्रय किये जाने बाबत	98
56.	परिपत्र 2	28.02.2009	मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं में जमा पंजीयन राशि पर ब्याज दिये जाने बाबत्।	99
57.	परिपत्र 3	27.08.2009	मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	100
58.	परिपत्र 4	28.08.2009	मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भवन/भूखण्ड के हस्तान्तरण होने पर हस्तांतरण शुल्क भारित करने बाबत्।	103
59.	परिपत्र 5	18.11.2009	मण्डल के कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।	105
60.	परिपत्र 6	27.08.2009	रिक्तता की स्थिति में भूखण्ड/परिवर्तन हेतु शुल्क के	108

			संबंध में।	
61.	कार्यालयीन आदेश 518	04.11.2009	कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर डिजाइनिंग का कार्य समिति गठन	109
			वर्ष 2010	
62.	परिपत्र 1	02.06.2010	संभाग के अंतर्गत पदस्थ सहायक अभियंता द्वारा अपने–अपने उप संभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी, सम्पदा प्रबंधन का कार्य किए जाने बाबत्।	111
63.	परिपत्र 2	16.08.2010	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।	113
64.	परिपत्र 3	19.08.2010	सम्पदा प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किए जाने बाबत्।	117
			वर्ष 2011	
65.	परिपत्र 1	14.03.2011	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा पुराने निर्मित रिक्त भवनों को मरम्मत कर विक्रय करने विषयक।	119
66.	परिपत्र 2	14.03.2011	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने के संबंध में।	120
67.	परिपत्र 3	14.03.2011	मण्डल की योजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान 01 से 02 किश्तें जमा करने के पश्चात् एकमुश्त राशि जमा करने पर हितग्राहियों को छूट प्रदान करने बाबत्।	121
68.	परिपत्र 4	15.03.2011	आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति का स्वयं वित्तीय योजना एवं भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत मूल्य निर्धारण बाबत्।	122
69.	परिपत्र 5	15.03.2011	मण्डल की योजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान एकमुश्त राशि जमा करने पर हितग्राहियों को छूट प्रदान करने बाबत्।	123
70.	परिपत्र 6	15.03.2011	भाड़ाक्रय, एकमुश्त, स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत आबंटित भवनों पर हितग्राही से विलम्ब अवधि का ब्याज लेने बाबत्।	124
			वर्ष 2012	
71.	परिपत्र 1 A	07.01.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने के संबंध में।	125
72.	परिपत्र 2	07.01.2012	शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन हेतु दिशा निर्देश	127

			बाबत्।	
73.	परिपत्र 3	10.01.2012	क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु डॉक्टर्स, चिकित्सीय संस्थान एवं चिकित्सा सेवा प्रमोटर को भूमि आबंटन हेतु दिशा निर्देश बाबत्।	134
74.	परिपत्र 7	28.04.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल के संचालक अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु भाड़ाक्रय योजना लागू किये जाने के संबंध में।	135
75.	परिपत्र 8	30.04.2012	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।	136
76.	परिपत्र 9	30.04.2012	मण्डल के पिछले भाड़ाक्रय योजना के Negative Points का अध्ययन करने एवं बैंकर्स की बैठक लेकर उनसे चर्चा कर, आवश्यकता होने पर मण्डल, बैंक, हितग्राही के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध करने के लिए योग्य सलाहकार की सेवाएं लेकर योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करने हेतु, अन्य कोई निर्णय हेतु आयुक्त, मुख्यालय रायपुर को अधिकृत	138
77.	परिपत्र 10	01.05.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवन से लगी अतिरिक्त भूमि आबंटित करने बाबत्।	139
78.	परिपत्र 11	01.05.2012	मण्डल द्वारा आबंटित भवन/भूखण्ड के हस्तांतरित होने पर हस्तांतरित शुल्क भारित करने के संबंध में।	140
79.	परिपत्र 12	01.05.2012	रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्डों/ आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत्।	141
80.	आदेश 247	05.05.2012	अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय में परिवर्तन करने हेतु।	149
81.	परिपत्र 14	26.05.2012	भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।	150
82.	परिपत्र 16	26.07.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत आने वाले विलेखों के पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट देने बाबत्।	152
83.	परिपत्र 17	28.07.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यभारित कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने के	153

			संबंध में।	
84.	परिपत्र 19	30.07.2012	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कॉलोनी में पेट्रोल पम्प हेतु भू–खण्ड आरक्षित करने बाबत्।	158
85.	परिपत्र 21	13.12.2012	दोंदेखुर्द रायपुर में स्थित जनता भवन क्रमांक 02, 05, 06 एवं 09 को एकमुश्त आधार पर परिवर्तन कर आबंटन करने बाबत्।	160
			वर्ष 2012	
86.	परिपत्र 01	26.03.2013	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की योजनाओं हेतु अर्जित निजी भूमि मं लीज पर आबंटित आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री होल्ड करने के संबंध में ।	163
87.	परिपत्र 02	30.03.2013	लीजरेन्ट नवीनीकरण की दर पुनरीक्षित करने बाबत्।	169

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक : 01
दिनांक : 04.06.2004

विषयः— मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं कन्टेन्जेन्सी के भारित शुल्क में संशोधन बाबत्।

मण्डल के द्वितीय सम्मिलन दिनांक 22.05.2004 के संकल्प क्रमांक 21—09/02/05/2004 में लिये गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा निर्मित किये जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूंजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं कन्टेन्जेन्सी के भारित शुल्क में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

निर्माण लागत सीमा (पूंजीगत ब्याज तथा पर्यवेक्षण शुल्क को छोड़कर सभी अन्य व्यय सहित)	पूंजीगत ब्याज		पर्यवेक्षण शुल्क	
	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
रू. 0.50 लाख तक	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	06 प्रतिशत	06 प्रतिशत
रू. 0.50 लाख से 1.00 लाख तक	12 प्रतिशत	11 प्रतिशत	08 प्रतिशत	07 प्रतिशत
रू. 1.00 लाख से 2.00 लाख तक	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत	08 प्रतिशत
रू. 2.00 लाख से अधिक	16 प्रतिशत	13 प्रतिशत	12 प्रतिशत	10 प्रतिशत
व्यवसायिक	18 प्रतिशत	15 प्रतिशत	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत
भू—अर्जन एवं विकास कार्य	18 प्रतिशत	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत

मूल्य निर्धारण के अंतर्गत आकस्मिक व्यय एक प्रतिशत ही भारित किया जावेगा। उक्त सभी संशोधित दरें उन योजनाओं जिनका मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2004 तक स्वीकृत नहीं हुआ है पर लागू होगी।

मण्डल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

क्रं. 466 / आ.आ. / मण्डल / सा.आर. 15 / 2004 रायपुर, दिनांक 04 / 06 / 2004

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
2. उपायुक्त तक. (I/II), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
3. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / राजनांदगांव / बिलासपुर / रायगढ़ एवं जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

आदेश

क्रमांक 02/2004

रायपुर, दिनांक : 2.6.2004

विषयः– मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तन करने बाबत्।

मण्डल के द्वितीय सम्मिलन की पद संख्या 25 के संकल्प क्रमांक 37–25/02/05/2004 दिनांक 22.05.2004 को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मण्डल अधिकारी/कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तन करने हेतु संलग्न सूची क्रमांक 01, 02 एवं 03 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं।

1. सूची क्रमांक 01 में दर्शित सरल क्रमांक 01 से 09 तक अंकित कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उपरोक्त समस्त आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना अथवा किराया योजनांतर्गत निर्मित किये गये हैं। अतः उन्हें आवेदित भवन का आबंटन पूर्ण मूल्य आधार पर आबंटित किये जाते हैं। (सूची संलग्न क्रमांक–01)

2. सूची क्रमांक 02 में केवल डेजिग्नेटेड भवनों हेतु आवेदकों द्वारा प्रथम बार मण्डल से भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें सरल क्रमांक 01 में दर्शित अधिकारी श्री हर्ष कुमार जोशी, सहायक अभियंता जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी होने के कारण उनका आवेदन निरस्त किया गया। केवल तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही उक्त सूची में दर्शित सरल क्रमांक 02 से 07 तक अंकित कर्मचारियों को आवेदित भवन पूर्ण मूल्य आधार पर आबंटित किये जाते हैं। (सूची संलग्न क्रमांक–02)

3. सूची क्रमांक 03 अंकित आवेदक द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल से क्रय किया गया भवन विक्रय कर पुनः मण्डल से भाटकीय आधार पर आबंटित भवन क्रय करने हेतु आवेदन किया गया है। मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में मण्डल

से एक बार भवन/भूखण्ड क्रय करने के पश्चात् पुनः भाटकीय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को परिवर्तित कर विक्रय नहीं किया जावेगा। अतएव प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।(सूची संलग्न क्रमांक–03)

उपरोक्त सूची क्रमांक 01 में (सरल क्रमांक 01 से 09) एवं सूची क्रमांक 02 में (सरल क्रमांक 02 से 07) में दर्शित कर्मचारियों को आवेदित भवनों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटन किया जाता है।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना की पूर्ण हो चुकी हो।

02. कर्मचारी की पदस्थापना उसी शहर में हो तथा वह भवन में स्वयं निवास करता हो। निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता के स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो अथवा कोई विवाद, न्यायालयीन प्रकरण लम्बित नहीं हो।

03. उक्त कर्मचारियों से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।

04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण पूर्व मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा जारी परिपत्र 740 दिनांक 02.05.92 एवं परिपत्र क्रमांक 2103 दिनांक 24.10.92 के अनुसार किया जाय। मण्डल द्वारा किया गया समस्त प्रकार का व्यय एवं कर उक्त मूल्य में जोड़ा जाय। कार्य पूर्ण होने की तिथि से भवन आबंटन दिनांक तक का योजना में निर्धारित ब्याज की गणना अनुसार पूंजीकृत ब्याज एवं अन्य शुल्क भी प्रभारित किये जाए। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु मण्डल के नियमानुसार रियायत दी जाए।

संलग्नः– सूची 01, 02 एवं 03

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 4 / सं.प्र. / मुख्या. / 04 रायपुर, दिनांक 2 / 6 / 2004

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवाल, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं जशपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. आबंटी श्री ———————————————— की ओर सूचनार्थ।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सूची –1

भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय में परिवर्तन बाबत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

(प्रथम बार आवेदन (भाड़ाक्रय/किराया योजना के भवन हेतु)

क्रमांक	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	पद	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र अ एवं शपथ पत्र किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
	संभाग रायपुर					
1.	श्री मोहन दास वैष्णव	भृत्य	मॉडल हाऊस/1244 हीरापुर रायपुर	06.03.95	प्रस्तुत किया है	भाड़ाक्रय(मॉडल हाऊस)
2.	श्री श्यामलाल वैष्णव	भृत्य/चौकीदार	एम.डी.–38, हीरापर रायपुर	07.06.95	प्रस्तुत किया है	भाड़ाक्रय
3.	श्री बी.एस. निषाद	वरिष्ठ सहायक	एम.डी.–23, कोटा कॉलोनी रायपुर	09.03.95	प्रस्तुत किया है	भाड़ाक्रय
	संभाग दुर्ग					
4.	श्री एच.एस. शर्मा	सहायक	एस.टी.आर. 2/31, पद्मनाभपुर दुर्ग	31.10.1983	प्रस्तुत किया है	किराया योजनांर्गत
5.	श्रीमती सुनिता चन्द्राकर	सहायक	आर/31, पद्मनाभपुर दुर्ग	28.08.2000	प्रस्तुत किया है	किराया योजनांतर्गत
6.	श्री गोविन्द सिंह बैस	सहायक	एस. 1 एवं 2 जी.ई.रोड राजनांदगांव	07.11.1990	प्रस्तुत किया है	किराया योजनांतर्गत
7.	श्री बिन्दु राम पटेल	उपयंत्री	एस. 3 एवं 4 जी.ई.रोड राजनांदगांव	24.09.1993	प्रस्तुत किया है	किराया योजनांतर्गत
8.	श्री बलीराम तेलंग	तकनीकी ग्रेड–1	आर.टी.आर. 10 औ.क्षेत्र भिलाई	13.05.1997	प्रस्तुत किया है	किराया योजनांतर्गत
9.	श्री एम. जैकब	तकनीकी ग्रेड–1	ई.डब्ल्यू.एस. 18, 22 एवं 23	29.01.1993	प्रस्तुत किया है	भाड़ाक्रय

सूची –2

भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय में परिवर्तन बाबत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

प्रथम बार आवेदन (डेजिग्नेटेड भवन हेतु)

क्रमांक	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	पद	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र ब एवं शपथ पत्र किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
	संभाग रायपुर					
1.	श्री हर्ष कुमार जोशी	सहायक अभियंता	एस/8 टाटीबंध रायपुर	06.06.95	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
2.	श्री गजानंद मारकण्डे	भृत्य	पी–12, शंकर नगर रायपुर	07.12.93	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
3.	श्री छबीराम	भृत्य	पी–8, शंकर नगर रायपुर	07.12.94	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
4.	श्री धनीराम भारती	दफ्तरी	पी–14, शंकर नगर रायपुर	07.07.95	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
5.	श्री बी. पुनैया	माली	पी–11, शंकर नगर रायपुर	06.03.95	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
6.	श्री नकुल प्रसाद	ऑपरेटर	जनता/8, दौंदेखुर्द रायपुर	20.02.78	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन
	संभाग दुर्ग					
7.	श्री व्ही. के. टीकम	वरिष्ठ सहायक	एस. 3, पद्मनाभपुर दुर्ग	09.10.2002	प्रस्तुत किया है	डिजिग्नेटेड भवन

सरल क्रमांक 1 में दर्शित श्री हर्ष कुमार जोशी, सहायक अभियंता द्वितीय श्रेणी अधिकारी होने के कारण उनका आवेदन निरस्त किया गया।

सूची –3

भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय में परिवर्तन बाबत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची प्रथम बार आवेदन (डेजिग्नेटेड भवन हेतु)

क्रं.	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम **संभाग रायपुर**	पद	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	वर्तमान भवन की आबंटन तिथि (भाटकीय आधार पर)	प्रपत्र ब एवं शपथ पत्र किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार	पूर्व में आबंटित भवन क्रं./ स्थान	पूर्व भवन आबंटन तिथि	पूर्व भवन विक्रय का आदेश क्रं./तिथि
1.	श्री ए.के. खान	सहायक	डी–58 शंकर नगर रायपुर	02.09.1994	–	डिजिग्नेटेड भवन			
2.	श्री सी.एस. बाजवा	शाखा अधिकारी	एम.आई.जी.–सी/452 पद्मनाभपुर, दुर्ग	19.02.1987	प्रस्तुत किया है	भाड़ाक्रय योजनांतर्गत	LIG–36, गोविन्द भवन, जबलपुर (म. प्र.)	11/1983	सं.अधि. जबलपुर क्रमाक 230 दि. 14.01.03

नोटः उक्त दोनों आवेदन मण्डल द्वारा निरस्त किए हैं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक 03/2004
रायपुर, दिनांक : 15.6.2004

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के सम्पदा कार्यालय की कार्य–प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु यह आवश्यक है कि समस्त रिकार्ड नियमानुसार अद्यतन कर संधारित किए जावें तथा समस्त जानकारियां स्पष्ट रूप से हितग्राहियों हेतु उपलब्ध रहे। इस उद्देश्य से निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार उपायुक्त–I एवं उपायुक्त– II प्रत्येक माह में दो सम्पदा कार्यालय का निरीक्षण कर संलग्न चैक–लिस्ट अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उपायुक्त–I सम्पदा कार्यालय, संभाग रायपुर, दुर्ग तथा राजनांदगांव।

उपायुक्त– II सम्पदा कार्यालय, संभाग बिलासपुर, जगदलपुर तथा रायगढ़।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 07 / स्था.शा./मुख्या./310/04 रायपुर, दिनांक 15/06/2004

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती मुख्यालय।

संलग्नः– एक।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

चैक लिस्ट

उपायुक्त द्वारा सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालय का निरीक्षणः–

1.	सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालय का नाम		:	
2.	निरीक्षण तिथि		:	
3.	सम्पत्ति प्रबंधन कार्यालय प्रमुख का नाम		:	
	भाग–अ			
4.	कुल निर्मित सम्पत्ति		:	
	अ.	उच्च आय वर्गीय भवन	:	
	ब.	मध्यम आय वर्गीय भवन	:	
	स.	निम्न आय वर्गीय भवन	:	
	द.	जनता भवन	:	
	इ.	आवासीय भूखण्ड	:	
	फ.	व्यवसायिक भवन/दुकानें	:	
	च.	व्यावसायिक भूखण्ड	:	
5.	कुल आबंटित सम्पत्ति की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	
6.	कुल निष्पादित भाड़ाक्रय अनुबंधों की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	
7.	हितग्राहियों को सौंपे गये पूर्ण अनुबंधों की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	
8.	कुल निष्पादित विक्रय पत्रों की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	
9.	रिक्त सम्पत्ति की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	
10.	कुल संधारित भाड़ाक्रय खातों की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)		:	

11.	निरीक्षण तिथि तक पूर्ण किये गये (पोस्टिंग तथा बैलेंसिंग) भाड़ाक्रय खातों की श्रेणीवार संख्या (अ से च तक)	:	
12.	सहायक सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा खातों की जांच करने की अंतिम तिथि	:	
13.	सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा खातों की जांच किस तिथि तक की गई है?	:	
14.	दो किश्तों से अधिक बकायादार भाड़ा क्रेताओं की संख्या	:	
15.	बकायादारों को किस तिथि तक सूचना पत्र प्रेषित् किये गये हैं ?	:	
	भाग–ब	:	
16.	सक्षम न्यायालय में दर्ज प्रकरणों की कुल संख्या	:	
17.	सक्षम न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के विरूद्ध कुल अवशेष राशि	:	
18.	सक्षम न्यायालय के माध्यम से वर्ष में वसूल की गई राशि स्थानवार व श्रेणीवार	:	
19.	सक्षम न्यायालय के माध्यम से वर्ष के दौरान रिक्त कराये गये/आधिपत्य में लिये गये भवन/भूखण्डों की स्थान, श्रेणी तथा तिथिवार संख्या	:	
20.	बैंक पद्धति का लाभ कितने हितग्राहियों को दिया गया ? स्थानवार व श्रेणीवार विवरण	:	
21.	देय राशि अग्रिम रूप से जमा करने पर ब्याज में छूट कितने हितग्राहियों को दी गई ? श्रेणीवार विवरण	:	
22.	कितने हितग्राहियों को पास–बुक प्रदाय की गई ? श्रेणीवार विवरण	:	
23.	भाड़ा क्रेताओं की संख्या, जिनके द्वारा पूर्ण राशि जमा कर दी गई, किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराई गई, श्रेणीवार विवरण	:	

24.	कार्यालय में लंबित विक्रय पत्रों का श्रेणीवार विवरण, एक वर्ष से पूर्व के, 6 माह से पूर्व के तथा एक माह से पूर्व के प्रकरणों की संख्या	:	
25.	रिक्त भवनों हेतु जारी किये गए अंतिम 3 विज्ञापनों का श्रेणीवार, स्थानवार तथा तिथिवार विवरण	:	
26.	लेखा विवरण तथा भवन आबंटन की जानकारी हेतु हितग्राहियों के लंबित पत्रों की संख्या एवं विवरण		
27.	व्ही.आई.पी. पत्र प्राप्ति, निराकरण तथा लंबित एवं विलम्ब के कारण सहित पूर्ण विवरण	:	
28.	किराया योजनांतर्गत निर्मित/आबंटित/ रिक्त भवनों का स्थानवार विवरण	:	
29.	किराया योजना के विक्रित भवनों का स्थानवार विवरण	:	
30.	किराया योजना के भवनों का अंतिमवार किराया पुनरीक्षण व तिथि एवं स्थानवार विवरण	:	
31.	वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्व में भाड़ाक्रय तथा किराए की अवशेष राशि कॉलोनीवार तथा श्रेणीवार	:	
32.	वर्तमान वर्ष में गत् माह तक की मांग राशि भाड़ाक्रय तथा किराया योजना की श्रेणीवार तथा स्थानवार	:	
33.	गत् माह के अंत में भाड़ाक्रय एवं किराए की अवशेष राशि श्रेणीवार तथा योजनावार	:	
	भाग–स	:	
34.	बैंकों में प्रचलित खातों की संख्या, बैंक का नाम, खाता खोलने की तिथि तथा खातों का प्रकार	:	

35.	निरीक्षण तिथि पर बैंक के प्रत्येक खाते में उपलब्ध शेष राशि	:	
36.	लेखापाल तथा कैशियर का नाम तथा पदस्थता अवधि	:	
37.	कैशियर तथा अन्य कर्मचारी से कटौती की जा रही सुरक्षा राशि का विवरण	:	
38.	कैश–बुक में प्रविष्टियां किस तिथि तक पूर्ण है ?	:	
39.	आहरण अधिकारी द्वारा कैशबुक की जाँच किस तिथि तक की गई?	:	
40.	आहरण अधिकारी द्वारा किस तिथि तक तिजोरी (चेस्ट) में उपलब्ध नगद राशि की जांच कर कैशबुक में प्रमाण पत्र दिया गया है ?	:	
41.	उक्त जाँच में कितनी राशि का उल्लेख है?	:	
42.	वर्ष के दौरान तिजोरी (चेस्ट) में किस तिथि में अधिकतम कितनी राशि रखी गई थी ?	:	
43.	तिजोरी का मेक तथा सिस्टम (सिंगल 'की' या डबल 'की')	:	
44.	तिजोरी की चाबियाँ किस–किस के पास रहती है ?	:	
45.	तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियाँ कहाँ व कब से रखी गई है ?	:	
46.	मासिक लेखा किस माह तक का पूर्ण कर प्रेषित् किया गया है ?	:	
47.	बैंक समाशोधन (रीकान्सीलेशन) किस माह तक का पूर्ण किया गया?	:	
48.	महालेखाकार कार्यालय द्वारा किस अवधि तक का निरीक्षण किया जा चुका है ?	:	
49.	वर्षवार लंबित कंडिकाओं की संख्या	:	

50.	क्या निम्न दस्तावेज नियमानुसार संधारित है ?	:	
	अ. मेजर हैड तथा माइनर हैड लेजर ब. बैंक रेमीटेन्स रजिस्टर स. चैक ईश्यू रजिस्टर द. मनी रिसीप्ट बुक ईश्यू रजिस्टर इ. कन्ट्रोल लेजर ई. प्रापर्टी रजिस्टर	:	
	फ. पंजीयन रजिस्टर क. ए.टी.सी., ए.टी.डी. रजिस्टर ख. डैड स्टॉक रजिस्टर ग. पर्चेस कमेटी रजिस्टर घ. कोटेशन रजिस्टर च. आबंटन समिति रजिस्टर छ. उपस्थिति पंजी ज. लोन तथा एडवांस रजिस्टर झ. आकस्मिक अवकाश रजिस्टर	:	
	भाग – द	:	
51.	क्या कार्यालय में एकल खिड़की प्रणाली है?	:	
	अ. एकल खिड़की प्रभारी का नाम	:	
	ब. वर्ष में कितने प्रकरण प्राप्त किय गए	:	
	स. निराकृत प्रकरणों की संख्या	:	
	द. अनिराकृत प्रकरणों की संख्या तथा निराकरण नहीं होने का कारण	:	
	इ. क्या एकल खिड़की के अतिरिक्त अन्य माध्यम से भी आवेदन/प्रकरण प्राप्त किए जाते हैं ?	:	
	ई. उक्त प्राप्त किए गए प्रकरणों की संख्या	:	
52.	कार्यालय के सूचना–पटल पर क्या निम्नलिखित जानकारी दी गई है ?	:	

	अ. सिटीजन चार्टर	:	
	ब. सूचना का अधिकार	:	
	स. उपलब्ध रिक्त सम्पत्ति	:	
	द. जारी पंजीयनों का विवरण	:	
	इ. शिकायत/सुझाव पेटी की जानकारी	:	
	ई. पंजीकृत हितग्राहियों की योजनावार सूची	:	
53.	कार्यालय में पदस्थ समस्त कर्मचारियों की टेबल पर नाम एवं पद पट्टिकाएं रखी गई है अथवा नहीं ?	:	
54.	जाँच के दौरान पाई गई अन्य त्रुटियाँ आदि	:	
55.	कार्यप्रणाली को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव	:	

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम
पदनाम
दिनांक

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 03/2004 रायपुर दिनांक 17.09.2004

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने विषयक।

मण्डल के भाड़ाक्रय हितग्राहियों को ई.डब्ल्यू.एस./जनता भवन/कोर हाऊस/आवासीय शेड/एल.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किये गये हैं। विभिन्न कारणों से उक्त हितग्राहियों द्वारा निर्धारित किश्तें जमा नहीं कराने के कारण उनके विरूद्ध अवशेष राशि में अत्याधिक वृद्धि हो गई है। ऐसे हितग्राहियों को राहत प्रदान करने मण्डल के चतुर्थ विशेष सम्मिलन दिनांक 15.09.2004 के पद संख्या 03 पर पारित संकल्प क्रमांक 73–03/04/09/2004 द्वारा निम्न आय वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में निम्नानुसार छूट देने का निर्णय लिया गया। नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैः–

पारित संकल्प अनुसार हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट देकर अवशेष राशि प्राप्त करने निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

सरल क्रमांक	अवशेष राशि रूपये	किश्तों हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि (वर्षों में)
1.	रूपये 25,000/– तक	2
2.	रूपये 25,000/– से 50,000/– तक	4
3.	रूपये 50,000/– से अधिक	5

1. उपरोक्त राशि की गणना हेतु हितग्राही के खाते में देय कुल दाण्डिक ब्याज की दिनांक 30 सितम्बर 2004 की स्थिति में छूट प्रदान कर कुल देय राशि स्थिर करते हुए लेजर में अंकित की जाएगी।
2. अवशेष राशि के अनुसार, ऊपर अंकित विवरण के अनुसार अधिकतम अवधि निर्धारित की जाएगी।
3. उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिकतम अवधि हेतु जिन हितग्राहियों द्वारा निर्धारित तिथि तथा मासिक किश्त जमा की जाएगी उनको किसी भी प्रकार का ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में देय पूर्ण राशि हेतु मासिक किश्तें निर्धारित कर, समस्त हितग्राहियों को पत्र द्वारा सूचना प्रेषित् की जाएगी। मासिक किश्त प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देय होगी।

5. जिस माह की किश्त हितग्राही द्वारा निर्धारित तिथि 7 तारीख तक जमा नहीं की जाएगी, उस राशि परयोजना में प्रभारित दर से साधारण ब्याज विलम्बित अवधि के प्रत्येक दिन की गणना कर वसूल की जाएगी।
6. उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में लगातार 2 मासिक किश्तें जमा न करने पर हितग्राही को छूट की पात्रता स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी तथा मण्डल की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विलम्बित अवधि हेतु ब्याज/दाण्डिक ब्याज प्रभारित करते हुए, अवशेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जाएगी।
7. जिन हितग्राहियों की अनुबंधित अवधि शेष है, वे शेष किश्तें अनुबंध के अनुसार समय पर अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
8. किश्तों के पुनर्निर्धारण हेतु उदाहरण स्वरूप परिशिष्ट 'अ' मूलखाता एवं परिशिष्ट 'ब' पुनरीक्षित खाता संलग्न है।
9. यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राही भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत क्रय किये गये आवासीय भवनों/भूखण्डों की समस्त बकाया किश्तों का भुगतान करता है, तो पूर्ण अधिरोपित दाण्डिक प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
10. छूट की गणना हितग्राही द्वारा निर्धारित तिथि में बकाया किश्त जमा नहीं करने के कारण खाते में भारित विलम्बित ब्याज (दाण्डिक ब्याज की राशि के कॉलम में जमा करने की तिथि तक का दाण्डिक ब्याज दर्शित कर) प्रभारित पूर्ण दाण्डिक ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी।
11. यदि ऐसे प्रकरण जिन्हें पूर्व में मण्डल द्वारा छूट का लाभ प्राप्त किया है, उन प्रकरणों में छूट का लाभ प्राप्त करने के तिथि के उपरांत बकाया किश्त जमा न करने पर प्रभारित किया गया दाण्डिक ब्याज, विलम्बित शुल्क की गणना की तिथि से किया जाए। ऐसे प्रकरण जिन्हें मण्डल द्वारा छूट का लाभ एक बार भी प्राप्त नहीं किया है उन प्रकरणों में दाण्डिक ब्याज की गणना शुरू से वर्तमान तक की लगाकर कुल योग दाण्डिक ब्याज पर 50 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज की छूट दी जावेगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि –

अ. जो हितग्राही सम्पूर्ण अवशेष राशि अधिकतम दो माह में जमा करवा देते हैं उन्हें दाण्डिक ब्याज में देय 50 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट अर्थात् कुल 60 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

ब. जो हितग्राही अवशेष राशि दो किश्तों में अधिकतम 4 माह में जमा कराते हैं उन्हें 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त छूट अर्थात् कुल 57.50 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

स. जो हितग्राही अवशेष राशि तीन किश्तों में अधिकतम 6 माह में जमा कराते हैं उन्हें 5.00 प्रतिशत अतिरिक्त छूट अर्थात् कुल 55.00 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

12. किसी भी स्थिति में आबंटी को इस प्रकार से छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिए कि उसे मण्डल से राशि भुगतान करने की स्थिति निर्मित हो।

13. यह छूट एच.आई.जी., एम.आई.जी. श्रेणी के भाड़ाक्रय हितग्राहियों को नहीं दी जावेगी। उन्हें पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 02/2004 दिनांक 02.06.04 के अनुसार छूट निरंतर प्रभावशील रहेगी।

14. हितग्राहियों को कितनी राशि की छूट दी जा रही है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कर हितग्राहियों को आवश्यक रूप से अवगत करावें ताकि मिल रहे छूट के प्रति हितग्राही आकर्षित हो सकें और राशि जमा कराने के लिए प्रेरित हों। अतः समस्त कॉलोनियों में समय–समय पर शिविर कैम्प का आयोजन कराया जाए, समाचार पत्रों द्वारा तथा कॉलोनियों में बैनर लगवाए जाएं एवं पर्चे वितरित कर प्रचार–प्रसार किया जाए। इस योजना की पूर्ण प्रगति से मुख्यालय को समय–समय पर अवगत कराया जाए।

परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' उदाहरण स्वरूप संलग्न किया गया है।।
यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 398/आ.आ./स.प्र./04 रायपुर, दिनांक 17/03/2004

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवाल, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं जशपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 04/2004 रायपुर, दिनांक 12.10.2004

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित/निर्मित व्यावसायिक/ आवासीय सम्पत्तियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों को विक्रय/ आबंटन बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को केन्द्र एवं राज्य शासन के शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों द्वारा व्यावसायिक/आवासीय सम्पत्तियों के विक्रय/आबंटन हेतु मांग प्राप्त होती है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय/आबंटन में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो, इस हेतु मण्डल के चतुर्थ विशेष सम्मिलन दिनांक 15.09.2004 की पद संख्या 11 पर पारित संकल्प क्रमांक 81–1/04/09/2004 द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मण्डल की समस्त प्रकार की सम्पत्ति केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभागों एवं अन्य निकायों को नियमानुसार अनुमोदित मूल्य पर मण्डल के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए विक्रय/आबंटन करने आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 456/आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या./2004 रायपुर, दिनांक 12/10/2004

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1,2 रायपुर/दुर्ग/ राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/रायगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

आदेश

क्रमांक 01/2005 रायपुर दिनांक 10.01.2005

विषयः– मण्डल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटन भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

मण्डल के पाँचवे सम्मिलन दिनांक 27.12.2004 की पद संख्या 42 पर पारित संकल्प क्रमांक 124–42–05/12/2004 के अनुसार मण्डल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर एकमुश्त आधार पर परिवर्तन करने हेतु संलग्न सूची क्रमांक 01 में दर्शित 5 तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवेदित भाटकीय भवन, पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने का निर्णय लिया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

अ. सूची क्रमांक 01 में अंकित सरल क्रमांक 01 से 05 तक के कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना एवं डेजिग्नेटेड भवन एवं नॉन डेजिग्नेटेड भवन के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं। अतः उन्हें आवेदित भवन पूर्ण मूल्य आधार पर आबंटित किये जाते हैं तथा इन्हें परिपत्रक्रमांक 2103 दिनांक 24.10.1992 के अनुसार पर्यवेक्षण शुल्क एवं पूंजीगत ब्याज में नियमानुसार छूट होगी। (सूची संलग्न क्रमांक –01)

उपरोक्त सूची क्रमांक 01 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त पर आबंटित किए जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी हो।
02. कर्मचारी के निवास का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता के स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो अथवा कोई विवाद, न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारियों से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण पूर्व मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा जारी परिपत्र 740 दिनांक 02.05.92 एवं परिपत्रक्रमांक 2103 दिनांक 24.10.92 के अनुसार किया जाए। मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

05. सूची क्रमांक 01 में दर्शित कर्मचारी को भवन का मूल्य निर्धारण में जो सामान्य रूप से रियायतें दी जाती हैं, उन रियायतों को प्रदान किया जाए। मण्डल कर्मचारी जो भाटकीय आधार पर आबंटन की दिनांक से एकमुश्त क्रय में परिवर्तन के दिनांक तक वास्तविक किराया निवास अवधि हेतु जमा किया गया है एवं वह राशि जो उसे भवन आबंटन न होने की दशा में मकान भाड़े की रूप में मण्डल से प्राप्त होती या निर्धारित आर्थिक दर का निवासरत अवधि का किराया, दोनों में से जो भी कम हो मूल्य निर्धारण में समायोजन किया जाए।

सूची क्रमांक 01 के कर्मचारियों को आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने के उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः सूची 01

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 26/आ.आ./स.प्र./मुख्या./05

रायपुर, दिनांक 10/01/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवाल, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं जशपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आबंटी श्री ———————————————— की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

सूची क्रमांक–1

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारियों/ कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थान	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफुट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफुट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र अ एवं षपथ पत्र किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री शीबू राहा	वरि.सहायक	11.07.80	मुख्यालय रायपुर	तृतीय	एम.डी./238 हीरापुर रायपुर	446.54	400 से 550 तक (वरिष्ठ एल.आई.जी.)	29.11.1999	प्रस्तुत है।	भाड़ाक्रय
2.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	सहायक	31.08.94	संभाग रायपुर	तृतीय	एम.डी./36 हीरापुर रायपुर	446.54	300 से 400 तक (कनिष्ठ एल.आई.जी.)	16.01.1996	प्रस्तुत है।	भाड़ाक्रय
3.	श्री कुंजराम	भृत्य/ चौकीदार	07.10.87	संभाग रायपुर	चतुर्थ	जनता E.W.S./120 देवरीखुर्द बिलासपुर	172.16	200 से 300 तक (जनता भवन)	30.08.1994	प्रस्तुत है।	भाड़ाक्रय
4.	श्री धनसाय	भृत्य	01.01.84	जनसम्पक्र संचालनालय	चतुर्थ	डी/2 पद्मनाभपुर दुर्ग	236.61	200 से 300 तक (जनता भवन)	29.06.1987	प्रस्तुत है।	डेजिग्नेटेड
5.	श्री सूर्या राव	स्वीपर	21.11.89	नगरपालिका निगम भिलाई	चतुर्थ	एल.सी.एच./1 औ.क्षे. भिलाई	194.21	200 से 300 तक (जनता भवन)	26.03.1990	प्रस्तुत है।	डेजिग्नेटेड

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 02/2005 रायपुर दिनांक 10.01.2005

विषयः— मण्डल के भाड़ाक्रय आधार पर उच्च आय वर्गीय एवं मध्यम आय वर्गीय हितग्राहियों को बकाया वसूली हेतु भारित ब्याज 25% की छूट देने बाबत्।

मण्डल के भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित एच.आई.जी. एवं एम.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों द्वारा विभिन्न कारणों से काफी लम्बे समय से निर्धारित किश्तें जमा नहीं कराने के कारण उनके खाते में अत्याधिक ब्याज सहित बकाया राशि जमा कराया जाना शेष है। ऐसे हितग्राहियों को राहत प्रदान करने मण्डल के पाँचवे सम्मिलन दिनांक 27.12.2004 की पद संख्या क्रमांक 41 पर पारित संकल्प क्रमांक 123—41/05/12/2004 द्वारा उच्च आय वर्गीय/मध्यम आय वर्गीय हितग्राहियों को एकमुश्त राशि एक समय में जमा कर खाता बंद करने की शर्त पर खाते पर भारित दाण्डिक ब्याज पर 25% की छूट देने का निर्णय लिया गया है यह छूट की योजना आदेश जारी होने की तिथि से आगामी तीन माह (31.03.2005) तक लागू रहेगी। नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

1. हितग्राही भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत क्रय किये गये आवासीय भवनों/भूखण्डों की समस्त बकाया किश्तों का एकमुश्त भुगतान कर खाता बंद करता है तो उनके खाते में पूर्ण अधिरोपित दाण्डिक प्रभार में 25% की छूट प्रदान की जाएगी।
2. छूट की गणना हितग्राही द्वारा निर्धारित तिथि में बकाया किश्त जमा नहीं करने के कारण खाते में भारित विलम्बित ब्याज/दाण्डिक ब्याज की राशि के कॉलम में जमा करने की तिथि तक दाण्डिक ब्याज दर्शित कर प्रभारित पूर्ण दाण्डिक ब्याज की राशि पर 25% दाण्डिक ब्याज की छूट दी जाएगी।
3. किसी भी स्थिति में आबंटी को इस प्रकार से छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिये कि उसे मण्डल से राशि भुगतान करने की स्थिति निर्मित हो। राशि जमा कराने पूर्व हितग्राही का लेजर समस्त अधिकारी/सम्पत्ति प्रबंधक द्वारा सत्यापन उपरांत हितग्राही से आवश्यक राशि जमा कराई जाए।
4. हितग्राहियों को कितनी राशि की छूट दी जा रही है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कर हितग्राहियों को आवश्यक रूप से अवगत करावें ताकि मिल रहे छूट के प्रति हितग्राही आकर्षित हो सकें और राशि जमा कराने के लिए प्रेरित हों। अतः समस्त कॉलोनियों में समय—समय पर शिविर कैम्प का आयोजन कराया जाए, समाचार पत्रों द्वारा तथा कॉलोनियों में बैनर लगवाए जाएं एवं पर्चे वितरित कर प्रचार—प्रसार किया जाए। इस योजना की पूर्ण प्रगति से मुख्यालय को समय—समय पर अवगत कराया जाए।

यह छूट परिपत्र जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2005 तक रहेगी।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 03/2005 रायपुर, दिनांक 10/01/2005

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा दुर्ग एरावत परिसर में स्थित चार हॉल वाणिज्यिक कर विभाग, दुर्ग को किराये पर देने बाबत्।

मण्डल के पांचवे सम्मिलन दिनांक 27.12.2004 की पद संख्या 43 पर पारित संकल्प क्रमांक 125–43–05/12/2004 के अनुसार दुर्ग संभाग में स्थित एरावत परिसर में चार हॉल वाणिज्यिक कर विभाग,दुर्ग को भाटकीय आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भाटकीय आधार पर किये गये आवंटन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । साथ ही मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मण्डल की किसी भी सम्पत्ति को निजी संस्थाओं, व्यक्ति विशेष को किराये पर आवंटन नहीं किया जाना है ।

भवश्यि में केवल केन्द्र एवं राज्य शासन के विभागों/शसकीय/अर्द्वशासकीय निकायों को मण्डल की समस्त प्रकार की सम्पत्ति कलेक्टर द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर,मण्डल के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए भाटकीय आधार पर आवंटन करने आयुक्त,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया गया।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 29/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 17/01/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/राज.परि. संभाग–1/2रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/ जगदलपुर/रायगढ़

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 04/2005 रायपुर, दिनांक 25/01/2005

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय संपत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज 50%-60% छूट देने विषयक।

छठवां मण्डल विशेष सम्मिलन दिनांक 22.01.2005 की पद संख्या क्रमांक 11 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पारित संकल्प क्रमांक 149–11–06–01–2005 द्वारा मण्डल के परिपत्र क्रमांक 03/2004 दिनांक 17.09.2004, परिपत्र क्रमांक 05/2004 दिनांक 29.11.2004 एवं परिपत्र क्रमांक 01/2005 दिनांक 10.01.2005 के तारतम्य में ई.डब्ल्यू.एस./जनता भवन/कोर हाऊस/आवासीय शेड/एल.आई.जी.श्रेणी के भवन/ भूखण्ड के श्रेणी के हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50%-60% छूट की समयावधि गणतंत्र दिवस के दिनांक 26.01.2005 से बढ़ाकर 31.03.2005 तक की जाती है । अन्य नियम– शर्ते परिपत्र क्रमांक 03/2004 दिनांक 17.09.2004 के अनुसार ही रहेगी। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 67/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 25/01/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/राज.परि. संभाग–1/2रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 05/2005 रायपुर, दिनांक 30/04/2005

विषयः– भाड़क्रय आधार पर आबंटित आवासीय संपत्ति की बकाया अवशेष राशि की वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाने बाबत्।

सातवां मण्डल विशेष सम्मिलन दिनांक 19.04.2005 की पद संख्या क्रमांक 21 पर पारित संकल्प क्रमांक 173–21–07–04–2005 द्वारा मण्डल के परिपत्र क्रमांक 02/2005 दिनांक 10.01.2005 द्वारा उच्च आय वर्गीय/मध्यम आय वर्गीय श्रेणी के हितग्राहियों के खाते में भारित दाण्डिक ब्याज में 25% छूट एवं परिपत्र क्रमांक 04/2005 दिनांक 25.01.2005 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./जनताभवन/कोर हाऊस/आवासीय शैड/ एल.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों को 50% से 60% तक छूट देने की अवधि दिनांक 31.03.2005 से निरन्तर बढ़ाकर दिनांक 31.05.2005 तक की जाती है। अन्य नियम एवं शर्ते परिपत्र क्रमांक 03/2004 दिनांक 17.09.2004 एवं परिपत्र क्रमांक 02/2005 दिनांक 10.01.2005 के अनुसार ही रहेगी। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनियें में वसूली शिविर आयोजित कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 266/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 30/04/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/राज.परि. संभाग–1/2रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/ जगदलपुर/रायगढ़

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 06/2005 रायपुर, दिनांक 30/04/2005

विषयः– एम.आई.जी.डुप्लेक्स(एम.डी.) भवनों को एल.आईजी.श्रेणी के समतुल्य माने जाने बाबत,।

मण्डल द्वारा वीरसावरकर नगर हीरापुर में लगभग 312 एम.आई.जी.डुप्लेक्स एवं रामकृष्ण परमहंस नगर कोटा में 56 एम.आई.जी.डुप्लेक्स भवनों का निर्माण अन्य स्थानों पर भी किया गया है। उक्त भवनों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल 41.85 वर्गमीटर है । उक्त श्रेणी के भवनों पर 18% साधारण ब्याज के अतिरिक्त एवं 3% दाण्डिक ब्याज जोड़कर कुल 21% ब्याज निर्धारित समय पर किश्त जमा न करने पर प्रभारित किया जा रहा है। जिन्हे परिपत्र क्रमांक 02/2005 दिनांक 10.01.2005 द्वारा भारित दाण्डिक ब्याज में मात्र 25% की छूट दी जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार एवं मण्डल अनुमोदन की प्रत्याशा में एम.आई.जी. डुप्लेक्स भवनों को उनके भूखण्ड क्षेत्रफल एवं कुर्सी क्षेत्रफल को दृष्टिगत करते हुए एम.आई.जी.डुप्लेक्स (एम.डी.) भवनों (जिनका कुल कुर्सी क्षेत्रफल 41.85 वर्गमीटर से अधिक न हो) को एल.आई.जी.श्रेणी के समतुल्य किया जाता है एवं मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र कमांक 03.2004 दिनांक 17.09.2004 के अनुसार एल.आई.जी.श्रेणी के हितग्राहियों को भारित दाण्डिक ब्याज में 50% से 60% छूट के बराबर एल. आई.जी.डुप्लेक्स (एम.डी.) भवनों को भी भरित दाण्डिक ब्याज में 50% से 60% छूट प्रदान की जाती है। नियम एवं शर्ते परिपत्र क्रमांक 03/2004 दिनांक 17.09.2004 के अनुसार रहेंगी। उक्त छूट की अवधि दिनांक 31.05.2005 तक के लिये की जाती है ।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 267/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 30/04/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/राज.परि. संभाग–1/2रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 07/2005 रायपुर, दिनांक 06/07/2005

विषयः— माननीय आवास मंत्री महोदय/माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उनके निजी स्टॉफ को आवासीय संपत्ति के आबंटन पर मण्डल कर्मचारियों के समान रियायतें देने बाबत्।

दिनांक 21.06.2005 को सम्पन्न आठवें मण्डल सम्मिलन की पद संख्या क्रमांक 33 पर पारित संकल्प क्रमांक 214—33/08/06/2205 के परिपालन में माननीय आवास मंत्री महोदय,छत्तीसगढ़ शासन/माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में एक वर्ष पूर्ण होने पर मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय सम्पत्ति को एकमुश्त आधार पर क्रय करने पर पूर्ण सेवा काल में एक बार, मण्डल कर्मचारियों के समान नियम अनुसार रियायतें प्रदान करने हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
सचिव
एवं
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 46/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 06/07/2005

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग—1, 2 रायपुर/राज.परि. संभाग—1/2रायपुर/परि.सं.दुर्ग/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/ जगदलपुर/रायगढ़

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

//आदेश//

क्रमांक 11/2005 रायपुर दिनांक 15.10.2005

विषयः– मण्डल के आवासीय कॉलोनी में आरक्षित शाला भवनों का निजी शिक्षण संस्थाओं को आबंटन करने बाबत् नीति निर्धारण।

मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 710 सम्पत्ति प्रबंधन/2000 भोपाल दिनांक 07.02.2000 जारी कर मण्डल की आवासीय कॉलोनियों में आरक्षित शाला भूखण्डों की आबंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मण्डल के नवाँ सम्मिलन दिनांक 05.10.2005 की पद संख्या–29 पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक 710 सम्पत्ति प्रबंधन/2000 भोपाल दिनांक 07.02.2000 के कंडिका–2 में उल्लेखित आयुक्त द्वारा प्री–क्वालीफाईड की गई शिक्षण संस्थाओं को प्रस्तावित भूखण्ड हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर अपने ऑफर देने हेतु अवगत कराया जावेगा एवं प्राप्त ऑफरों में से उच्चतम ऑफर देने वाली शिक्षण संस्था का उच्चतम ऑफर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर निराकृत किया जा सकेगा। (वर्तमान में यह दायित्व मुख्यालय द्वारा निभाया जावेगा)। यह व्यावहारिक एवं वैधानिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस कंडिका–2 को निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

वर्तमान में आयुक्त द्वारा प्री–क्वालीफाईड की गई शिक्षण संस्थाओं को प्रस्तावित भूखण्ड हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर अपने ऑफर देने संभागीय स्तर पर (कार्यपालन अभियंता द्वारा) ऑफर आमंत्रित किया जावेगा एवं प्राप्त ऑफरों में से उच्चतम ऑफर देने वाली शिक्षण संस्था का ऑफर स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजा जावेगा। जो कि मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर निराकृत किया जा सकेगा। (यह भी स्पष्ट किया जाता है पूर्व में आबंटित भूखण्डों हेतु तत्समय लागू शर्तें यथावत् रहेंगी)

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 614 / आ.आ. / स.प्र. / मुख्या. / 05 रायपुर, दिनांक 15 / 10 / 2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवाल, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1 / 2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

विधि शाखा

परिपत्र

क्रमांक 21/2005 दिनांक 21/10/2005

मण्डल के नवें सम्मिलन दिनांक 05.10.2005 की पद संख्या क्रमांक, 28 पर पारित संकल्प क्रमांक 242–28/09/10/2005के परिपालन मे संभाग बिलासपुर के अंतर्गत मण्डल के विभिन्न माननीय न्यायालयों में मण्डल के पक्ष समर्थन हेतु श्री यशवंत सिंह अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री यशवंत सिंह तथा श्री अमित चौधरी, अधिवक्ताओं को मण्डल से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय हेतु मण्डल का पक्ष समर्थन करने प्रधान कार्यालय की प्रशासनिक शाखा के परिपत्र कमांक 01/2004 दिनांक 31.05.2004 मे अंकित निर्धारित शुल्क एवं अन्य व्यय तथा शर्तो के अंतर्गत पेनल में रखा जाता है । श्री यशवंत सिंह एवं श्री अमित चौधरी, अधिवक्ताओं को यह वचन पत्र देना होगा कि मण्डल के विरूद्व न तो कोई न्यायालयीन प्रकरण लेंगे और न ही मण्डल के हितों के विरूद्व किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान इत्यादि को अभिमत प्रदान करेंगे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
एवं
सचिव
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. /5458/आ.आ./स्था.शा./310/05 रायपुर, दिनांक 21/10/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. एस.सी. एण्ड ए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी/सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 रायपुर/ दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/ रायगढ़/जशपुर।
10. शाखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
11. सम्पदा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रमांक–1, रायपुर/दुर्ग/ भिलाई।
12. श्री यशवंत सिंह/श्री अमित चौधरी, अधिवक्ता बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
13. परिपत्र नस्ती।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 09/2005 रायपुर, दिनांक 22/10/2005

विषयः– एल.आई.जी. मेसोनेट 03,सेक्टर–1,शंकर नगर रायपुर के आवंटन के संबंध में।

दिनांक 05.01.2005 को सम्पन्न नंवा मण्डल सम्मिलन की पद संख्या क्रमांक 23 पर पारित संकल्प क्रमांक 237–23/09/10/2005 में माननीय आवास मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के विशेष सहायक श्री सुभाष भगत को भवन क्रमांक एल.आई.जी. मेसोनेट 03,सेक्टर–1 शंकर नगर रायपुर एकमुश्त आधार पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री भगत को मण्डल के आठवॉ सम्मिलन दिनांक 31.06.2005 में लिये गये निर्णय के अनुरूप मण्डल कर्मचारी के समान पूर्ण सेवाकाल में एक बार रियायतें प्रदान की जाना है । नियमानुसार उक्त भवन का मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से अनुमोदन पश्चात् शीघ्र ही आबंटन की कार्यवाही की जावें।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 612/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./05 रायपुर, दिनांक 22/10/2005

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1 रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. आबंटी श्री सुभाष भगत, विशेष सहायक, एल.आई.जी., मेसोनेट 03, सेक्टर–1, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 01/2006 रायपुर दिनांक 27.01.2006

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में प्रदान की गई छूट की अवधि में वृद्धि करने विषयक।

दसवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.01.2006 की पद संख्या क्रमांक–11 पर पारित संकल्प क्रमांक 265–11/10/01/2006 द्वारा मण्डल के परिपत्र क्रमांक 08/2005 दिनांक 22.10.2005 में दर्शाये नियम अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./जनता भवन/ कोर हाऊस/आवासीय शेड/एल.आई.जी./एम.आई.जी. डुप्लेक्स श्रेणी के भवनों/ भूखण्डों के हितग्राहियों को किश्तें की वसूली हेतु 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक दाण्डिक ब्याज में छूट तथा परिपत्र क्रमांक 02/2005 दिनांक 10.01.2005 में दर्शाए गए नियम अनुसार एम. आई.जी. एवं एच.आई.जी. श्रेणी के आवासीय सम्पत्ति भवनों/ भूखण्डों के बकाया किश्तें जमा कराने पर दाण्डिक ब्याज में 25 प्रतिशत छूट परिपत्र जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2006 तक रहेगी। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनियों में वसूली शिविर आयोजित कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

मण्डल के आदेशानुसार

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 68 /आ.आ./सं.प्र./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 27/01/2006

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 04/2006 रायपुर दिनांक 19.04.2006

विषयः— भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित ई.डब्ल्यू.एस. आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने विषयक।

ग्यारहवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07.04.2006 की पद संख्या क्रमांक—27 पर पारित संकल्प क्रमांक 312—27/11/04/2006 के अनुसार कमजोर आय वर्ग श्रेणी के ई.डब्ल्यू. एस./जनता भवन/कोर हाऊस/आवासीय शेड के हितग्राहियों को पूर्ण देय राशि (Overdue Amount) एकमुश्त जमा करने पर अधिरोपित दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट परिपत्र जारी होने की तिथि से दिनांक 30.06.2006 तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनियों में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार—प्रसार किया जाए।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 80 /आ.आ./सं.प्र./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 19/04/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवाल, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 05/2006 रायपुर दिनांक 29.05.2006

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित एच.आई.जी./एम.आई.जी./एल.आई.जी. श्रेणियों की आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदान करने विषयक।

12वां मण्डल सम्मिलन दिनांक 15.05.2006 की पद संख्या क्रमांक–13 पर पारित संकल्प क्रमांक 326–13/12/05/2006 के अनुसार एच.आई.जी./एम.आई.जी. श्रेणियों के हितग्राहियों को आबंटित भवन/भूखण्डों के बकाया किश्तें (अवशेष राशि) जमा कराने पर परिपत्र क्रं. 02 दिनांक 10.01.2005 के अनुसार दाण्डिक ब्याज में 25 प्रतिशत की छूट एवं एल.आई.जी. श्रेणी के हितग्राहियों को आबंटित भवनों/भूखण्डों के बकाया किश्तें (अवशेष राशि) जमा कराने पर 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक दाण्डिक ब्याज में छूट परिपत्र क्रमांक 03 दिनांक 17.09.2004 के बिन्दु क्रमांक 11 (अ) में दी गई शर्तें के अनुसार यह छूट इस परिपत्र जारी होने की तिथि से दिनांक 30.06.2006 तक प्रदान की जाती है।

अतः समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनियों में शिविर आयोजित कर नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का लाभ प्राप्त कराने हेतु व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 754 /आ.आ./सं.प्र./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 29/05/2006

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी/सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

''परिपत्र''

क्रमांक 06 दिनांक 08.09.2006

विषयः—मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापना स्थान पर मण्डल से क्रय किया हुआ आबंटित भवन रहते हुए लायसेंस फीस आधार पर आबंटित भवन की समय सीमा बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 13वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 30.08.2006 की पद संख्या क्रमांक 22 पर पारित संकल्प क्रमांक 348—22/13/08/2006 दिनांक 30.08.2006 के परिपालन में मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डल के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्हें किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनके पदस्थापना स्थान पर स्वयं का मण्डल से क्रय किया गया भवन रहते हुए मण्डल द्वारा लायसेंस फीस आधार पर भाटकीय भवन उपलब्ध कराया गया है। मण्डल के परिपत्रक्रमांक 29/2000 दिनांक 02.09.2000 (संलग्न क्रमांक—1) द्वारा प्रभावशील दरों से चार गुना लायसेंस फीस निर्धारित की जावे एवं उसकी समय सीमा एक वर्ष रखी जावे तथा निर्धारित अवधि के उपरांत भवन रिक्त न करने पर बलपूर्वक भवन रिक्त करा लिया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 4167/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 08/09/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता(प्रशा.) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी (स/ब), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग—1, 2,3 रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/परि. संभाग—रायगढ़/जशपुर/राजनांदगांव/जगदलपुर/ रायगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, भोपाल

परिपत्र

क्रमांक 29/2000 दिनांक 2.9.2000

विषयः— मण्डल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लायसेंस फ्री आधार पर आबंटित भवनों हेतु किराया वसूली बाबत्।

गृह निर्माण मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लायसेंस फ्री आधार पर आबंटित भवनों हेतु लायसेंस फ्री मण्डल के परिपत्रक्रमांक 4273—दिनांक 22.8.92 के अनुसार वसूली जाती है। अब मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ—1—138/97/दो—ए(3) दिनांक 24.06.2000 के द्वारा शासकीय आवासों के लायसेंस शुल्क में दिनांक 1.7.2000 से परिवर्तन किया गया है। अतः उसी के अनुरूप मण्डल के 150वें सम्मिलन दिनांक 29.8.2000 में पारित निर्णय अनुसार गृह निर्माण मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 'लायसेंस फ्री'' संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार, भवन के कुर्सी क्षेत्रफल जो कि प्रपत्र के कॉलम—तीन में उल्लेखित है, के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर वसूली जायेगी।

2. मण्डल के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिन्हें किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनके पदस्थापना स्थान पर स्वयं का भवन रहते हुए मण्डल द्वारा भवन लायसेंस फ्री आधार पर उपलब्ध कराया गया है, ऐसे भवन हेतु वर्तमान में जारी निर्देशों के अनुसार दस गुना लायसेंस फी वसूली जाती है। चूंकि लायसेंस फी बढ़ाई जा रही है, अतः अब ऐसे प्रकरणों में दिनांक 1.7.2000 से प्रभावशील दरों के चार गुना लायसेंस फी वसूलना निर्धारित किया जाता है।

3. पात्रता संबंधित मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1056 दिनांक 27.3.98 एवं स्थानान्तरण पश्चात् भवन रखने की अनुमति संबंधित परिपत्र क्रमांक 3481 दिनांक 16.9.97 में उल्लेखित प्रावधान यथावत जारी रहेंगे।

4. नोटः— आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल उसके अंतर्गत मूल रूप से निर्मित व तत्पश्चात् यदि कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि हुआ है, तो उसे संलग्न कर, निर्धारित किया जाएगा।

''लायसेंस फी'' की संशोधित दरें दिनांक 1.7.2000 से प्रभावशील रहेंगी।

संलग्नः— प्रपत्र 'अ'

नोटः— परिपत्र क्रमांक 37/2000 दिनांक 28.9.2000 एवं 28/2001 दि. 16.7.2001 का अवलोकन करें।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
अपर आयुक्त (स.प्र.)
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2/9/2000

पृ.क्रं. 5229/सं.प्र./मं./3/2000

प्रतिलिपिः—

1. समस्त संबंधित अधिकारियों को।

प्रपत्र ''अ''

क्रमांक	मण्डल आवास का टाईप	प्लिंथ एरिया वर्गीकरण (वर्गफुट)	मासिक लायसेंस फीस
1	2	3	4
1.	सीनियर एच.आई.जी. से ऊपर	2000 से अधिक	1150/–
2.	सीनियर एच.आई.जी.	1501 से 2000	1100/–
3.	एच.आई.जी. पुराने	1001 से 1500	850/–
	पुराने जुनियर एच.आई.जी.		
4.	जुनियर एच.आई.जी.	801 से 1000	700/–
	सीनियर/पुराने एम.आई.जी.		
5.	नये एम.आई.जी.	551 से 800	425/–
	सीनियर/पुराने एल.आई.जी.		
6.	नये सीनियर एम.आई.जी.	301 से 550	300/–
	एल.आई.जी.		
7.	जुनियर एल.आई.जी.	201 से 300	150/–
	पुराने ई.डब्ल्यू.एस.		
8.	ई.डब्ल्यू.एस.	201 से कम	50/–
	जनता भवन		

दिनांक 01.07.2000 से प्रभावशील

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
अपर आयुक्त (स.प्र.)
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन षाखा

परिपत्र

क्रमांक 07/2006 रायपुर दिनांक 08.09.2006

विषयः— विभिन्न आवासीय योजनाओं में आरक्षित अंश के हितग्राहियों के लिए पंजीयन राशि कम करने बाबत्।

दिनांक 30.08.2006 को सम्पन्न 13वाँ मण्डल सम्मिलन की पद संख्या क्रमांक—27 पर पारित संकल्प क्रमांक 353—27/13/08/2006 के परिपालन निर्णय अनुसार राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 4—23/32/2005/1736 रायपुर, दिनांक 24.05.2005 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की आवासीय योजनाओं हेतु विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण स्वीकृत किया गया है आरक्षित अंश अनुसूचित जाति 6%, अनुसूचित जनजाति 4%, पिछड़ा वर्ग 6%, मण्डल कर्मचारियों के लिए 1%, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के लिए 1%, सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये 2%, शारीरिक विकलांगों के लिए 3%, निराश्रित एवं विधवा महिला हेतु 2%, साहित्यकार/ बुद्धिजीवी/कालाकार 2%, पत्रकार 2%, शासकीय कर्मचारी (रायपुर हेतु 5%, अन्य नगर के लिए 3% के हितग्राहियों से पंजीयन राशि 15%, के स्थान पर 10% प्राप्त की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 4165 /आ.आ./सं.प्र./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 08/09/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 08/2006 रायपुर दिनांक 11.10.2006

विषयः– मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामांतरण के निवासरत व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 13वां सम्मिलन दिनांक 30.08.2006 की पद संख्या क्रमांक–21 पर पारित संकल्प क्रमांक 347–21/13/08/2006 दिनांक 30/08/2006 के परिपालन में आधिपत्यधारी/आवेदक जो अपने पक्ष में भवन/ भूखण्ड नामांतरण करवाना चाहता है, आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना है, जिसमें निम्नलिखित कथन समाविष्ट होना चाहिये जैसेः–

01. आधिपत्यधारी/आवेदक का उक्त भवन/भूखण्ड में कितने समय से आधिपत्य हैं। यह परिपत्र केवल पुराना भवन/भूखण्ड मण्डल से वर्ष 2003 के पूर्व क्रय किये गये भाड़ाक्रय के आबंटियों पर लागू होगा।
02. आधिपत्य के संबंध में मूल आबंटी द्वारा लिखा गया इकरारनामा एवं शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि मूल आबंटी ने भवन/मकान उसे अंतरित कर दिया है।
03. ऐसे शासकीय दस्तावेज जिससे आवेदक का आधिपत्य प्रमाणित हो जिसमें राशन कार्ड, मतदाता सूची, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, गैस कार्ड इन संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख शपथ–पत्र में होना चाहिये कि वह उक्त में से किन–किन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहा है।
04. शपथ–पत्र में यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि इस प्रकार हस्तांतरित की गई सम्पत्ति पर मूल आबंटी के द्वारा किसी भी प्रकार का दावा अथवा उजर या आपत्ति किये जाने की स्थिति में वाद के निराकरण की जवाबदारी शपथकर्ता की होगी। यह भी उल्लेख किया जाना होगा कि यदि सम्पत्ति के मूल आबंटी का दावा किसी भी सक्षम न्यायालय, विभाग या अधिकारी द्वारा संस्थित किया जाता है है तो इस प्रकार से किया गया सम्पत्ति का हस्तांतरण, नामांतरण एवं निष्पादित किया गया विक्रय पत्र शून्य व निरस्त माना जावेगा।
05. आवेदक के द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाहियों को पूर्ण करने के पश्चात् आम सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जावेगा जिसमें 15 दिन का समय देते हुए वांछित आपत्तियां आहूत की जावेगी और किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर नामांतरण की कार्यवाही किया जा सकेगा। किन्तु इन समस्त कार्यवाहियों के साथ–साथ यह भी आवश्यक होगा कि मूल आबंटी के निवास का पता जो भी हमारे कार्यालय में उपलब्ध हो स्थायी एवं अस्थायी सभी पतों पर पंजीकृत डाक से नामांतरण की सूचना भी प्रेषित् किया जाना आवश्यक होगा।
06. इसी प्रकार यह भी आवश्यक होना चाहिये कि आवेदक के आधिपत्य का भौतिक सत्यापन मण्डल के किसी अधिकारी (सहायक अभियंता एवं उससे उच्च पद) के द्वारा किया जाना चाहिए।

07. यह आदेश परिपत्र जारी होने के दिनांक 31.03.2007 तक वैद्य रहेगा तत्पश्चात् प्रकरण गुण–दोष के आधार पर आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की अनुमति से नामांतरण किया जा सकेगा।

08. यह परिपत्र उन हितग्राहियों के लिए विशेष रूप से जारी किया जा रहा है, जिन्होंने मूल आबंटी से विक्रय अनुबंध एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर क्रय किया है लेकिन मण्डल में नामान्तरण नहीं कराया है। उन्हें एकमुश्त राशि जमा कराकर प्रचलित नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही की जावे।

अतः नियमानुसार हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क जमा करवाकर नियमितीकरण करने मण्डल के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान के तहत् निर्धारित तिथि के अंदर कार्यवाही की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 1003 /आ.आ./प्र.का./06 रायपुर, दिनांक 11/10/2006

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 22 दिनांक 23.01.2006

विषयः— मण्डल की योजनाओं में घोषित मूल्यों से 10% से अधिक वृद्धि होने पर असहमत हितग्राहियों का ब्याज सहित राशि वापसी बाबत्।

दसवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.01.2006 में लिये गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक—20 संकल्प क्रमांक 274—20/10/01/2006 के निर्णय अनुसार जिन योजनाओं में घोषित मूल्य से 10% से अधिक की वृद्धि संभावित/आंकलित है, उन योजनाओं में पंजीकृत हितग्राहियों को सम्पदा अधिकारी स्तर से पत्र जारी कर सहमति प्राप्त की जाये व जो हितग्राही बढ़े हुए मूल्य पर भवन लेने असहमति व्यक्त करते हैं, उनके द्वारा जमा राशि पर नियमानुसार 5% ब्याज सहित जमा राशि वापस की जाये व इस प्रकार रिक्त हुए भवनों को पूर्ण मूल्य आधार पर नियमानुसार विक्रय की कार्यवाही की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 208/आ.आ./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 23/01/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, प्रधान कार्यालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक 1/2 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ राजनांदगांव/ जगदलपुर/रायगढ़/जशपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, संभाग क्रमांक 1/2 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ राजनांदगांव/ जगदलपुर/रायगढ़/जशपुर की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 31 दिनांक 08.11.2006

विषयः— ऊर्जा संरक्षण के प्रावधानों को मंडल की आवासीय योजनाओं में एच.आई.जी. तथा एम.आई.जी. प्रकार के भवनों में ''सौर गर्म जल संयंत्र'' (Solar Water Heater) स्थापित करने बाबत्।

चौदहवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.10.2006 में लिए गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक 24, संकल्प क्रमांक 377—24/14/10/2006 में सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के परिपालन में 150.00 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित एच. आई.जी. भवनों हेतु अनिवार्य रूप से एवं एम.आई.जी. प्रकार के भवनों हेतु वैकल्पिक रूप से ''सौर गर्म जल संयंत्र'' (Solar Water Heater) स्थापित करने का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करें।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 2255/आ.आ/मुख्या./06
रायपुर, दिनांक 8/11/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. प्रमुख सचिव महोदय, ऊर्जा संरक्षण विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. निदेशक, क्रेडा, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
4. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण म्ण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त (तकनीकी) I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी (ब)/(ऑडिट), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रमांक—1 ,2, 3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/रायगढ़/जशपुर/राजनांदगांव/जगदलपुर/जशपुर की ओर सूचनार्थ

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 32 दिनांक 09.11.2006

विषयः— मंडल की प्रस्तावित योजना जो किसी कारणवश नहीं ली गई है एवं उनमें पंजीकृत हितग्राहियों की पंजीयन राशि वापस करने के संबंध में।

चौदहवाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.10.2006 में लिए गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक—21 संकल्प क्रमांक 374—21/14/10/2006 में विचारोपरांत सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के परिपालन में यदि मंडल की आवासीय योजना का किसी कारणवश क्रियान्वयन नहीं किया जा सका एवं भविष्य में क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है। ऐसी योजनाओं में पंजीकृत हितग्राही अपनी पंजीयन राशि वापसी की मांग करते हैं, तो उन्हें पंजीयन दिनांक से वापसी दिनांक तक 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित राशि वापस की जावे। यह आदेश छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के गठन की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 2268/आ.आ./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 09/11/2006

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
5. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
7. लेखा अधिकारी (ब), (आडिट), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

//कार्यालयीन आदेश//

क्रमांक 34 दिनांक 09.11.2006

मण्डल द्वारा विक्रित/आबंटित आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्ति यथा– भूखण्ड, भवन, दुकान आदि की रजिस्ट्री (पंजीयन) आबंटी द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात् पंजीयक कार्यालय में करानी होती है। प्रायः यह देखा गया है कि सेलडीड एवं लीजडीड हेतु निर्धारित प्रपत्र को स्टॉम्प पेपर में टंकण हेतु कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण मण्डल के हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें गलत टंकण, विलम्ब तथा वाटर माक्र पेपर आदि मुख्य है।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेशित किया जाता है कि सम्पदा अधिकारी सेलडीड/लीजडीड आदि हेतु आवेदक को सम्पक्र करने से एक सप्ताह के अन्दर शेष राशि जमा करने हेतु सूचना देंगे। टंकण हेतु प्रत्येक प्रकरण में हितग्राही से रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र प्राप्त करेंगे व उन्हें इस आशय की पावती भी प्रदान करेंगे। स्टॉम्प प्राप्ति के पश्चात् मण्डल द्वारा उक्त टंकण आदि कार्य पूर्ण कराया जाकर 15 दिवस की समयावधि में दस्तावेज हस्ताक्षर करके हितग्राही को सौंपने का पूर्ण दायित्व संबंधित सम्पदा अधिकारी का होगा। कार्यालय में स्पष्ट सूचना लगाई जावे कि उक्त राशि में दस्तावेज टंकण, नक्शे की प्रतियों का मूल्य, वाटर माक्र पेपर का मूल्य सम्मिलित है। यदि फ्रेंकिंग व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो तो स्टॉम्प पेपर आबंटी द्वारा क्रय कर प्रस्तुत करने होंगे तथा आबंटी किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को राशि नहीं देंगे, अन्यथा स्वयं इस हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

पृ.क्रं. 2271/आ.आ./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 09/11/2006

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी/लेखा अधिकारी (आडिट), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 01/2007 रायपुर, दिनांक 12.01.2007

विषयः— मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में संशोधन।

मण्डल के 13वाँ सम्मिलन दिनांक 30.08.2006 की पद संख्या क्रमांक 21 पर पारित संकल्प क्रमांक 347—21/13/08/2006 दिनांक 30.08.2006 के परिपालन में परिपत्र क्रमांक 08/2006 रायपुर दिनांक 11.10.2006 जारी किया गया है, जिसका कंडिका 2 में निम्नानुसार उल्लेखित है।

2. आधिपत्य के संबंध में मूल आबंटी द्वारा लिखा गया इकरारनामा एवं शपथ पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि मूल आबंटी ने भवन/मकान उसे अंतरित कर दिया गया है, के स्थान पर नियमानुसार स्थापित किया जाता है।

''आधिपत्य के संबंध में मूल आबंटी द्वारा लिखा गया इकरारनामा, शपथ पत्र या अधिकार पत्र जिससे यह प्रमाणित हो कि मूल आबंटी ने भवन/मकान उसे अंतरित कर दिया गया है।''

सम्पदा प्रबंधन शाखा का परिपत्र क्रमांक 08/2006 रायपुर दिनांक 11.10.2006 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 10/आ.आ./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 19/01/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
7. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 02/01/2007 रायपुर, दिनांक 12.01.2007

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दण्डित ब्याज में छूट बाबत्।

मण्डल के 15वाँ सम्मिलन दिनांक 10.01.2007 की पद संख्या 13 पर पारित संकल्प क्रमांक–393–13/15/01/2007 के अनुसार एच.आई.जी.,एम.आई.जी. भवन/ भूखण्ड के हितग्राहियों द्वारा बकाया किश्तें (अवशेष राशि) जमा करने पर परिपत्र क्रमांक–02 दि.10.01.2005 के अनुसार दाण्डिक ब्याज में 25% छूट प्रदान की जाती है।

एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. डुप्लेक्स श्रेणी के हितग्राहियों को आबंटित भवनों/भूखण्डों की बकाया किश्तें (अवशेष राशि) जमा करने पर 50% से 60% दाण्डिक ब्याज में छूट परिपत्र क्रमांक–03 दिनांक 17.09.2004 के अनुसार प्रदान की जाती है।

ई.डब्ल्यू.एस./जनता भवन/कोर हाऊस/आवासीय शेड के हितग्राहियों को अवशेष राशि एकमुश्त जमा करने पर परिपत्र क्रं. 04/06 दिनांक 19.04.2006 के अनुसार दाण्डिक ब्याज में 100% छूट प्रदान की जाती है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावशील होगा। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आमंत्रित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 15/आ.आ./मुख्या./06 रायपुर, दिनांक 12/01/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
8. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 04/01/2007 रायपुर, दिनांक 19.01.2007

विषयः—वर्तमान में किराये पर उठाई गई मण्डल की अचल सम्पत्ति (यथा आवासीय/ गैर आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन/परिसर, दुकानें आदि) का एकमुश्त आधार पर मूल्य निर्धारण कर विक्रय बाबत्।

उपरोक्त विषय पर मण्डल मुख्यालय द्वारा समय—समय पर प्रसारित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए 15वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 10.01.2007 की पद संख्या 14 पर पारित संकल्प क्रमांक —394—14/15/01/2007 द्वारा मण्डल की अचल सम्पत्ति (यथा आवासीय/गैर आवासीय भवन, व्यावसायिक भवन/परिसर, दुकानें आदि) के एकमुश्त आधार पर विक्रय हेतु, मूल्य निर्धारण एवं आबंटन हेतु निर्देश का अनुमोदन किया गया है।

उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः— आबंटन निर्देश।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 20/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 19/01/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

किराये पर आबंटित सम्पत्ति को पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर विक्रय करने आबंटन निर्देश

मण्डल की किराये पर आबंटित सम्पत्तियों के विक्रय के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 5087/सं.प्र./111/मण्डल/91 दिनांक 17.09.91/23/9/91 परिपत्र क्रमांक 740/स.प्र./111/92 दिनांक 02.05.92 परिपत्र क्रमांक 2103/स.प्र/ मण्डल/ 111/92 दि. 24.10.92 परिपत्र क्रमांक 41/2000 दि. 23.10.2000 को निरस्त करते हुए मण्डल द्वारा किराये पर उठाई गई सम्पत्तियों के विक्रय हेतु निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाना है। यह नियम कर्मचारी अंश एवं सामान्य अंश (बाहरी व्यक्तियों) को किराये पर आबंटित सम्पत्ति पर प्रभावशील होगा।

01. विक्रय का प्रथम ऑफर, प्राथमिकता पर अधिकृत किराएदार को दिया जाएगा।

02. सम्पत्ति का विक्रय एकमुश्त आधार पर किया जावेगा।

03. शासन के विभिन्न विभागों/संस्थानों/अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा यदि मण्डल से किराये पर भवन प्राप्त किये गये हैं उन्हें यह विकल्प रहेगा कि या तो वे एकमुश्त आधार पर भवन खरीद ले या उसे किराये पर रखें। यदि किराये पर भवन रखना स्वीकार करते हैं तो किराये की समुचित वृद्धि प्रति तीन वर्श में नवीन अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

04. पूर्व में जारी सम्पदा प्रबंधन शाखा के परिपत्रक्रमांक 03/2005 दिनांक 10.01.2005 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति को निजी संस्थाओं अथवा व्यक्ति विशेष को किराये पर आबंटित नहीं किया जावेगा, केवल केन्द्र एवं राज्य शासन के विभागों, अर्द्धशासकीय निकायों को मण्डल की सम्पत्ति, कलेक्टर द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर आबंटित किया जावेगा।

05. किराए पर दी गई वह सम्पत्ति जो कि मण्डल के उपयोग हेतु आवश्यक है, विक्रय नहीं की जावेगी, आगे किराए पर जारी रखना अथवा रिक्त कराकर मण्डल आधिपत्य में लिए जाने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।

06. एस.आई.एच.एस. योजना के भवनों का विक्रय पूर्व में जारी आदेशों के अंतर्गत ही किया जावेगा।

07. मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(अ) मण्डल की सम्पत्ति को जो किराया मिलता रहा है और किराये की जो राशि बकाया निकलेगी, उसे मूल्य निर्धारण में समायोजित नहीं किया जाएगा। भाटकीय आधार पर आबंटित सम्पत्ति के विक्रय की तिथि तक किराये की शेष राशि एकमुश्त चुकाना होगी।

(ब) भूखण्ड का मूल्य जिला कलेक्टर गाईड लाईन (वर्तमान) के आधार पर होगा।

(स) दो मंजिला निर्मित भवनों में वर्तमान भूखण्ड की कीमत का 60% भूतल के लिए तथा 40% प्रथम तल के भवन के लिए निर्धारित किया जावेगा।

(द) तीन मंजिले भवन पर वर्तमान भू–खण्ड के मूल्य का 45% भूतल के भवन के लिये, 30% प्रथम तल के भवन के लिए तथा 25% द्वितीय तल के भवन के लिये निर्धारित किया जावेगा।

(ई) चार मंजिले भवन पर वर्तमान भू–खण्ड के मूल्य का 30% भूतल के भवन के लिए, 26% प्रथम तल भवन के लिये, 23% द्वितीय तल भवन के लिए 21% तथा तृतीय तल भवन के लिये निर्धारित किया जावेगा।

(ल) भवन के निर्माण की मूल्य लागत राशि में निर्माण पूर्ण होने के दिनांक से विक्रय के दिनांक तक ब्याज परिपत्रक्रमांक 1 दिनांक 04.06.2004 के अनुसार लिया जावेगा। कार्नर एवं बेटर लोकेशन चार्ज नियमानुसार पृथक से देय होगा।

(र) भवन के मूल्य के अतिरिक्त मण्डल द्वारा भुगतान किया गया सम्पत्ति कर, रख–रखाव खर्च आदि सम्मिलित किया जावेगा तथा मण्डल द्वारा कॉलोनी हस्तांतरण के फलस्वरूप जो अन्य राशि दी गई है, उसे भी जोड़ा जावेगा।

(य) मूल्य की गणना में भवन के कुल लागत में जमा किये गये किराए की राशि का समायोजन नहीं किया जाएगा तथा एकमुश्त राशि जमा करने पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जावेगी। पूर्व में परिपत्र क्रमांक 41/2000 दिनांक 23.10.2000 को निरस्त माने जाएंगे।

(व) जो मण्डल सेवक प्रथम बार भाटकीय भवनों को पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उन्हें भवन की मूल्य की गणना में मण्डल में प्रचलित नियम/परिपत्र के अनुसार केवल पर्यवेक्षण शुल्क एवं पूंजगत ब्याज में नियमानुसार देय छूट प्राप्त होगी।

08. भवनों के मूल्य में मूल्य ह्रास (Depriciation) का लाभ मण्डल के परिपत्र क्रमांक 4161/स.प्र./3/97 दिनांक 01.11.97 के अनुसार दिया जाएगा।

09. यदि कोई किरायेदार भवन लेने के इच्छुक नहीं है, तो उन्हें नियमानुसार भवन रिक्त करने हेतु एक माह का नोटिस जारी किया जावेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त भवन रिक्त कराकर नियमानुसार उक्त भवन/सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण नियमानुसार अनुमोदित करने के पश्चात् विज्ञप्ति प्रसारित कर ऑफर के माध्यम से एकमुश्त आधार पर विक्रय किया जावेगा।

10. जिन मण्डल सेवकों द्वारा पदस्थापना वाले शहर में पूर्व में किराये पर आबंटित भाटकीय भवन परिवर्तित कर अथवा सीधे मण्डल से क्रय कर लिये गये हैं, उन्हें उसी नगर में डेजिग्नेटेड अथवा अन्य कोई भी भवन भाटकीय आधार पर आबंटित नहीं किया जावेगा।

11. जिन मण्डल सेवकों को पदस्थापना के नगर में भाटकीय आधार पर भवन आबंटित है, उन्हें मण्डल से नोटिस प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में भवन रिक्त कर संबंधित अधिकारी को आधिपत्य सौंपना होगा। ऐसे मण्डल सेवक यदि चाहे तो रिक्त किये गये भवन क्रय करने की सूचना प्राप्त होने पर ऑफर के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

12. ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिशत आधार पर प्राप्त भवन पूर्व में भाटकीय आधार से भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तित कर क्रय किया गया हो तथा पुनः अन्य भवन किराये पर आबंटित है, वे यदि वर्तमान में किराये पर आबंटित भवन क्रय करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रथमतः किराया पर आबंटित भवन का रिक्त आधिपत्य संबंधित संभाग को देना होगा। यदि कर्मचारी चाहे तो मण्डल द्वारा भवन विक्रय करने पर ऑफर के माध्यम से भवन क्रय कर सकते हैं। भवन बिना खाली किये भाटकीय भवन को क्रय करने ऑफर में किसी भी स्थिति में भाग नहीं ले सकेंगे।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 05/01/2007 रायपुर, दिनांक 19.01.2007

विषयः—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विक्रय होने वाली आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति पर भारित होने वाले विभिन्न दरों का पुनर्निर्धारण बाबत्।

मण्डल के 15 वाँ सम्मिलन दिनांक 10.01.2007 के पद संख्या क्रमांक—15 पर पारित संकल्प क्रमांक—395—15/15/01/2007 में मण्डल द्वारा विक्रय होने वाली आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति पर मण्डल के परिपत्र क्रमांक—894/सं.प्र./3/98 दिनांक 17.03.1998 अनुसार विभिन्न दरें भारित की जाती रही है, को निम्नानुसार पुर्ननिर्धारण किया गया है।

1. आवेदन पत्र शुल्कः—

समस्त श्रेणी के आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति में आवेदन पत्र मय बुकलेट शुल्क रू. 200.00 निर्धारित किया जाता है। विशेष आवासीय योजनाएं जिनमें बुकलेट आदि विशेष प्रकार के तैयार किये जाते हैं, हेतु शुल्क आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा पृथक से निर्धारित किया जावेगा।

2. भू—संधारण शुल्कः

मण्डल द्वारा विभिन्न कॉलोनियाँ विकसित की जाती है। उनका जब तक नगर निगम/स्थानीय निकायों को स्थानांतरण नहीं होता है तब तक उक्त कॉलोनी की बाहरी व्यवस्था जैसे कि स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज, सीवरेज सिस्टम आदि का रख—रखाव मण्डल द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था के रख—रखाव हेतु मण्डल द्वारा आबंटित सम्पत्ति के अंतर्गत भूखण्ड के क्षेत्रफल हेतु शुल्क निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
रू. 2.50 प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष	रू. 10.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष अथवा आधिपत्य पूर्व भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त

प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रकार की सम्पत्ति जिसमें आबंटित सम्पत्ति के साथ भूखण्ड अलग से चिन्हित नहीं रहते हैं, उसके अंतर्गत शुल्क की गणना आबंटित कुर्सी के क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी।

3. प्रकोष्ठ भवन एवं व्यवसायिक सम्पत्ति की सामूहिक व्यवस्था हेतु शुल्क (कामन सर्विस चार्जेस):

मण्डल द्वारा आबंटित प्रकोष्ठ भवनों में निवासरत् आबंटियों द्वारा जब तक प्रकोष्ठ अधिनियम 1976 के अधीन समिति का गठन नहीं किया जाता है तब तक प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के रख–रखाव हेतु निम्नानुसार दरें वसूली किया जावेः–

अ	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (200 वर्ग.मी. एवं उससे अधिक)	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
		रू. 200 प्रतिमाह (या पृथक से निर्धारित वस्तुस्थितिनुसार	सभी प्रकार के आवासीय भवनों हेतु भवन के मूल्य का 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं व्यावसायिक सम्पत्ति हेतु 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष कामन सर्विस चार्ज
'अ'	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (100 वर्ग मी. से 200 वर्ग मी. तक)	रू. 100 प्रतिमाह	
'ब'	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (50 वर्ग मी. से 100 वर्ग मी. तक)	रू. 75 प्रतिमाह	
'स'	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मी. से 50 वर्ग मी. तक)	रू. 50 प्रतिमाह	
'द'	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25वर्ग मी.)	रू. 25 प्रतिमाह	

4. आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्ति पर भारित सरचार्ज
(क्रास सबसिडी चार्जेस)

मंडल द्वारा सम्पत्ति आबंटित होने पर सरचार्ज लिया जाता है वह निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता हैः–

			वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
1.	''अ''	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (200 वर्ग मी. एवं उससे अधिक)		
	''ब''	यदि केवल भूखण्ड हो तो (400 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक)	रू. 2,000.00	रू. 4,000.00
2.	''अ''	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (100 वर्ग मी. से 200 वर्गमीटर तक)		
	''ब''	यदि केवल भूखण्ड हो तो (200 वर्ग मीटर से 400 वर्गमीटर तक)	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
3.	''अ''	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (50 वर्ग मी. से 100 वर्गमीटर तक)		
	''ब''	यदि केवल भूखण्ड हो तो (100 वर्ग मीटर से 200 वर्गमीटर तक)	रू. 750.00	रू. 1,500.00
4.	''अ''	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मी. से 50 वर्गमीटर तक)		
	''ब''	यदि केवल भूखण्ड हो तो (50 वर्ग मीटर से 100 वर्गमीटर तक)	रू. 500.00	रू. 1,000.00
5.	''अ''	आबंटित भूमि का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मी. तक)		
	''ब''	यदि केवल भूखण्ड हो तो (50 वर्गमीटर तक)	रू. 250.00	रू. 500.00

नोटः– उक्त दरें आवासीय संम्पत्ति के आबंटन हेतु है। यदि सम्पत्ति व्यवसायिक स्वरूप की है तो उक्त दरें दुगनी ली जाएगी।

5. दस्तावेज शुल्क :–

मण्डल द्वारा विक्रय होने वाली सम्पत्ति हेतु दस्तावेज शुल्क लिया जाता है वह वर्तमान में निम्नानुसार लिया जाना हैः–

आबंटित सम्पत्ति का विवरण भवन हेतु	शुल्क			
	आवासीय		व्यवसायिक	
	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
25 वर्ग मीटर तक भवन	रू. 100.00	रू. 200.00	रू. 250.00	रू. 500.00
26 वर्ग मीटर से 50 वर्ग मीटर तक	रू. 200.00	रू. 400.00	रू. 500.00	रू. 1,000.00
50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक	रू. 300.00	रू. 600.00	रू. 750.00	रू. 1,500.00
100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मी. तक	रू. 500.00	रू. 1,000.00	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
200 वर्ग मीटर तक	रू. 750.00	रू. 1,500.00	रू. 1,500.00	रू. 3,000.00

केवल भूखण्ड हेतु (जहाँ भवन निर्माण नहीं है)

क्षेत्रफल	शुल्क			
	आवासीय		व्यवसायिक	
	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
50 वर्ग मीटर तक	रू. 100.00	रू. 200.00	रू. 250.00	रू. 500.00
50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक	रू. 200.00	रू. 400.00	रू. 500.00	रू. 1,000.00
100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मी. तक	रू. 300.00	रू. 600.00	रू. 750.00	रू. 1,500.00
200 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक	रू. 500.00	रू. 1,000.00	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
400 वर्ग मीटर तक	750.00	रू. 1,500.00	रू. 1,500.00	रू. 3,000.00

6. भवन निर्माण अनापत्ति शुल्क

मंडल द्वारा भवन निर्माण हेतु अनापत्ति (एन.ओ.सी.) देते समय निम्नानुसार आबंटी से अनापत्ति शुल्क वसूल किया जाना हैः–

		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तक		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तथा अधिक	
		वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
1.	यदि आबंटी भूखण्ड पर नये सिरे से निर्माण प्रस्तावित है या आबंटी संपत्ति में अतिरिक्त परिवर्तन प्रस्तावित है या पूर्व के भवन को तोड़कर पुनः निर्माण प्रस्तावित है। (बशर्ते वहाँ एक ही आवासीय इकाई रहे और अतिरिक्त इकाई का निर्माण न किया जाए)	रू. 500.00	रू. 1,000.00	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
2.	आबंटी सम्पत्ति में केवल कम्पाऊण्डवाल, गैरेज, पोर्च कार्य प्रस्तावित है तो (अर्थात् जहाँ प्लिंथ क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है)	रू. 250.00	रू. 500.00	रू. 500.00	रू. 1,000.00
		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तक		100 वर्ग मीटर के भूखण्ड तथा अधिक	
		वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क	वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
3.	यदि आवासीय इकाईयों की संख्या बढ़ाई जावे चाहे अतिरिक्त तल निर्माण से या प्रकोष्ठ निर्माण से	रू. 2000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीजदर में 50% वृद्धि प्रति इकाई	रू. 2,000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीजदर में 50% वृद्धि प्रति इकाई	रू. 4,000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज तथा लीज दर में 50% इकाई हेतु	रू. 4,000.00 प्रति अतिरिक्त आवासीय इकाई तथा लीज तथा लीजदर में 50% इकाई हेतु

उक्त आबंटित सम्पत्ति पर यदि निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमति के आबंटी द्वारा सम्पन्न किया जाता है व उसके उपरांत यदि वर्तमान में नियमितीकरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है एवं यदि निर्मित कार्य नियमों के अंतर्गत है तो नियमितीकरण हेतु निर्माण अनुमति शुल्क दुगुनी होगी। यदि निर्मित कार्य निर्धारित (Bye-Laws) बाई लाज में नहीं है तो निर्माण अनापत्ति नहीं दी जाएगी।

7. बिल्डिंग परमीशन शुल्कः–

मंडल द्वारा जब निर्मित आवासीय या व्यवसायिक सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण किया जाता है व जब आबंटन किया जाता है तो संबंधित आबंटी से विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु बिल्डिंग परमीशन फीस वसूली जाती है। अतः शुल्क किया जाना हैः–

		वर्तमान शुल्क	संशोधित शुल्क
1.	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (200 वर्गमीटर एवं उससे अधिक)	रू. 1500.00 या पृथक से निर्धारित वस्तुस्थितिनुसार	रू. 3000.00 या पृथक से निर्धारित वस्तुस्थितिनुसार
2.	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी का क्षेत्रफल (100 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक)	रू. 1,000.00	रू. 2,000.00
3.	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (50 वर्ग मीटर से 100 वर्गमीटर तक)	रू. 750.00	रू. 1,500.00
4.	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मीटर से 50 वर्गमीटर तक)	रू. 500.00	रू. 1,000.00
5.	आबंटित सम्पत्ति का कुर्सी क्षेत्रफल (25 वर्ग मीटर तक)	रू. 250.00	रू. 500.00

नोटः– उक्त दरें आवासीय सम्पत्ति हेतु है, यदि सम्पत्ति व्यवसायिक हुई तो उक्त दरें दुगुनी ली जाएगी।

उक्त समस्त दरें 15.01.2007 से प्रभावशील होगी। ऐसी योजनाएं जिनका अंतिम मूल्य निर्धारण 15.01.2007 से पूर्व अनुमोदित हो चुका है, उनमें उक्त दरें यथावत् पूर्वानुसार रहेगी। शेष नियम एवं शर्तें परिपत्र क्रमांक 894/सं.प्र./3/98, दिनांक 17.03.1998 अनुसार प्रभावशील रहेगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 21/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 19/01/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
8. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

/ / आदेश / /

क्रमांक 56 दिनांक 09.01.2007

विषयः– आई.व्ही.आर.एस. सुविधा का प्रचार–प्रसार

ग्राहकों को सरल ढंग से घर बैठे फोन के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 15–01–07 से आई.व्ही.आर.एस. सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में यह सुविधा चार संभागों में प्रारंभ की गई है। सुविधा को सार्थक बनाने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार आवश्यक है, अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के टेण्डर एवं अन्य सभी प्रकार के विज्ञापनों एवं ब्रोशर के नीचे एक पट्टी में निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

IVRS : यानी, घर बैठे फोन घुमावें, वांछित जानकारी तुरन्त पावें

संभाग दुर्ग संभाग बिलासपुर	0788–2382491 07752–270325	रायपुर संभाग क्रं.–1 रायपुर संभाग क्रं.–1	0771–2324091 0771–4045931

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 435 / आ.आ. / मुख्या. / 06 रायपुर, दिनांक 19 / 01 / 2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III , छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मण्डल सलाहकार, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. कार्यपालन अभियंता, सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1 / 2 / 3 एवं राजधानी परियोजना संभाग रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर / परि.संभाग जशपुर / रायगढ़ / राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 06/ /2007, रायपुर, दिनांक 24.04.2007

विषयः– निराश्रित एवं विधवा महिला हितग्राहियों के लिए दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।

मण्डल के 16 वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07.04.2007 की पद संख्या क्रमांक–16 पर पारित संकल्प क्रमांक–425–16/16/04/2007 के तारतम्य में निराश्रित एवं विधवा महिला हितग्राहियों के लिए ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवन/भूखण्ड हेतु 100% एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड हेतु 80% एवं एम.आई.जी. हेतु 70%, एच.आई.जी. भवनों/भूखण्डों हेतु 50% बकाया किश्तें (अवशेष राशि) एकमुश्त जमा करनेपर अधिरोपित दाण्डिक ब्याज में छूट परिपत्रजारी होने की तिथि से दिनांक 30.06.2007 तक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 150/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 24/04/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 07/2007, रायपुर, दिनांक 24.04.2007

विषयः— भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में प्रदान की गई छूट की अवधि में वृद्धि करने विषयक।

मण्डल के 16 वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07.04.2007 की पद संख्या क्रं. —17 पर पारित संकल्प क्रमांक—426—17/16/04/2007 के अनुसार एच.आई.जी./ एम.आई.जी. भवन/भूखण्डों के हितग्राहियों हेतु 25% एल.आई.जी. एवं एम.आई.जी. डुप्लेक्स श्रेणी के भवन/भूखण्ड हेतु 50 से 60% छूट रहेगी। कमजोर आय वर्ग श्रेणी के ई.डब्ल्यू.एस./ जनता/कोर हाऊस/आवासीय शेड के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों को 100% बकाया किश्तें (अवशेष राशि) एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में छूट परिपत्र क्रमांक—02/2007 दिनांक 12.01.2007 के अनुसार यथावत रहेंगी। तथा किश्तें बनवाने पर परिपत्र क्रं.—03/2004 दिनांक 17.09.2004 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। परिपत्र क्रमांक—3/2004 दिनांक 17.09.2004 की शर्त क्रमांक—एक में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दि. 30.04.2007 की स्थिति में कुल देय दाण्डिक ब्याज पर छूट प्रदान कर कुल देय राशि स्थिर करते हुए लेजर में अंकित की जाएगी।

यह आदेश परिपत्र क्रमांक—02/2007 दिनांक 12.01.2007 के निबंधों के अंतर्गत दी जानी वाली छूट की अवधि निरंतर में दिनांक 30.06.2007 तक प्रभावशील होगा। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार—प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 151/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 24/04/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव / कोरबा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 08/05/2007, रायपुर, दिनांक 10.05.2007

विषयः– मण्डल की आवासीय योजना में स्व–वित्तीय योजनांतर्गत भवनों की किश्त बाबत्

विगत् वर्षों के अनुभव से यह पाया गया है कि योजना के क्रियान्वयन के पूर्व हितग्राहियों से पंजीयन कराया जाता है एवं पंजीयन उपरांत उनके द्वारा मंडल की देय राशि निर्धारित करके हितग्राहियों से जमा करवाई जाती है। यह देखने में आया है कि कई बार विभिन्न कारणों से कार्य प्रारंभ करने में विलम्ब होता है परन्तु हितग्राहियों से उनकी देय राशि पूर्व निर्धारित समय पर ही ली जाती है। योजना में विलम्ब की जानकारी उन्हें यथासमय सूचित नहीं करने के कारण हितग्राहियों में असंतोष रहता है एवं विषम स्थिति उत्पन्न होती है। इसको विचार करते हुए संलग्न प्रारूप के अनुसार ही हितग्राहियों से राशि प्राप्त की जावे तथा भविष्य में नई योजनाओं में हितग्राहियों से संलग्न प्रारूप में दर्शाए गये अनुसार ही राशि लिया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि कार्य की प्रगति में विलम्ब होता है तो कारण अवगत कराते हुए किश्त के भुगतान की पुनरीक्षित तिथि से पंजीकृत हितग्राही को तत्काल अवगत कराया जाए। यह आदेश जारी होने की तिथि से लागू माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 185/आ.आ./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 10/05/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

PROJECT PERIOD – 18 MONTHS
SAY COST OF HOUSE Rs. LACS

S. No.	Registration Amount	First Installment within 03 Month from Date of allotment	Second Installment after 06 month of houses have reached upto lintel level on the basis of average progress of group which ever is later	Third Installment after 09 month or RCC roof laid on the basis of average progress of group which ever is later	Fourth Installment after 12 months or at finishing stage on the basis of average progress of group which ever is later	Balance amount after final fixation+ Servece Tax, LMC, Lease rent+Bldg. Permission Fees any other taxes etc. before possession	Remarks
	15% of A	20% of A	20% of A	20% of A	20% of A		

* shown here is not final cost it is only for registration purposes taken as tentative cost.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 10/06/2007, रायपुर, दिनांक 08.06.2007

विषयः– मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17 वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक–08 पर पारित संकल्प क्रमांक 442–08/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक–01) में दर्शित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक–01 में अंकित सरल क्रमांक–01 से 02 तक के कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्त सूची क्रमांक–01 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारी से नियमानुसार आबंटन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जाये। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 199/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 08/06/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण
मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं षपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री आर.एस. ध्रुव	उप अभियंता	27.03.96	संभाग–1, रायपुर	तृतीय	एम0डी0एस–3–एस–4	893.08 Sqft	400 से 550 तक	08.09.97	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय
2.	श्री शिवानंद मजूमदार	पंप अटेंडेंट	01.01.83	प्रतिनियुक्ति नगर निगम रायपुर	चतुर्थ	एम0डी0237 हीरापुर, रायपुर	446.54 Sqft	200 से 300 तक	12.01.2000	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 11/06/2007, रायपुर, दिनांक 08.06.2007

विषयः— मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक बार भाटकीय आधार पर आबंटित भवन विक्रय करने के पश्चात् पुनः भाटकीय आधार पर आबंटित भवन परिवर्तित कर विक्रय करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक—20 पर पारित संकल्प क्रमांक 454—20/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक बार भाटकीय भवन क्रय कर विक्रय करने के पश्चात् पुनः आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य पर (कर्मचारी अंश के छूट का लाभ न देते हुए) द्वितीय बार क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 200/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 08/06/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 12/06/2007, रायपुर, दिनांक 08.06.2007

विषयः— मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक—09 पर पारित संकल्प क्रमांक 443—09/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 के परिपालन में निर्देशित किया जाता है, कि मण्डल की आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण/हस्तांतरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण को नियमितीकरण करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2007 निरंतर में दिनांक 31.12.2007 की जाती है सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय, रायपुर से जारी परिपत्र क्रमांक—08/2006 दिनांक 11.10.2006 की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेगी।

अतः नियमानुसार हस्तान्तरण/नामान्तरण शुल्क जमा करवाकर नियमितीकरण करने मण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान के तहत् दिनांक 31.12.2007 तक कार्यवाही की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 201/आ.आ./सं.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 08/06/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 13/06/2007, रायपुर, दिनांक 08.06.2007

विषयः— भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक—10 पर पारित संकल्प क्रमांक 444—10/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 निर्णय लिया गया है कि एल0आई0जी0—I भवन जिनका कुर्सी क्षेत्रफल अधिकतम 17.06 वर्ग मीटर है, उन्हें जनता भवन के समतुल्य मानते हुए दाण्डिक ब्याज में 100% की छूट प्रदान की जावे इसी प्रकार एम.आई.जी.—I भवन जिनका कुर्सी क्षेत्रफल अधिकतम 33.84 वर्ग मीटर है, उन्हें एल.आई.जी. भवनों के समतुल्य मानतेहुए 50 से 60% की दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदान की जावे शेष शर्तें परिपत्र क्रमांक —07/2007 दिनांक 24.04.2007 के अनुरूप रहेंगी।

उक्त छूट परिपत्रमें छूट की अवधि दिनांक 30.06.2007 से निरंतर दिनांक 31.12.2007 तक बढ़ाई जाती है ऐसे समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनियों में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा व्यापक रूप से प्रचार—प्रसार किया जाए।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 202/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 08/06/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 14/06/2007, रायपुर, दिनांक 08.06.2007

विषयः– मण्डल की द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को एक भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक–23 पर पारित संकल्प क्रमांक 457–23/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 के परिपालन (संलग्न सूची क्रमांक–01)में दर्शित द्वितीय श्रेणी अधिकारी को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक–01 में अंकित सरल क्रमांक–01 के अधिकारी द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्त सूची क्रमांक–01 में दर्शित अधिकारी को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

01. मण्डल के अधिकारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
02. अधिकारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त अधिकारी से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त अधिकारी ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 203/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 08/06/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् द्वितीय श्रेणी अधिकारी की सूची

क्रं.	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री डी.आर. ध्रुव	शाखा अधिकारी	20.10.89	मुख्यालय रायपुर	द्वितीय	डी / 59, डी / 60 (संयुक्त) शंकर नगर रायपुर	664.00 Sqft	500 से 700 तक	Order No. 5556/ dt. 10.10.1991	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 05 दिनांक 02.08.2007

विषयः— मण्डल की आवासीय योजना में लीजरेंट, भू—संधारण व्यय, सर्विस टैक्स एवं अन्य प्रभाव को भी दर्शाने बाबत्।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय/व्यावसायिक भवनों के पंजीयन हेतु जो विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं, उनमें लीजरेंट, भू—संधारण व्यय, सर्विस टैक्स एवं अन्य प्रभार की न तो राशि भवन/भूखण्ड के मूल्य में शामिल होती है, न ही उक्त संबंध में विज्ञापन में लागत के प्रतिशत दर्शाते हुए टीप दी जाती है। भवन पूर्णता के उपरांत अंतिम भुगतान में इसे शामिल कर हितग्राहियों को सूचित किया जाता है एवं उक्त प्रकारों से भवन मूल्य में वृद्धि होती है व हितग्राही अचानक बढ़ाई गई राशि के कारण विभिन्न स्तरों पर शिकायत करते हैं अतः—

1. समस्त कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी परिपत्रजारी होने के दिनांक से उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापनों में उक्त लीजरेंट, भू—संधारण व्यय, सर्विस टैक्स एवं अन्य प्रभार जो कि भवन मूल्य का लगभग 10% (अनुमानित) होगा, पृथक से देय होगा, बाबत् स्पष्ट टीप अंकित करेंगे, ताकि पंजीयन के पूर्व ही हितग्राहियों को ज्ञात हो सके कि संसूचित मूल्य के अतिरिक्त लगभग 10% राशि उक्त प्रभार हेतु पृथक से देय होगी।
2. योजना में भवनों का कुर्सी का क्षेत्रफल एवं सुपर बिल्ट—अप क्षेत्रफल पृथक—पृथक दर्शाया जाये।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 3688/आ.आ./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 02/08/2007

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशा.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त (तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 15/2007, रायपुर, दिनांक 24.09.2007

विषयः– मण्डल की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 18वाँ सम्मिलन दिनांक 12.09.2007 की पद संख्या क्रमांक–21 पर पारित संकल्प क्रमांक 480–21/18/09/2007 दिनांक 12.09.2007 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक–01) में दर्शित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक–01 में अंकित सरल क्रमांक –01 से 02 के कर्मचारियों द्वारा भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्त सूची क्रमांक–01 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारी से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने पूर्व में मण्डल से भवन/भूखण्ड क्रय किया है अथवा नहीं।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 410/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 24/09/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् द्वितीय श्रेणी अधिकारी की सूची

क्रं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री जोहर लाल साहू	भृत्य	09.10.87	संभाग दुर्ग	चतुर्थ	डी/3, पद्मनाभपुर दुर्ग	21.85 Sqft	200 से 300 तक	31.12.2005	प्रस्तुत है	डेजिग्नेटेड
2.	श्री तुलसीदास वैष्णव	भृत्य	1973	संभाग दुर्ग	चतुर्थ	डी/4, पद्मनाभपुर दुर्ग	21.85 Sqft	200 से 300 तक	.	प्रपत्र 'अ' प्रस्तुत शपथ पत्र अप्राप्त	डेजिग्नेटेड

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 16/2007, रायपुर, दिनांक 24.09.2007

विषयः– निःशक्तजनों को जलकर में 50% की छूट प्रदान करने के संबंध में।

मण्डल के 18 वाँ सम्मिलन दिनांक 12.09.2007 की पद संख्या क्रं. 17 पर पारित संकल्प क्रं–476–17/18/09/2007 के तारतम्य में जिन कॉलोनियों में मण्डल द्वारा जल प्रदाय किया जा रहा है एवं जलकर की राशि वसूल की जा रही है, उन कॉलोनियों में निशक्तजनों के लिये जलकर की राशि में 50% छूट प्रदान की जाती है यह आदेश जारी होने की तिथि से ही माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 411/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 24/09/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 17/2007, रायपुर, दिनांक 25.09.2007

विषयः– मण्डल द्वारा निर्मित भवनों के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूँजीगत ब्याज में संशोधन बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 18वाँ सम्मिलन दिनांक 12.09.2007 की पद संख्या क्रमांक–18 पर पारित संकल्प क्रमांक 477–18/18/09/2007 दिनांक 12.09.2007 के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्मित की जाने वाली सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किये जाने वाले पूँजीगत ब्याज गृह निर्माण मण्डल के परिपत्रक्रं. 01 दिनांक 04.06.2004 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

निर्माण लागत सीमा (पूंजीगत ब्याज तथा पर्यवेक्षण शुल्क को छोड़कर सभी अन्य व्यय सहित)	पूंजीगत ब्याज दर
रू. 0.50 लाख तक	10%
रू. 0.50 लाख से 1.00 लाख तक	11%
रू. 1.00 लाख से 2.00 लाख तक	13%
रू. 2.00 लाख से अधिक	15%
व्यवसायिक	17%
भू–अर्जन एवं विकास कार्य	16%

उक्त सभी दरें उन योजनाओं जिनका मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.07 तक स्वीकृत नहीं हुआ है, पर लागू होगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 412/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 25/09/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 18/2007, रायपुर, दिनांक 25.09.2007

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 19वाँ सम्मिलन दिनांक 12.09.2007 की पद संख्या क्रमांक–19 पर पारित संकल्प क्रमांक 478–19/18/09/2007 दिनांक 12.09.2007 द्वारा मण्डल हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित है और किन्हीं–किन्हीं कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि नहीं जमा करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही है। दाण्डिक ब्याज में छूट हेतु पूर्व में जारी परिपत्रदिनांक 31.10.2007 तक लागू रहेगा।

भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जारी कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक 01 नवम्बर 2007 से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगाः–

1. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) तीन माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 100% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) छः माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 90% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) नौ माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 80% छूट की पात्रता होगी।
2. एल.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लिये :–
 - (अ) एक माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 100% छूट की पात्रता होगी। (30.11.07)
 - (ब) दो माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिकब्याज 90% छूट की पात्रता होगी। (31.12.07)
 - (स) चार माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 80% छूट की पात्रता होगी। (20.02.08)
 - (द) छः माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 70% छूट की पात्रता होगी।
3. एम.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) एक माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 70% छूट की पात्रता होगी।

(ब) दो माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 60% छूट की पात्रता होगी।

(स) तीन माह में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।

4. एच.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 25% छूट दिनांक 31.12.2007 तक पूर्ववत निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी रहेगी तत्पश्चात् मण्डल नियमों में प्रावधान अनुसार भवन/भूखण्ड की बकाया राशि वसूली करेगा।

ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी./एम.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्ड के हितग्राहियोंं को दाण्डिक ब्याज में छूट दिनांक 01.11.2007 से लागू है। समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 413/आ.आ./स.प्र./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 25/09/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.सं. जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 19 दिनांक 06.12.2007

विषयः– पंजीयन एवं आधिपत्य में विलम्ब होने पर सुरक्षा शुल्क लिया जाना।

विषयांतर्गत मण्डल द्वारा आवासीय भवनों के निर्माण की पूर्णता पर आबंटितयों को विक्रय पत्र/भाड़ाक्रय का अनुबंध निष्पादित कर आधिपत्य लेने हेतु सूचित किया जाता है कई प्रकरणों में यह देखने में आया है कि आबंटी जान–बूझकर अवशेष राशि एवं प्रभार जमा नहीं करते हैं और विक्रय पत्र/अनुबंध का निष्पादन भी नहीं करते हैं परिणामतः निर्मित भवनों की सुरक्षा मण्डल को करना पड़ती है, दूसरी ओर स्थल पर पदस्थ कर्मचारी सभी भवनों के आधिपत्य पूर्ण होने तक इस प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से संलग्न रहते हैं इसके अतिरिक्त सुरक्षा प्रयासों के बाद भी सेनेटरी एवं लाईट फिटिंग आदि के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाओं को नहीं रोका जा सकता है तथा जिन्हें बाद में आधिपत्य देते समय मण्डल को यथास्थिति सुधार कर ही आधिपत्य देना होता है।

अतः इस समस्या के निराकरण के लिये ऐसे आबंटियों से जो भवन पूर्ण होने के उपरांत एवं पंजीकृत डाक से सूचना देने के पश्चात् अवशेष राशि जमा कर भाड़ाक्रय अनुबंध निष्पादन या विक्रय पत्र के निष्पादन या आधिपत्य की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यवाही के लिये उपस्थिति नहीं होते हैं, उनसे भवनों की श्रेणी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी परिपत्र क्रं. 13/2001 दिनांक 01.03.2001 को संशोधित कर निम्नानुसार सुरक्षा शुल्क लिया जाना निर्धारित किया जाता हैः– यह दिनांक 01.12.2007 से प्रभावशाली होगा।

1.	उच्च आय वर्गीय भवनों हेतु	–	रूपये 2,000.00 प्रतिमाह
2.	मध्यम आय वर्गीय भवनों हेतु	–	रूपये 1,500 प्रतिमाह
3.	निम्न आय वर्गीय भवनों हेतु	–	रूपये 1,000 प्रतिमाह
4.	अटल आवास/आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गीय भवनों हेतु	–	रूपये 300.00 प्रतिमाह

यह सुनिश्चित कर लें कि इसकी सूचना पूर्व में ही सम्पत्ति अधिकारी अपने पंजीकृत पत्र में उल्लेखित किया है। यदि मण्डल द्वारा केवल भूखण्ड का आबंटन किया जा रहा है व उसके आधिपत्य में विलम्ब होता है, तो उक्त शुल्क का 50 प्रतिशत भारित किया जावे।

उपरोक्त भवन का आधिपत्य लेते ही प्रक्रिया के अंतर्गत यदि आबंटी भवन में कुछ कमियाँ पाता है, ऐसी स्थिति में संबंधित भवन में वांछित सुधार कर पुनः सम्पत्ति शाखा/कार्यपालन यंत्री के माध्यम से आधिपत्य लेने की सूचना देंगे। इसके पश्चात् भी

आबंटी को संतोष नहीं हो तो इस संबंध में उपायुक्त मुख्यालय में 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करेंगे, जो अंतिम रूप से मान्य होगा।

उपायुक्त के अंतिम निर्णय के पश्चात् भी आबंटी द्वारा आधिपत्य लेने या विक्रय पत्र या अनुबंध के निष्पादन में विलंब किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार प्रतिमाह सुरक्षा शुल्क देय होगा, जिसकी वसूली विक्रय पत्र निष्पादन एवं आधिपत्य के समय की जावेगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 496/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या./07 रायपुर, दिनांक 06/12/2007

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 01/08/2008, रायपुर, दिनांक 08.02.2008

विषयः– पंजीयन एवं आधिपत्य में विलम्ब होने पर सुरक्षा शुल्क लिया जाना।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ऐसे आबंटियों को जो भवन पूर्ण होने के उपरांत एवं सूचना देने के उपरांत अवशेष राशि जमा कर भाड़ाक्रय अनुबंध या विक्रय पत्र के निष्पादन या आधिपत्य की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यवाही के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, उनसे भवनों की श्रेणी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा शुल्क लिये जाने के लिए अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरांत परिपत्रक्रं. 19 दि. 06.12.2007 जारी किया गया है। 19वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.01.2008 के द्वारा पद संख्या क्रं.–23 पर पारित संकल्प क्रं. 520–23–19–01/2008 दिनांक 11.01.2008 के द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 19 दि. 06.12.2007 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 02/2008, रायपुर, दिनांक 08.02.2008

विषयः– मण्डल के तृतीय श्रेणी (कार्यभारित) कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 19वाँ सम्मिलन दिनांक 11.01.2008 की पद संख्या क्रमांक–22 पर पारित संकल्प क्रमांक 519–22/19/01/2008 दिनांक 11.01.2008 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक–01) में दर्शित तृतीय श्रेणी (कार्यभारित) कर्मचारी को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक–01 में अंकित सरल क्रमांक–01 के कर्मचारी द्वारा भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्त सूची क्रमांक–01 में दर्शित कर्मचारी को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालीयन प्रकरण लम्बित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारी से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने पूर्व में मण्डल से भवन/भूखण्ड क्रय किया है अथवा नहीं।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जाये। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 685/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 08/02/2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन
भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय श्रेणी कर्मचारी की सूची

क्रं.	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री कमलनारायण नायक	कार्यभारित सहायक	27.12.97	उपसंभाग क्रं.–1, रायपुर	तृतीय	एम.डी.37 हीरापुर, रायपुर	41.50 Sqft	300 से 400 तक	26-11-1998	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 03/ /2008, रायपुर, दिनांक 22.02.2008

विषयः— मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 19वाँ सम्मिलन दिनांक 11.01.2008 की पद संख्या क्रमांक—44 पर पारित संकल्प क्रमांक 541—44/19/01/2008 दिनांक 11.01.2008 द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के कर्मचारियों को एक बार भाटकीय भवन क्रय/विक्रय करने के पश्चात् पुनः आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य पर (कर्मचारी अंश के छूट का लाभ न देते हुए) द्वितीय बार क्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती हैः—

1. यह अनुमति केवल एक बार भाटकीय भवन को पूर्ण मूल्य पर परिवर्तन कर क्रय करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में प्रदान की जाती है।
2. जो कर्मचारी/अधिकारी भाटकीय भवन को पूर्ण मूल्य पर क्रय करना चाहते हैं, मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र के साथ संबंधित संभागीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. यह सुविधा इस आदेश के जारी होने से एक माह की अवधि तक लागू रहेगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 58/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 22/02/2008

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 06/2008, रायपुर, दिनांक 13.05.2008

विषयः— मण्डल की आबंटित आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण के निवासरत व्यक्तियों के प्रकरण नियमितीकरण के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 17वाँ सम्मिलन दिनांक 04.06.2007 की पद संख्या क्रमांक—09 पर पारित संकल्प क्रमांक 443—09/17/06/2007 दिनांक 04.06.2007 के परिपालन में निर्देशित किया गया था, कि मण्डल की आवासीय सम्पत्ति में बिना नामान्तरण/हस्तांतरण के निवासरत् व्यक्तियों के प्रकरण को नियमितीकरण करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2007 निर्धारित थी इस तिथि को निरन्तर में दिनांक 31.12.2008 तक मण्डल की स्वीकृति की प्रत्याशा में बढ़ाई जाती है। सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय रायपुर से जारी परिपत्र क्रमांक— 08/2006 दिनांक 11.10.2006 की अन्य कंडिकाएं यथावत रहेगी।

अतः नियमानुसार हस्तान्तरण/ नामान्तरण शुल्क जमा करवाकर नियमितीकरण करने मण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान के तहत् दिनांक 31.12.2008 तक कार्यवाही की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 2206/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 13/05/2008

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 07 दिनांक 16.07.2008

विषयः— भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु दाण्डिक ब्याज में छूट बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 21वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 05.07.2008 की पद संख्या क्रमांक—16 पर पारित संकल्प क्रमांक 609—16/21/07/2008 द्वारा मण्डल के हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित है और किन्हीं विशेष कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही है दाण्डिक ब्याज में छूट दिनांक 31.10.2008 तक लागू रहेगा।

भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक 01.08.2008 से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगाः—

1. एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवन/भूखण्डों हेतुः—
 (अ) माह अगस्त, सितंबर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 100% छूट की पात्रता होगी।
 (ब) माह अक्टूबर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 90% छूट की पात्रता होगी।
2. एम.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्डों हेतु :—
 (अ) माह अगस्त, सितम्बर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 75% छूट की पात्रता होगी। (30.11.07)
 (ब) माह अक्टूबर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी। (31.12.07)
3. एच.आई.जी. श्रेणी के भवन/भूखण्डों हेतु :—
 (अ) माह अगस्त/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।
 (ब) माह सितम्बर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिकब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।
 (स) माह अक्टूबर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।

3. व्यवसायिक भवन/भूखण्ड, स्कूल भवन/भूखण्डों हेतुः—
 (अ) माह अगस्त/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।

(ब) माह सितम्बर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।

(स) माह अक्टूबर/2008 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।

निर्धारित तिथि के पश्चात् मण्डल के नियमों में प्रावधान अनुसार भवन/ भूखण्ड/ व्यवसायिक भवन/भूखण्ड/स्कूल भवन/भूखण्ड की बकाया राशि की वसूली करेगा।

समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 256/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 16/07/2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियो. रायपुर/ दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/ कोरबा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 08 दिनांक 16.07.2008

विषयः— मण्डल के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 21वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 05.07.2008 की पद संख्या क्रमांक—15 पर पारित संकल्प क्रमांक 608—15/21/07/2008 के परिपालन में श्री के.व्ही. राव, सहायक को आबंटित भाटकीय भवन क्रमांक डी/63 द्वितीय तल, शंकर नगर, सेक्टर—1, रायपुर, कुर्सी क्षेत्रफल 332.00 वर्गफीट पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त कर्मचारी द्वारा द्वितीय बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत निर्मित किये गये हैं।

श्री के.व्ही.राव सहायक को निम्न शर्तों पर भवन क्रमांक डी./63, द्वितीय तल, शंकर नगर, सेक्टर—1, रायपुर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारी से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण समपदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक—04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय—समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवन का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने के उपरांत आबंटन आदेश संबंधित सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 257/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 16/07/2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।
11. श्री के.व्ही. राव, सहायक, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 09/2008 रायपुर दिनांक 18.07.2008

विषयः– शंकर नगर सेक्टर–2 स्थित भवन क्रमांक एच.आई.जी. 27 एवं 28 के सामने स्थित भूमि के उपयोग हेतु अनुमति देने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 21वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 05.07.2008 की पद संख्या क्रमांक–27 पर पारित संकल्प क्रमांक 620–27/21/07/2008 के परिपालन में श्रीमती सुशीला देवी मूणत भवन स्वामी क्रमांक एच.आई.जी. 27 एवं 28 को अस्थाई रूप से 159.24 वर्ग मीटर (1713.42 वर्गफुट) भूमि जो कि किसी के उपयोग की नहीं है, का निस्तारी कार्य हेतु प्रति वर्ष रूपया 7471.00 के आधार पर किराये पर आबंटन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

01. उक्त भूमि मण्डल के नियमानुसार वार्षिक किराया आधार पर 01 वर्ष हेतु किराया रू. 7,471.00 के आधार पर आबंटित किया जाता है।
02. उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य की अनुमति प्रदाय नहीं की जावेगी।
03. उक्त भूमि का उपयोग केवल बागवानी/निस्तार हेतु किया जाएगा।
04. मण्डल के नियमानुसार प्रार्थी को लाईसेंस करार (अनुबंध) मण्डल के साथ करना होगा एवं वैद्यता 01 वर्ष हेतु होगी अनुबंध समाप्ति के पूर्व प्रार्थी को अनुबंध नवीनीकरण कराना होगा एवं तदानुसार प्रार्थी को किराया मण्डल में जमा करानी होगी। अनुबंध नवीनीकरण न कराने की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. मण्डल को जब भी उक्त भूमि की आवश्यकता होगी मण्डल अनुबंध निरस्त करके उक्त भूमि को वापस प्राप्त कर सकेगा।
06. उक्त भूमि का लाईसेंस करार (अनुबंध) करना होगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 258 / आ.आ. / स.प्र. / मुख्या. / 08 रायपुर, दिनांक 16 / 07 / 2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1 / 2 / 3 राजधानी परियोजना रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / जगदलपुर / परि.संभाग जशपुर / रायगढ़ / राजनांदगांव।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 10/2008 रायपुर, दिनांक 27.08.2008

विषयः— मण्डल के कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 22वाँ सम्मिलन दिनांक 15.09.2008 की पद संख्या क्रमांक 23 पर पारित संकल्प क्रमांक 643—23/22/09/2008 के परिपालन में श्री कमलेश तिवारी, प्रधान आरक्षक को आबंटित भवन क्रमांक—डी/61 द्वितीय तल शंकर नगर सेक्टर—1, रायपुर कुर्सी क्षेत्रफल 331.61 वर्गफीट एवं श्री तुलसीदास वैष्णव, चालक को आबंटित भाटकीय भवन क्रमांक—पी/6 शंकर नगर, सेक्टर—1, रायपुर कुर्सी क्षेत्रफल 32.27 वर्गफीट, पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत निर्मित किये गये हैं।

श्री कमलेश तिवारी, प्रधान आरक्षक एवं श्री तुलसीदास वैष्णव, चालक को निम्न शर्तों पर भवन क्रमांक —डी/61 द्वितीय तल, पी/6 सेक्टर—1, शंकर नगर रायपुर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाए।

1. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
2. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन लंबित नहीं है।
3. उक्त कर्मचारी से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
4. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा, मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रक्रं.—04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय—समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो, उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्त आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्न :— सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 358 / आ.आ. / सं.प्र.शा. / मुख्या. / 2012 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. लेखा अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 / 3 / 4 रायपुर / राज.परि. संभाग–1 / 2रायपुर / परि.सं.दुर्ग / दुर्ग / राजनांदगांव / बिलासपुर / जगदलपुर / रायगढ़ / कोरबा (छ.ग.)
11. श्री / श्रीमती

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सूची क्रमांक–1,
भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर
भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी का क्षेत्रफल वर्गफुट	कर्मचारियों को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र अ एवं शपथ पत्र किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कमलेश तिवारी	प्रधान आरक्षक	09.12.2004 प्रतिनियुक्ति पर	मुख्यालय रायपुर	तृतीय श्रेणी	डी./61, शंकर नगर, रायपुर	331.61	300 से 400 तक	11.11. 2005	हाँ	भाड़ाक्रय
2.	श्री तुलसी दास वैष्णव	चालक	18.09.1998	मुख्यालय रायपुर	तृतीय श्रेणी	पी./06, शंकर नगर रायपुर	32.27	300 से 400 तक	19.12. 2006	हाँ	भाड़ाक्रय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 11 दिनांक 13.10.2008

विषयः– मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं में जमा पंजीयन राशि पर ब्याज दिये जाने बाबत्

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मण्डल की योजनाओं में 06 माह या उससे अधिक अवधि के विलम्ब होने की स्थिति में एवं हितग्राही द्वारा जमा पंजीयन राशि वापस करने की मांग करने पर उसे 5% ब्याज देते हुए पंजीयन राशि वापस किया जाना सुनिश्चित कया जावे। यह परिपत्र सिर्फ उन योजनाओं पर लागू होगा, जिनके प्रारम्भ में 06 माह या उससे अधिक विलम्ब हो इस परिपत्र के जारी होने के समय जो योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं उन पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 364/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 13/10/2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय, शंकर नगर रायपुर

// आदेश //

क्रमांक 39 दिनांक 17.01.2008

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 167 दिनांक 22.03.2007 के द्वारा उपायुक्त (तकनीकी–1) को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक–1/2/3, रायपुर/राजधानी परियोजना संभाग, रायपुर/दुर्ग हेतु अपीलीय अधिकारी नामांकित किया गया था उक्त आदेश के निरन्तर में मुख्यालय, रायपुर हेतु उपायुक्त (तकनीकी–1) को अपीलीय अधिकारी, के रूप में नामांकित किया जाता है

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 313/आ.आ./स.प्र./मुख्या./08 रायपुर, दिनांक 17/07/2008

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. एस.सी.एण्ड ए. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
8. प्रभारी परीक्षण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 01/2009 रायपुर, दिनांक 28.02.2009

विषयः– पं. दीनदयाल आवास योजनांतर्गत खम्हारडीह में रिक्त 24 भवनों को विक्रय किये जाने बाबत्

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 23वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07.02.2009 की पद संख्या क्रमांक 16 पर पारित संकल्प क्रं. 660–16/23/02/2009 के परिपालन में खम्हारडीह रायपुर में दीनदयाल आवास योजनांतर्गत निर्माणाधीन 624 भवनों का निर्माण किया गया, शॉपिंग कॉम्पलेक्स के ऊपर द्वितीय तल तथा चतुर्थ तल पर निवासियों के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करने तथा उक्त सामुदायिक भवन निर्माण पर होने वाली व्यय राशि रूपये 91.00 लाख (रूपये इन्क्यानबे लाख) का समायोजन रिक्त भवन क्रं. 24, 69, 91, 119, 138, 142, 214, 239, 283, 336, 402, 403, 412, 430, 457, 474, 478, 487, 502, 504, 546, 617, 644, 465 (कुल भवन 24) भवनों को ऑफर के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 95/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 28/02/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 02/2009 रायपुर, दिनांक 28.02.2009

विषयः– मण्डल की प्रस्तावित योजनाओं में जमा पंजीयन राशि पर ब्याज दिये जाने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 23वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07.02.2009 की पद संख्या क्रमांक 15 पर पारित संकल्प क्रं. 659–15/23/02/2009 के परिपालन में हितग्राहियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल की योजनाओं में 6 माह से अधिक के विलम्ब की स्थिति में एवं हितग्राहियों द्वारा जमा पंजीयन राशि वापस मांगने पर हितग्राहियों को 5 प्रतिशत ब्याज देते हुए पंजीयन राशि वापस किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त परिपत्र क्रमांक 11 दिनांक 13.10.2008 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 96/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 28/02/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/राजनांदगांव।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 03/2009 रायपुर, दिनांक 27.08.2009

विषयः– मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 25वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.08.2009 की पद संख्या क्रमांक 10 पर पारित संकल्प क्रं. 717–10/25/08/2009 दिनांक 11/8/2009 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक–01) में दर्शित प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक –01 में अंकित सरल क्रमांक 02 से 04 तक के कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्त सूची क्रमांक 01 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किए जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी हो।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारियों से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया। समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरान्त आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 308/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 27/08/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता (प्रशासन), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/रायगढ़/राजनांदगांव/कोरबा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रं.	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री एच.एस. चंदेल	सम्पदा अधिकारी	26.02.76	मुख्यालय रायपुर	प्रथम श्रेणी	ए–32 सूर्या अपार्टमेन्ट रायपुर	110.50 Sqmt	700 से 900 तक	27.06.2007	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय
2.	श्री रज्जू सिंह राजपूत	सहायक	18.06.86	संभाग–दुर्ग	तृतीय श्रेणी	एस–5, पद्मनाभपुर, दुर्ग	61.20 Sqmt	300 से 400 तक	30.01.2006	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय
3.	श्री नंदलाल रावत	सहायक	09.10.87	संभाग–दुर्ग	तृतीय श्रेणी	एस–6, पद्मनाभपुर, दुर्ग	61.20 Sqmt	300 से 400 तक	26.03.2008	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय
4.	श्री तोपसिंह चन्द्राकर	भृत्य	02.11.87	संभाग दुर्ग	चतुर्थ श्रेणी	डी–4, पद्मनाभपुर दुर्ग	21.85 Sqmt.	200 से 300 तक	18.08.2008	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय

हस्ता./
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंध शाखा

परिपत्र

क्रमांक 04 दिनांक 28.08.2009

विषयः— मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भवन/भूखण्ड के हस्तान्तरण होने पर हस्तांतरण शुल्क भारित करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 25वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.08.2009 की पद संख्या क्रमांक—11 पर पारित संकल्प क्रं. 718—11/25/08/2009 के परिपालन में मण्डल द्वारा हस्तान्तरण शुल्क की वर्तमान दरों को युक्तियुक्त करने हेतु आवासीय सम्पत्ति के हस्तान्तरण शुल्क संबंधी सभी परिपत्र को निरस्त करते हुए निम्नानुसार भवन/भूखण्ड हस्तान्तरण/नामांतरण शुल्क निर्धारित किया गया हैः—

(क) जब आवासीय भवन/भूखण्ड का हस्तांतरण भाड़ाक्रय की अनुबंधित अवधि में या विक्रय अभिलेख के निष्पादन के पूर्व हो रहा होः—

(1) आबंटन की तिथि से 1 वर्ष तक हस्तांतरण प्रतिबंधित रहेगा।

(2) आबंटन की तिथि से 1 वर्ष के पश्चात् आवासीय भू—खण्ड हेतु मण्डल के विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत् तथा भवन हेतु मण्डल के विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क देय होगा।

(ख) जब हस्तांतरण विक्रय अभिलेख निष्पादन के पश्चात् हो रहा होः—

आबंटित आवासीय सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त होकर विक्रय अभिलेख निष्पादित हो चुका हो उसके उपरांत सम्पत्ति का हस्तांतरण आबंटन की तिथि के पश्चात् किसी भी समय हो रहा है तो ऐसे प्रकरणों में जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड—लाईन में उल्लेखित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से हस्तान्तरण शुल्क हस्तांतरण के समय लिया जाए।

हस्तान्तरण एवं नामांतरण के फलस्वरूप पुनः लीज परिवर्तन हेतु पूर्व में जारी परिपत्र अनुसार रूपये 2500/— तथा रूपये 5000/— शुल्क पृथक से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शासन की विशेष योजना यथा जनप्रतिनिधियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों एवं पत्रकारों हेतु हस्तान्तरण समय सीमा, इन योजनाओं में शासन द्वारा निर्धारित नियम/शर्तों अनुसार होगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 311/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 28/08/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंध शाखा

परिपत्र

क्रमांक 05/2009, रायपुर, दिनांक 18.11.2009

विषयः– मण्डल के कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को एकमुश्त आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 26वाँ सम्मिलन दिनांक 10.11.2009 की पद संख्या 13 पर पारित संकल्प क्रं. 732–13/26/11/2009 दिनांक 10.11.2009 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक–01) में दर्शित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक 01 में अंकित सरल क्रमांक 01 के कर्मचारियों द्वारा प्रथम बार भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है एवं आवेदित भवन भाड़य योजना/किराये योजनांतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उक्त सूची क्रमांक 01 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किए जाए।

01. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी हो।
02. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हों तथा कोई विवाद न्यायालीयन प्रकरण लंबित नहीं हो।
03. उक्त कर्मचारियों से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भूखण्ड क्रय नहीं किया हो।
04. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रक्रमांक–04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय–समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नः– सूची 01

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 400/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 18/11/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी (ब)/ (आडिट) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परि. रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/ रायगढ़/राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

/ / प्रपत्र / /

भवन क्रय हेतु प्रथम बार आवेदन

भाटकीय भवनों को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सूची

	अधिकारियों / कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्रफल वर्गफूट	भाटकीय आधार पर आबंटित भवन का दिनांक	प्रपत्र 'अ' एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है अथवा नहीं	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	श्री आर.के. दन्देलिया	उप अभियंता	09.01.1992	संभाग कोरबा	तृतीय	एल.आई.जी. 50 कोसाबाड़ी कोरबा	26.65 Sqmt	300 से 400 तक	30.08.2007	प्रस्तुत है	भाड़ाक्रय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 06 दिनांक 27.08.2009

विषयः– रिक्तता की स्थिति में भूखण्ड/परिवर्तन हेतु शुल्क के संबंध में।

25वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.08.2009 में लिए गये निर्णय के पद संख्या क्रमांक 06 के संकल्प क्रं. 713–06/25/08/2009 के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में भवन/भूखण्ड रिक्तता की स्थिति में परिवर्तन हेतु पूर्व में जारी म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के परिपत्र क्रं. 3808/स.प./03/97 दिनांक 01.10.1997 द्वारा निर्धारित शुल्क में संशोधन करते हुए (1) अटल आवास/ई.डब्ल्यू.एस.भवन/भूखण्ड हेतु रू. 1000.00 (2) निम्न आय वर्ग/दीनदयाल आवास हेतु रू. 2000.00 (3) एम.आई.जी. हेतु रू. 5000.00 एवं (4) एच.आई.जी. हेतु रू. 10,000.00 भवन/भूखण्ड परिवर्तन शुल्क लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 1733/आ.आ./स.प्र./मुख्या./09 रायपुर, दिनांक 27/08/2009

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी (ब)/ (आडिट) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

कार्यालयीन आदेश

क्रमांक 518 दिनांक 04.11.2009

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के निर्माण कार्य सम्पदा प्रबंधन तथा लेखा एवं स्थापना के कार्य को कम्प्युटराइजेशन किया जाना है। इस कार्य हेतु एन.आई.सी., रायपुर के माध्यम से कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर डिजाइनिंग का कार्य किया जा रहा है। साफ्टवेयर तैयार करने हेतु एन.आई.सी. के सहयोग एवं परामर्श के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः–

निर्माण कार्य के संबंध में

1.	श्री एस.के. चौधरी	अपर आयुक्त
2.	श्री ए.के. सक्सेना	उपायुक्त
3.	श्री डी.के. दीवान	उपायुक्त (प्रभारी)
4.	श्री हर्ष कुमार जोशी	कार्यपालन अभियंता
5.	श्री एच.के. वर्मा	कार्यपालन अभियंता

लेखा एवं स्थापना कार्य

1.	श्री पी.के. सोनवानी	मुख्य लेखा अधिकारी
2.	श्री सी.एस. बाजवा	लेखा अधिकारी

सम्पदा प्रबंधन का कार्य

1.	श्री एच.एस. चन्देल	सम्पदा अधिकारी
2.	श्री डी.के. देवांगन	सम्पदा प्रबंधन

निर्देशित किया जाता है कि साफ्टवेयर तैयार करने का कार्य दो माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है अतः उपरोक्त समिति एन.आई.सी. से निरंतर सम्पक्र कर प्रस्तावित साफ्टवेयर हेतु कार्यों के सम्पादन प्रक्रिया विधि के साथ–साथ रिपोटिंग एवं मानिटरिंग के प्रपत्रों को तैयार करने की कार्यवाही करें एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें। कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब अथवा उदासीनता पाई जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 4580 / आ.आ. / स.प्र. / मुख्या. / 09 रायपुर, दिनांक 4 / 11 / 2009

प्रतिलिपिः–

1. राज्य सूचना प्राद्योगिकी अधिकारी, डी.के.एस.भवन मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. श्री एस.के. चौधरी, अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. श्री ए.के. सक्सेना, उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
4. श्री डी.के. दीवान, उपायुक्त (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. श्री पी.के. सोनवानी, मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
7. श्री सी.एस. बाजवा, लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
8. श्री एस.एस. चन्देल, सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. श्री हर्ष कुमार जोशी, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, परियोजना संभाग दुर्ग।
10. श्री एच.के. वर्मा, कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग क्रं.–3, रायपुर।
11. श्री डी.के. देवांगन, सम्पदा, प्रबंधन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक–1, रायपुर।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 01 दिनांक 02.06.2010

विषयः– संभाग के अंतर्गत पदस्थ सहायक अभियंता द्वारा अपने–अपने उप संभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी, सम्पदा प्रबंधन का कार्य किए जाने बाबत्।

मण्डल के विभिन्न संभागों की आवासीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कई स्थानों पर सम्पूर्ण पंजीयन होने के उपरांत भी विभिन्न चरणों में हितग्राहियों द्वारा जो राशि जमा की जाती है, वह राशि संबंधित हितग्राहियों के लेजर खाते में इन्द्राज नहीं होती है। कहीं–कहीं पर मण्डल अपनी स्वयं की निधि का उपयोग करके निर्माण कार्य कर रहा है। इस संबंध में समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नानुसार उपसंभाग में कार्य कराना सुनिश्चित करेंगेः–

1. कार्यस्थल पर जितने भवनों की निविदाएं हुई हैं, उतने भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी जानकारी समस्त उपसंभागों के सहायक अभियंता एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी, सम्पदा प्रबंधन नियमित रूप से एक पंजी संधारित करेंगे
2. योजना के विज्ञापन की प्रतिलिपि भी वे उक्त पंजी में नस्तीबद्ध करके रखेंगे
3. योजना में कुल कितने पंजीयन हुए हैं एवं योजना कब प्रारम्भ की गई है, उसकी जानकारी भी पंजी में संधारित करेंगे।
4. योजना में हुई लॉटरी की दिनांक भी रजिस्टर में इन्द्राज करके रखेंगे।
5. योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम किश्त हितग्राही को जमा कराने हेतु प्रगति अनुसार अपने सम्पदा अधिकारी को सूचित करेंगे एवं इस कार्य का सम्पादन कराने हेतु आदेश जारी करने की जवाबदारी सहायक अभियंता एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी, सम्पदा प्रबंधन की होगी।
6. संबंधित सहायक अभियंता उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत योजना में पंजीयन होने के पश्चात् जो भी रिक्त भवन बचते हैं। उनकी जानकारी 'भवन क्रमांक' सहित प्रतिमाह सम्पदा अधिकारी को सूचित करेंगे।
7. सम्पदा अधिकारी आबंटन पश्चात् रिक्त सम्पत्ति का, नियमानुसार ब्याज जोड़कर एवं मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराकर, विज्ञापन प्रकाशित कर नियमानुसार ऑफर अथवा अन्य माध्यम से विक्रय/आबंटन की कार्यवाही करेंगे।

8. मण्डल की समस्त योजनाएं प्रायः स्व–वित्तीय योजनांतर्गत प्रस्तावित की जाती है, अतः निर्माण कार्य के साथ–साथ सहायक अभियंता, विशेष कर्तव्य अधिकारी, सम्पदा

प्रबंधन योजना से संबंधित हितग्राहियों से किश्तें नियमित रूप से प्राप्त हो रही है अथवा नहीं, यह भी ध्यान देंगे व समय पर अप्राप्त किश्तों की वसूली हेतु सक्षम कार्यवाही/प्रयास करेंगे।

9. सहायक अभियंताओं के कार्यों की समीक्षा की जावेगी एवं तदानुसार गोपनीय चरित्रावली में इंद्राज किया जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 210/आ.आ./स.प्र./मुख्या./10 रायपुर, दिनांक 02/06/2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
2. उपायुक्त(तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. लेखा अधिकारी (ब)/ (आडिट) छ.ग.गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर।
5. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंध शाखा

परिपत्र

क्रमांक 02 दिनांक 16.08.2010

विषयः— भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 29वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 06.08.2010 की पद संख्या क्रमांक—17 पर पारित संकल्प क्रं. 815—17/29/08/2010 द्वारा मण्डल के जिन हितग्राहियों को मण्डल द्वारा भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित है और किन्हीं कारणों से मण्डल में किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदान की जानी है।

भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ निम्नानुसार प्रदान किया जावेगा।

1. एच.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लिएः—
 - अ. 30 नवम्बर/2010 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
 - ब. माह दिसम्बर/2010 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 40 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
 - स. माह जनवरी/2011 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 30 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

2. एम.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लिएः—
 - अ. 31 दिसम्बर/2010 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 75 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
 - ब. माह जनवरी/2011 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

3. एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लिएः—
 - अ. 31 दिसम्बर/2010 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
 - ब. माह जनवरी/2011 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 90 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

4. व्यवसायिक भवन/भूखण्ड, स्कूल भवन/भूखण्डों हेतुः–

अ. 30 नवम्बर/2010 तक अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

ब. माह दिसम्बर/2010 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 40 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

स. माह जनवरी/2011 में अवशेष राशि (बकाया राशि) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 30 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।

निर्धारित तिथि के पश्चात् मण्डल नियमों में प्रावधानानुसार भवन/भूखण्ड / स्कूल भवन/भूखण्ड की बकाया राशि की वसूली करेगा।

समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए मण्डल कॉलोनियों में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे एवं दाण्डिक ब्याज में छूट का व्यापक प्रचार/प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 383/आ.आ./स.प्र./मुख्या./10 रायपुर, दिनांक 16/08/2010

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परि. रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अंबिकापुर/रायगढ़/राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

उदाहरण

हितग्राही का नाम	–	श्रीमती बलविंदर कौर	भवन का मूल्य	–	22519/–
भवन क्रमांक	–	कोर हाऊस 178, स्लाईस 2	अनुबंध की अवधि	–	20 वर्ष
कॉलोनी	–	हीरापुर रायपुर	ब्याज की दर	–	13ः
अनुबंध की तिथि	–	01.10.1991	देय वार्षिक किश्त	–	2563/–
			अन्य प्रभार सहित		

मण्डल हितग्राही का पुनरीक्षित खाता संधारण परिशिष्ट 'ब'

कुल प्रभारित दाण्डिक ब्याज की राशि दिनांक 30.09.2004 की स्थिति में रूपये	कॉलम क्रमांक 1 पर दर्शित दाण्डिक ब्याज की राशि पर 50 की छूट की राशि घटाने उपरांत रूपये	अवशेष बकाया राशि दिनांक 30.09. 2004 की स्थिति में रूपये	कुल प्राप्ति योग्य पुनरीक्षित राशि रूपये (3–2)	भुगतान हेतु अधिकतम समय–सीमा	पुनरीक्षित मासिक किश्त
1	2	3	4	5	6
78064.00	39032.00	112770.00	73738.00	5 वर्ष	1230.00

नोटः–

1. हितग्राही, उपरोक्त मासिक किश्तें प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा करेगा।
2. शेष अवधि हेतु अनुबंध के अनुसार निर्धारित तिथि को शेष वार्षिक किश्त जमा करेगा।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

उदाहरण

हितग्राही का नाम	–	श्रीमती बलविंदर कौर	भवन का मूल्य	–	22519/–
भवन क्रमांक	–	कोर हाऊस 178, स्लाईस 2	अनुबंध की अवधि	–	20 वर्ष
कॉलोनी	–	हीरापुर रायपुर	ब्याज की दर	–	13%
अनुबंध की तिथि	–	01.10.1991	देय वार्षिक किश्त	–	2563/–

अन्य प्रभार सहित

मण्डल हितग्राही का पुनरीक्षित खाता संधारण परिशिष्ट 'अ'

शेष मूलधन दिनांक 30.09.2004 की स्थिति में रूपये	ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित देय वार्शिक किश्त रूपये	कुल प्रभारित दाण्डिक ब्याज की राशि दिनांक 30.09. 2004 की स्थिति में रूपये	अवशेष बकाया राशि दिनांक 30.09.2004 की स्थिति में रूपये	एकमुश्त जमा कर खाता बंद करने पर कुल बकाया राशि दिनांक 30.09.2004 की स्थिति में रूपये (1+4)
1	2	3	4	5
11315.00	2662.00	78064.00	112770.00	124085.00

हस्ता./–
सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

परिपत्र

क्रमांक 03 दिनांक 19.08.2010

विषयः– सम्पदा प्रबंधन से संबंधित समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किए जाने बाबत्।

मण्डल के विभिन्न संभागों के सम्पदा प्रबंधन शाखा के कर्मचारियों से खाते में राशि इन्द्राज किए जाने के संबंध में जानकारी ली गई, जिससे ज्ञात हुआ कि उक्त कर्मचारियों को ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज में अंतर की जानकारी नहीं है एवं हितग्राहियों के खाते में उनसे प्राप्त राशि को ठीक ढंग से इन्द्राज नहीं किया जा रहा है।

अतः सम्पदा प्रबंधन शाखा में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी आबंटन आदेश, मासिक/वार्षिक किश्तों इत्यादि का कार्य कम्प्यूटर के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिन संभागों में पूर्व में भाड़ाक्रय योजनांतर्गत भवन आबंटित किए गए हैं, उनकी किश्तों के संबंध में भी हितग्राहियों को कम्प्यूटर के माध्यम से सूचना दी जावे एवं उनके द्वारा भुगतान की गई राशि कम्प्यूटर में इन्द्राज की जावे। हितग्राहियों द्वारा वार्षिक/ मासिक किश्त की सूचना देते समय सूचना पत्र में किश्त/ब्याज/दाण्डिक ब्याज एवं अन्य मद की राशि का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे हितग्राहियों को कार्यालय में बार–बार पूछताछ नहीं करना पड़े।

इस बाबत् पूर्व में परिपत्र क्रमांक 27/1999, दिनांक 18–06–99 को जारी कर 01–07–99 के पश्चात् निष्पादित अनुबंधों के लेखे मण्डल के बैंक पद्धति आधार पर (बिना 3 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज के) संधारण के निर्देश दिए गए थे। आपके द्वारा उक्त आधार पर कार्यवाही की गई है अथवा नहीं, सूचित करें एवं भविष्य में उक्त परिपत्रानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित)

हस्ता./–
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, भोपाल

क्रमांक 3098/सं.प्र./3/99 भोपाल, दिनांक 18.6.99

परिपत्र क्रमांक 27/1999

विषयः— मण्डल के हितग्राहियों के संधारित खातों से असमानता दूर कर एकरूपता लाने एवं भारित ब्याज/दाण्डिक प्रभाव को सरलीकृत करने बाबत्।

मण्डल द्वारा जो सम्पत्ति भाड़ाक्रय आधार पर हितग्राहियों को आबंटित की जाती है उसके खातों के संधारण में मण्डल की विभिन्न सम्पत्ति प्रबंधन शाखाओं में भिन्नता पाई गई है। यह भिन्नता मुख्यतः किश्तों की निर्धारित राशि समय पर जमा न करने पर विलंब अवधि पर देय ब्याज/दाण्डिक प्रभार के समायोजन संबंधी है, जिसमें कुछ स्थानों पर विलंब अवधि का देय ब्याज/दाण्डिक प्रभार किश्तों में शामिल कर पुनः ब्याज/दाण्डिक ब्याज को पृथक से रखकर भुगतान के समय समायोजित किया जाता है।

हितग्राहियों के खाते में एकरूपता रहे एवं दाण्डिक ब्याज के भ्रम की स्थिति को समाप्त की दृष्टि से मण्डल के 140वें सम्मिलन दिनांक 10.05.99 की पदसंख्या—13 संकल्प क्रमांक 2002—13/140—5/99 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में हितग्राहियों के साथ किये जाने वाले अनुबंधों के अंतर्गत दाण्डिक ब्याज के शब्द को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए एवं अवशेष किश्तों की राशि का समय पर भुगतान न होने पर विलंब अवधि हेतु योजना में निर्धारित ब्याज दर के अनुसार कुल अवशेष राशि (किश्त+ब्याज+अन्य प्रभार) पर ब्याज की गणना कर अवशेष राशि में शामिल किया जावे। इस प्रकार प्रतिवर्ष अवशेष राशि की गणना अवशेष राशि के कॉलम में अंकित किया जावे एवं भुगतान न होने पर पुनः अवशेष कॉलम में अंकित पूर्ण राशि पर निर्धारित दर से ब्याज प्रभारित किया जावे। गणना की यह प्रक्रिया अवशेष राशि के सम्पूर्ण भुगतान तक लागू रहेगी व इस प्रक्रिया को संलग्न पत्रक 'स' में स्पष्ट किया गया है व निम्नानुसार प्रभावशील रहेगी।

1. हितग्राहियों के लेखा संधारण की उक्त प्रक्रिया जो अनुबंध दिनांक 1.7.99 से निष्पादित होंगे उन हेतु पूर्ण रूप से प्रभावशील कर अपनाई जाएगी तथा इसका उल्लेख भाड़ाक्रय हेतु निष्पादित होने वाले अनुबंध में किया जाएगा।

2. ऐसे हितग्राही जिनका भाड़ाक्रय अनुबंध दिनांक 1.7.88 के पूर्व हुआ है उनके द्वारा भी यदि मण्डल की उक्त संधारित खाते की प्रक्रिया अपनाने हेतु आवेदन दिया जाता है तो यह प्रक्रिया संबंधित हितग्राही के निवेदन पर संबंधित सम्पत्ति अधिकारी के अनुमोदन से दिनांक 1.7.99 से अपनाई जा सकती है, परन्तु इसके पूर्व दिनांक 30.06.99 तक संधारित खाते की राशि पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार ही रहेगी।

3. ऐसी विवादित प्रकरण जिनमें हितग्राही इस नई पद्धति को अपनाने हेतु निष्पादित अनुबंध की दिनांक से अपनाने हेतु निवेदन करते हैं तो गुण दोष के आधार पर उनके प्रकरण संपत्ति अधिकारी द्वारा यदि कोई संशोधन न्यायसंगत व यथोचित समझते हैं तो, अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे। ऐसे प्रस्तावों पर संधारित खाते में नई प्रक्रिया अपनाने हेतु उसकी समयावधि बाबत् समुचित निर्देश देने हेतु अधिकृत रहेंगे।

4. ऐसे हितग्राहियों के प्रकरण जिनमें संधारित खाते के अनुसार राशि प्राप्त हो चुकी है एवं कोई बकाया अवशेष राशि नहीं है, ऐसे प्रकरणों में उक्त नई संधारित खाते की पद्धति अपनाने हेतु नहीं खोला जाएगा।

संलग्नः— प्रपत्र
नोट :— परिपत्रक्रमांक 30/99 का अवलोकन करें।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
म.प्र. गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर
भोपाल, दिनांक 18/6/99

पृ.क्रं. 3099/सं.प्र./3/99
प्रतिलिपिः— समस्त संबंधित मण्डल अधिकारियों को।

सम्पदा प्रबंध शाखा

परिपत्र

क्रमांक 01 दिनांक 14.03.2011

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा पुराने निर्मित रिक्त भवनों को मरम्मत कर विक्रय करने विषयक।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक–11 पर पारित संकल्प क्रं. 860–11/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि प्रदेश की विभिन्न संभागों के अंतर्गत ऐसे रिक्त सम्पत्ति जिनकी मांग होने के बावजूद, खराब स्थिति के कारण विक्रय नहीं हो रहा है। इन सम्पत्तियों को संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंताओं द्वारा निरीक्षण कर भवनों को विक्रय की स्थिति में लाने हेतु प्राक्कलन मुख्यालय से स्वीकृति पश्चात् सम्पत्तियों को मरम्मत एवं सुधार कर विक्रय की स्थिति में तैयार किया जाए भवनों की स्थिति में सुधार होने के पश्चात् भवनों का पुनर्मूल्य निर्धारण मुख्यालय से अनुमोदन कराकर ऑफर के माध्यम से विक्रय करने की कार्यवाही की जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 170/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 14/03/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/ दुर्ग/ बिलासपुर/ जगदलपुर/ रायगढ़/कोरबा/ अम्बिकापुर/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंध शाखा

परिपत्र

क्रमांक 02 दिनांक 14.03.2011

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31 वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक 10 पर पारित संकल्प क्रमांक 859—10/ 31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा हितग्राहियों को आधिपत्य आदेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर हितग्राही द्वारा भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जाता है, तो सम्पदा अधिकारी द्वारा भवन का आबंटन आदेश निरस्त कर, निरस्तीकरण पश्चात् हितग्राही द्वारा निरस्त आबंटन आदेश को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर भवन के विक्रय मूल्य का 5% राशि दण्डभार सहित आबंटन निरस्तीकरण आदेश की तिथि से 01 माह के भीतर जमा कराया जाता है, तो निरस्त आबंटन आदेश को पुनर्जीवित करने हेतु प्रकरण उपायुक्त मुख्यालय को प्रेषित् किया जावे एवं 01 माह के पश्चात् भी हितग्राहियों द्वारा दण्डभार जमा नहीं करने पर, ऐसे भवनों के आबंटन आदेश को निरस्त मानकर भवनों का पुर्नमूल्य निर्धारण कर ऑफर के माध्यम से विक्रय करने की कार्यवाही की जावे एवं हितग्राहियों की पंजीयन राशि राजसात कर मण्डल में जमा किए गए किश्त की राशि बिना ब्याज के वापस की जावे यह आदेश दिनांक 01.02.2011 से प्राप्त प्रकरणों हेतु लागू होंगी।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 171/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 14/03/2011

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परि. रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 03 दिनांक 14.03.2011

विषयः– मण्डल की योजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान 01 से 02 किश्तें जमा करने के पश्चात् एकमुश्त राशि जमा करने पर हितग्राहियों को छूट प्रदान करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक–12 पर पारित संकल्प क्रं. 861–12/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, कि मण्डल द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं में जिन हितग्राहियों का पंजीयन स्वीकृत होकर, आबंटन आदेश जारी हुआ है और हितग्राही आबंटित सम्पत्ति के विरूद्ध पंजीयन राशि के अलावा 04 समान किश्तों में से 01 या 02 किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि एकमुश्त जमा करना चाहते हैं, तो ऐसे हितग्राहियों को एकमुश्त जमा की जाने वाली राशि के दिनांक से आबंटन आदेश में आगे की किश्त जमा करने हेतु दी गई समयावधि तक 10% की दर से ब्याज देने की कार्यवाही की जावे। आदेश दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 172/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 14/03/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 04 दिनांक 15.03.2011

विषयः– आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति का स्वयं वित्तीय योजना एवं भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत मूल्य निर्धारण बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक–17 पर पारित संकल्प क्रं. 866–17/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा जो आवासीय या व्यावसायिक सम्पत्ति निर्मित की जाती है उसका मूल्यांकन स्वयं वित्तीय–योजना व भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत किया जाता है स्वयं वित्तीय योजना के पंजीकृत हितग्राहियों से योजना के निर्माण के समय ही विभिन्न चरणों में भवन की राशि प्राप्त की जाती है, जबकि भाड़ाक्रय में पंजीकृत हितग्राहियों को भवन के आधिपत्य के पूर्व भवन के विक्रय मूल्य का लगभग 50% राशि प्राप्त की जाती है।

मण्डल द्वारा जिन योजनाओं में भवनों का पंजीयन प्राप्त कर स्व–वित्तीय या भाड़ाक्रय/एकमुश्त में आबंटित किया गया है। उन योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात् भवनों का विक्रय केवल एकमुश्त आधार पर करते हुए स्वीकृति मूल्य निर्धारण में 10% अतिरिक्त राशि जोड़कर किया जावे तथा इसी तरह योजना की पूर्णता दिनांक के तीन माह पश्चात् भी सम्पत्ति रिक्त रहती है, तो पुनर्मूल्य निर्धारित कर ऑफर के माध्यम से विक्रय किया जावे आदेश दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 173/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 15/03/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 05 दिनांक 15.03.2011

विषयः– मण्डल की योजनाओं में निर्माण अवधि के दौरान एकमुश्त राशि जमा करने पर हितग्राहियों को छूट प्रदान करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक–13 पर पारित संकल्प क्रं. 862–13/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा निर्माणाधीन/ प्रस्तावित योजनाओं में जिन हितग्राहियों को पंजीयन स्वीकृत आबंटन आदेश जारी किया गया है या जारी किया जाना है, ऐसे हितग्राहियों को आबंटित सम्पत्ति के विरूद्ध जमा की जाने वाली प्रथम किश्त राशि के समय 04 समान किश्तें एकमुश्त जमा करने पर उन्हें सम्पत्ति के विक्रय मूल्य पर 5% की दर से छूट प्रदान की जावे आदेश दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 175/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 15/03/2011

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 06 दिनांक 15.03.2011

विषयः— भाड़ाक्रय, एकमुश्त, स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत आबंटित भवनों पर हितग्राही से विलम्ब अवधि का ब्याज लेने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक—14 पर पारित संकल्प क्रं. 863—14/31/02/2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा भाड़ाक्रय, एकमुश्त, स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत आबंटित हितग्राहियों को योजना के निश्चित समयावधि के 6 माह बाद के विलंबित अवधि का हितग्राहियों को मण्डल में जमा राशि पर 7.5% ब्याज दिया जाये एवं हितग्राही द्वारा राशि जमा करने के विलंबित अवधि का 10% की दर से ब्याज लिए जाने की कार्यवाही की जावे आदेश दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 175/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 15/03/2011

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
8. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 1–A /2012 रायपुर, दिनांक 07.01.2012

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश में विभिन्न शहरों में आवासीय भवन निर्मित किये गये है इन भवनों को मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों को आबंटित किया गया है। हितग्राहियों द्वारा मण्डल से अंतिम आबंटन आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर या मण्डल द्वारा नियत तिथि तक भवन के विरूद्ध अंतिम मूल्य निर्धारण अनुसार शेष राशि जमा किया जाता है। अंतिम राशि जमा होने के पश्चात् हितग्राहियों को भवन का आधिपत्य आदेश सम्पदा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 15 दिवस के भीतर हितग्राही को भवन का आधिपत्य संबंधित सहायक अभियंता से प्राप्त करना होता है।

प्रायः देखा गया है कि मण्डल द्वारा आधिपत्य आदेश जारी होने के कई दिनों/महिनों बाद भी हितग्राहियों द्वारा भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जाता है जिससे भवन में टूट–फूट, भवन के लगे सामग्री की चोरी तथा अधिक समय तक रिक्त रहने पर भवन क्षतिग्रस्त होता है, ऐसी स्थिति में जब हितग्राही भवन का आधिपत्य जाता है, तब मण्डल अपनी निधि से भवन को सुधार कर हितग्राही को सौंपता है जिससे मण्डल पर अनावश्यक रूप से वित्तीय भार पड़ता है।

अतः ऐसे प्रकरणों में जिसमें मण्डल द्वारा हितग्राही को आधिपत्य आदेश जारी करने के 15 दिवस के भीतर हितग्राही द्वारा भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जाता है, तो सम्पदा अधिकारी द्वारा भवन का आबंटन आदेश निरस्त किया जाता है, निरस्तीकरण पश्चात् हितग्राही द्वारा निरस्त आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 31वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.02.2011 की पद संख्या क्रमांक–10 पर पारित संकल्प क्रमांक 859–10/31/02/ 2011 के परिपालन में मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक 02 दिनांक 14.03.2011 जारी कर आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% राशि दण्ड भार के रूप में लिया जा रहा है।

मण्डल के 34वें सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 के पद संख्या 35 के संकल्प क्रं. 952–35/34/12/2011 के अनुसार निर्णय लिया गया है कि मण्डल द्वारा आबंटित भवनों के आबंटन आदेश को पुर्नजीवित करने हेतु निम्नानुसार दण्डभार राशि लिया जाएः–

क्रमांक	भवन का प्रकार	भवन का मूल्य	दण्ड भार राशि
1.	ई.डब्ल्यू.एस. भवन	—	राशि रू. 5,000/—
2.	एल.आई.जी. भवन	—	राशि रू. 10,000/—
3.	एम.आई.जी. भवन	रू. 20.00 लाख मूल्य तक	राशि रू.40,000/—
		रू. 20.00 लाख से ऊपर	राशि रू. 50,000/—
		रू. 40.00 लाख मूल्य तक	राशि रू. 80,000/—
4.	एच.आई.जी. भवन	रू. 40.00 लाख से रू. 50.00 लाख मूल्य तक	राशि रू. 1,00,000/—
		रू. 50.00 लाख मूल्य से ऊपर	राशि रू. 1,50,000/—

परिपत्र क्रं0—2 दिनांक 14.03.2011 को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है संशोधित परिपत्र के जारी होने के पूर्व निराकृत प्रकरणों को पुनः न खोला जावे यह परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा ।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 11/आ.आ./स.प्र./मुख्या./11 रायपुर, दिनांक 107/01/2012

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी) I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/कोरबा/अम्बिकापुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 02/2012 रायपुर, दिनांक 10.01.2012

विषयः– शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन हेतु दिशा निर्देश बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनियों में शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन हेतु दिशा–निर्देश परिपत्रक्रं.–3/2007 दिनांक 17.01.2007 द्वारा जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन में व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल के 34वें सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 की पद संख्या 25 पर पारित संकल्प क्रं. –942–25/34/12/2011 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र को संशोधित कर अनुमोदन किया गया है।

मण्डल से अनुमोदित दिशा–निर्देश 2011 की प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त संशोधित निर्देश मण्डल सम्मिलन में दी गई स्वीकृति के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 15/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 10/01/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/ कोरबा/अम्बिकापुर/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

शिक्षण संस्थानों को भूमि आबंटन निर्देश

क्रमांक 02/2012 रायपुर, दिनांक 10.01.2012

1. यह निर्देश छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी में शिक्षण संस्थाओं के लिए आरक्षित भूखण्डों के ''आबंटन निर्देश 2011'' कहे जावेंगे।
 (1) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।
 (2) यह निर्देश मण्डल सम्मिलन में दी गई स्वीकृति की दिनांक से प्रभावशील माने जावेंगे।
2. इस निर्देश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, निम्नलिखित को छोड़कर निर्देश में अंकित शब्द अथवा शब्द समूह की वही परिभाषाएं होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 2 में उल्लेखित है, लेकिन यह और भी कि इस निर्देश में उल्लेखित निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार होगीः–
 (1) शाला भवन हेतु आरक्षित भूमि से अभिप्रेत है, गृह निर्माण स्कीम/भूमि विकास स्कीम के अंतर्गत शाला भवन हेतु आरक्षित भूमि।
3. शाला हेतु आरक्षित विकसित भूमि/भवन के आबंटन
 शाला हेतु आरक्षित भूमि/भवन निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं को आबंटित किए जा सकेंगे।
 (1) शिक्षण संस्था के विभाग प्रमुख, कलेक्टर को भी प्रस्तावित शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी जावे।
 (2) राज्य शासन के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा शिक्षा विभाग।
 (3) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग।
 (4) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य शिक्षण संस्थाएं।

4. आवेदन एवं आबंटन प्रक्रियाः–
 आवेदन एवं आबंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–
 (1) प्रथमतः शिक्षण संस्थाओं को आबंटित की जाने वाली भूमि का ऑफर शिक्षण संस्था के विभाग प्रमुख, कलेक्टर को भूमि आबंटन प्रस्ताव भेजी जाने के साथ भूमि का ऑफर शिक्षा विभाग/शिक्षा अधिकारी आदिमजाति कल्याण विभाग/जिला संयोजक/उप संचालक/सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाएगी।
 (2) मण्डल की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि आबंटन के संबंध में मांगे गये प्रस्ताव दो माह समय अंतर्गत प्राप्त न होने की दशा

में ही निजी शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

(3) उपरोक्त कंडिका के अनुसार सहमति प्राप्त न होने की दशा में विकसित आरक्षित भूमि/भवन का विकास किए जाने स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति सम्पत्ति अधिकारी/कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रसारित की जाकर भूमि आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त किए जावेंगे। इस आमंत्रण में ऑफरदाता से दो प्रस्ताव प्राप्त किए जावेंगे। प्रथम प्रस्ताव प्री–क्वालीफिकेशन हेतु तथा द्वितीय प्रस्ताव भूखण्ड मूल्य के प्राप्त किए जावेंगे। उक्त ऑफर में भूखण्ड मूल्य का 15% राशि का डी.डी. अलग से संलग्न देय होगा।

(4) दोनों तरह के प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में स्वीकार किए जावें एवं लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि प्रस्ताव ''प्री–क्वालीफिकेशन हेतु'' एवं ''न्यूनतम मूल्य से ऊपर ऑफर'' हेतु।

(5) जिन शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव प्री–क्वालीफाईड नहीं होंगे भूखण्ड मूल्य के उनके ऑफर (सीलबंद लिफाफे) बगैर खोले संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को संभाग द्वारा वापस किए जावेंगे।

(6) विज्ञप्ति प्रसारित करने के पश्चात् भूखण्ड/भवन के संबंध में यदि विज्ञप्ति में निर्धारित अवधि के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे प्राप्त सभी आवेदन पत्र, सम्पत्ति अधिकारी/कार्यपालन अभियंता द्वारा गृह निर्माण आयुक्त की ओर अपनी अनुशंसा/अभिमत के साथ प्री–क्वालीफिकेशन हेतु भेजेंगे।

(7) प्री–क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा। समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त, को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

(8) मुख्यालय द्वारा प्री–क्वालीफिकेशन की गई शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त भूखण्ड मूल्य/दर के ऑफर संबंधित संभाग द्वारा खोले जावेंगे। संभाग कार्यालय से मुख्यालय में प्राप्त ऑफरों में से उच्चतम ऑफर देने वाली शिक्षण संस्था का उच्चतम ऑफर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाकर निराकृत किया जा सकेगा।

(9) आबंटन के संबंध में गृह निर्माण मण्डल आयुक्त, के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। इसके लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर आबंटन का आदेश देते समय मुख्यतः निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम पर विचार किया जावेगाः–

(1) कलेक्टर, राज्य शासन के शिक्षा विभाग प्रमुख द्वारा संचालित शिक्षण संस्था अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं।

(2) ऐसी प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थाएं/समितियां जो श्रृंखलाक्रम में अनेक शहरों में शिक्षण संस्थाएं चला रही है।

(3) अन्य शासन से शैक्षणिक गतिविधियों हेतु मान्यता शिक्षण संस्थाएं।

5. आवेदन पत्र के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संलग्न किए जाने वाले प्रमुख अभिलेखः—

(1) संस्था रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के कार्यालय में पंजीकत हो तथा आवेदन के साथ पंजीयन अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की गई हो।

(2) शिक्षा विभाग से शैक्षणिक गतिविधियों की मान्यता प्रमाण पत्र।

(3) आवेदन के साथ आवेदक शिक्षण संस्था की उपविधियां, आरक्षित विकसित भूखण्ड प्राप्त किए जाने हेतु गवर्निंग बाडी/कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न की गई हो।

(4) आवेदन के साथ संस्था की वित्तीय स्थिति बाबत् पिछला समाप्त हुआ 3 वर्ष के वित्तीय वर्ष का आडिटेड बैलेंस शीट अभिलेख प्रस्तुत किया गया है।

6. विकसित भूमि का प्रीमियमः—

(1) निजी शिक्षण संस्थाओं को मण्डल की विकसित कॉलोनियों में जो शाला भूखण्ड आबंटित की जावेगी उसका दर निम्नानुसार निर्धारित की जावेगीः—

(अ) आबंटन हेतु प्रस्तावित शाला भूखण्ड के प्रथम 1000 वर्ग मी. का मूल्य उस कॉलोनी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जनता भूखण्ड) हेतु जो प्रचलित दर है, उसका 50% या रू. 300/— प्रति वर्ग मी. जो भी अधिक हो, की दर से मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

(ब) इसके पश्चात् 1001 वर्ग मी. से 5000 वर्ग मी. तक की भूमि के मूल्यांकन की गणना से उसी कॉलोनी में जनता भूखण्ड हेतु जो प्रचलित दर ली जाती है, उसका 25% या 200/— प्रति वर्ग मी. जो भी अधिक हो, की जाकर लिया जाएगा।

(स) उपरोक्त के अतिरिक्त 5001 वर्ग मी. से 20000 वर्ग मी. तक की भूमि का मूल्यांकन उसी कॉलोनी में जनता भूखण्ड की प्रचलित दर का 12.50% या 150/— प्रति वर्ग मी. जो अधिक हो, गणना की जाकर लिया जाएगा।

(द) इस प्रकार सामान्यतः 20000 वर्ग मी. तक की ही भूमि शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आबंटित की जाएगी। यदि इससे अधिक भूमि आबंटित की जाती है तो इस अधिक भूमि का मूल्यांकन उसी कॉलोनी में प्रचलित जनता भूखण्ड की दर से या 600/— प्रति वर्ग मी. जो भी अधिक हो, लिया जाकर वसूला जाएगा।

(2) संस्था को प्रीमियम के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशानुसार वार्षिक भू–भाटक/ग्राऊण्ड रेट/सार्वजनिक क्षेत्रों का संधारण शुल्क जमा करना होगा।

7. भूखण्ड आबंटन की शर्तेंः–

भूखण्ड आबंटन की शर्तें निम्नानुसार होगीः–

(1) शिक्षण संस्था हेतु आबंटित भूखण्ड में संचालित होने वाले शिक्षण संस्थाओं पर शासन द्वारा लागू ''निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार'' अधिनियम 2009 लागू होगा इस अधिनियम में समय–समय पर राज्य शासन द्वारा किए गये संशोधन तथा मण्डल द्वारा जारी निर्देश/निर्णय मान्य होगा।

(2) उपरोक्त बिन्दु क्रं0–1 के अतिरिक्त शिक्षण संस्था जिस कॉलोनी में स्थित है उस कॉलोनी में निवासरत् निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रहवासियों के बच्चों के लिये 10% सीट आरक्षित रखकर प्रवेश निःशुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क भी निःशुल्क होगा।

(3) अति पिछड़ा जनजाति के न्यूनतम 5 बच्चों को प्रत्येक वर्ष प्रवेश निःशुल्क देना होगा एवं इन बच्चों की पढ़ाई–लिखाई भी सम्पूर्ण रूप से निःशुल्क संबंधित स्कूल में चालू अंतिम कक्षा तक उपलब्ध कराना होगा। यदि छात्रावास हो तो उसमें भी निःशुल्क प्रवेश उपलब्ध कराना होगा।

जैसे :– प्रथम वर्ष 2012 में न्यूनतम 5 बच्चे, वर्ष 2013 में न्यूनतम 5 बच्चे, वर्ष 2014 में न्यूनतम 5 बच्चे तद्नुसार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 5 बच्चों को प्रवेश देना होगा।

(4) भूखण्ड का आबंटन संस्था के नाम पर होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के नाम पर नहीं।

(5) भूखण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् शाला भवन/शाला संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

(6) भूखण्ड संस्था द्वारा न किसी को बेचा जावेगा, न किसी भी प्रकार से हस्तांतरित किया जावेगा।

(7) संस्था को भूमि लीज पर दी जाएगी, जिस पर नियमानुसार लीजरेंट लिया जावेगा।

(8) (अ) समिति को आबंटन दिनांक से 6 माह के भीतर शाला भवन के लिये ले–आऊट/ड्राईंग पास कराकर निर्माण प्रारम्भ करना होगा। ऐसा नहीं करने पर 15% राशि काटकर बिना ब्याज के राशि वापस की जावेगी।

(ब) शाला भवन हेतु ले–आऊट पास होने के बाद शाला भवन का निर्माण 1 वर्ष में शुरू करना होगा अन्यथा प्रीमियम राशि का 50% राशि काटकर जमा राशि बगैर ब्याज के वापस की जावेगी।

(स) शाला भवन हेतु 1 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 3 वर्ष के भीतर शाला भवन/इंस्टीट्यूट तैयार कर शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करना होगा।

(द) अधिकतम 1 वर्ष की समयावृद्धि के लिए मण्डल प्रीमियम राशि का 15% तक दण्ड अधिरोपित करते हुए मण्डल अनुमति दे सकेगा लेकिन किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु दी गई कुल अवधि अनुबंध निष्पादन की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगी अन्यथा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात हो जावेगी।

(9) निजी शिक्षण संस्थाओं को भूमि आबंटित किए जाने की अवस्था में, यह सुनिश्चित किए जाने कि शिक्षण संस्था वित्तीय दृष्टिकोण से समक्ष है तथा वह शिक्षण संस्थाओं के लिए ही भूमि प्राप्त कर रही है एवं निर्धारित अवधि में शाला भवन निर्माण हेतु इच्छुक हैं, निम्नानुसार बैंक गारंटी मण्डल में जमा करानी होगी। यह बैंक गारंटी संस्था द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण का 50% अंश करा लेने पर मुक्त की जा सकेगी।

शिक्षण संस्थाएं	राजधानी हेतु	अन्य शहर, जहां नगर निगम कार्यरत है	अन्य शहर जहां नगरपालिका/नगर पंचायत कार्यरत है	अन्य स्थान
उच्च.माध्य.विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/ नर्सरी स्कूल	5 लाख 3 लाख 1.75 लाख	3 लाख 2 लाख 1 लाख	2 लाख 1 लाख 50 हजार	1 लाख 50 हजार 25 हजार

(10) बिन्दु क्रं0–08 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अवधि में निर्माण पूर्ण न किए जाने की अवस्था में भूमि स्वतः ही मण्डल में निहित हो गई मानी जाएगी तथा सम्पूर्ण राशि राजसात हो जावेगी।

(11) समिति के द्वारा आवेदन करने पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु प्रकरण की विशेष परिस्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा समय में उचित वृद्धि किया जा सकेगा लेकिन किसी भी दशा में भवन निर्माण हेतु दी गई कुल अवधि अनुबंध निष्पादन की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(12) आबंटित भूखण्ड का पूर्ण प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात् ही लीज प्रपत्र निष्पादन किया जाएगा।

(13) यदि समिति बन्द अथवा विघटित हो जाती है या किसी अन्य कारणों से स्कूल का संचालन बन्द कर देती है, तो मण्डल द्वारा आबंटित भवन/भूखण्ड अपने कब्जे में ले लिया जावेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।

(14) स्कूल के नामकरण की अनुमति गृह निर्माण मण्डल से लेना होगा।

(15) स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा मैनेजमेंट कमेटी में गृह निर्माण मण्डल के आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होगा।

(16) स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा को एक पटल पर अंकित कर सुलभ स्थान में दर्शित करना होगा।

(17) समिति को उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त मण्डल में प्रचलित नियमों के अनुसार भवन/भूखण्ड का अनुबंध निष्पादन करना होगा।

8. भवन/भूखण्ड आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् गृह निर्माण मण्डल आयुक्त द्वारा लीज निरस्त की जा सकेगी।

9. इन नियमों की किसी कण्डिका की विवेचना आवश्यक होने की अवस्था में मण्डल द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 03/2012 रायपुर, दिनांक 10.01.2012

विषयः— क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु डॉक्टर्स, चिकित्सीय संस्थान एवं चिकित्सा सेवा प्रमोटर को भूमि आबंटन हेतु दिशा निर्देश बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु डॉक्टर्स, चिकित्सीय संस्थान एवं चिकित्सा सेवा प्रमोटर को भूमि आबंटन हेतु परिपत्र क्रमांक 24/2000 दिनांक 14.07.2000 जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु डॉक्टर्स, चिकित्सीय संस्थान एवं चिकित्सा सेवा प्रमोटर को भूमि आबंटन में व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल के 34वाँ सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 की पद संख्या 26 पर पारित संकल्प क्रं.— 943—26/34/12/2011 के अनुसार क्लीनिक/डिस्पेंसरी हेतु डॉक्टर्स, चिकित्सीय संस्थान एवं चिकित्सा सेवा प्रमोटर को भूमि आबंटन के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र को संशोधित कर अनुमोदन किया गया है।

मण्डल से अनुमोदित दिशा—निर्देश 2011 की प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त संशोधित निर्देश मण्डल सम्मिलन में दी गई स्वीकृति के दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 16/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 10/01/2012

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/ कोरबा/अम्बिकापुर/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 07/2012 रायपुर, दिनांक 28.04.2012

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल के संचालक अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु भाड़ाक्रय योजना लागू किये जाने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 27 पर पारित संकल्प क्रमांक 981—27/35/04/2012 में लिये गये निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल के संचालक अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु भाड़ाक्रय योजना लागू किये जाने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रस्ताव पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गयीः—

मण्डल के अध्यक्ष एवं मण्डल संचालक तथा अधिकारी/कर्मचारी को भाड़ाक्रय योजना के माध्यम से बिना लाभ—हानि के बिना किसी रियायत के वास्तविक लागत मूल्य पर देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में छह माह अथवा अधिक से अध्यक्ष एवं मण्डल संचालक एवं स्थायी/प्रतिनियुक्ति पर मण्डल में कार्यरत होने पर ही इस योजना में भवन प्राप्त करने की पात्रता होगी, साथ ही आवास से संबंधित योजना/भवन में मूल्य निर्धारण हेतु जो वास्तविक व्यय भूमि एवं निर्माण लागत पर हुआ है, उस पर परिवर्तन दिनांक तक पूंजीगत ब्याज जोड़कर भवन की लागत निर्धारित किया जावेगा।

उक्त प्रस्ताव मण्डल की समस्त स्व—वित्तीय योजना, राज्य प्रवर्तित योजना अथवा स्टॉफ क्वाटर्स के लिए प्रभावशील होगा। भाड़ाक्रय योजना के अंतर्गत स्टॉफ भवन जिन्होंने पूर्व में लिया है, वे इस योजना में पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में मण्डल द्वारा पूर्व में जारी समस्त परिपत्र/प्रतिबंधन/निर्णय निरस्त होंगे, आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 262/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 28/04/2012

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

हस्ता./—
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 08/2012 रायपुर, दिनांक 30.04.2012

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 की पद संख्या क्रमांक 24 पर पारित संकल्प क्रमांक 978–24/35/04/2012 द्वारा मण्डल के हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित है और किन्हीं विशेष कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही है। दाण्डिक ब्याज में छूट दिनांक 31.07.2012 तक लागू रहेगा।

भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक 01.05.2012 से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगाः–

1. एच.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।
2. एम.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 75% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 60% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।
3. एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 100% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 80% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 60% छूट की पात्रता होगी।

4. व्यवसायिक भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–

(अ) माह मई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।

(ब) माह जून/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।

(स) माह जुलाई/2012 में अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।

निर्धारित तिथि के पश्चात् मण्डल नियमों में प्रावधान अनुसार भवन/ भूखण्ड/ व्यवसायिक भवन/भूखण्ड/स्कूल भवन/भूखण्ड की बकाया राशि की वसूली करेगा।

समस्त हितग्राहियों को सूचित करते हुए कॉलोनी में शिविर आयोजित कर वसूली की कार्यवाही की जावे तथा इस छूट का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 263/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 30/04/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त–I (योजना)/ II,(विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 09 दिनांक 30.04.2012

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 की पद संख्या क्रमांक 28 पर पारित संकल्प क्रमांक 982–28/35/04/2012 में लिये गये निर्णय के परिपालन में मण्डल की योजनाओं में भाड़ाक्रय योजना लागू करने के पूर्व मण्डल के पिछले भाड़ाक्रय योजना के Negative Points का अध्ययन करने एवं बैंकर्स की बैठक लेकर उनसे चर्चा कर, आवश्यकता होने पर मण्डल, बैंक, हितग्राही के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध करने के लिए योग्य सलाहकार की सेवाएं लेकर योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करने हेतु, अन्य कोई निर्णय हेतु आयुक्त, मुख्यालय रायपुर को अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 264/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 30/04/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/ रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 10 दिनांक 01.05.2012

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित भवन से लगी अतिरिक्त भूमि आबंटित करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आदेश क्रमांक 185 दिनांक 13.04.2012 द्वारा मण्डल कॉलोनी में भवनों के साथ भवन से लगी अतिरिक्त भूमि के आबंटन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया थाः–

1. उपायुक्त– II (विकास), मुख्यालय, रायपुर – अध्यक्ष
2. कार्यपालन अभियंता, मुख्यालय, रायपुर – सदस्य
3. संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता – सदस्य
4. सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय रायपुर – सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 23 पर पारित संकल्प क्रमांक 977–23/35/04/2012 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रं. 185 दिनांक 13.04.2012 द्वारा गठित समिति का अनुमोदन करते हुए कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 275/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 01/05/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त(तकनीकी)I, II,III, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग 1/2/3 राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/परि.संभाग जशपुर/रायगढ़/ राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 11 दिनांक 01.05.2012

विषयः– मण्डल द्वारा आबंटित भवन/भूखण्ड के हस्तांतरित होने पर हस्तांतरित शुल्क भारित करने के संबंध में।

मण्डल द्वारा वर्तमान में आवासीय भवन/भूखण्ड के हस्तांतरण होने पर परिपत्रक्रं0–4 दिनांक 28.08.2009 के अनुसार हस्तांतरण/नामांतरण शुल्क लिया जा रहा है। उक्त परिपत्र में आबंटित आवासीय सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त कर विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरांत सम्पत्ति का हस्तांतरण के समय जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड लाईन में उल्लेखित मूल्य के 1% (एक प्रतिशत) की दर से हस्तांतरण शुल्क हस्तांतरण के समय लिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 19 पर पारित संकल्प क्रमांक 973–19/35/04/2012 में लिया गये निर्णय के परिपालन में हस्तांतरण शुल्क जिला पंजीयक द्वारा निर्धारित गाईड लाईन में उल्लेखित मूल्य के 2% (दो प्रतिशत) की दर से भारित किया जाए, शेष शर्तें परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 28.08.2009 में उल्लेखित अनुसार यथावत् रहेगा।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 276/आ.आ./स.प्र./12 रायपुर, दिनांक 01/05/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल परि. संभाग दुर्ग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 12, दिनांक 01.05.2012

विषयः– रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत्।

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक–एफ1–100/2009/32/रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं आदेश क्रमांक–एफ1–100/2009/32/रायपुर दिनांक 13.03.2012 के अनुरूप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत् शर्तों/प्रक्रिया को मण्डल में लागू करने के साथ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागों में कार्यरत कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री–होल्ड अधिकार में समपरिवर्तन करने के लिए नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 को प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 06 पर पारित संकल्प क्रमांक 960–06/35/04/2012 में लिये गये फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत् शर्तों/प्रक्रिया को मण्डल में लागू करने के साथ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागों में कार्यरत कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री–होल्ड अधिकार में समपरिवर्तन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्ड/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने हेतु स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ऐसा कोई भी कार्य या आवश्यक निर्णय लेने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

संलग्नः शासन से प्राप्त आदेश एवं
सहपत्रों की छायाप्रति

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 277/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 01/05/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल परि. संभाग दुर्ग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय,
/ / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 30.12.2011

क्रमांक–एफ 1–100 / 2009 / 32 : राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल हेतु आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तित करने की निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान करता हैः–

(क) राजस्व विभाग द्वारा आदेश दिनांक तक रायपुर विकास प्राधिकारण एवं छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को लीज पर प्रदान की गई भूमि को रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल को पूर्णतः हस्तांतरित कर दी जाये।

(ख) रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल द्वारा आदेश दिनांक तक पट्टे पर आबंटित भूमि एवं भूखण्डों को संपरिवर्तन प्रभार लेते हुए फ्री–होल्ड में परिवर्तन किया जायेगा। यह संपरिवर्तन वैकल्पिक होगा तथा पट्टेधारी द्वारा भूमि / भूखण्ड / आवासीय फ्लैट्स के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं निर्धारित समय–सीमा में निराकरण किया जाए।

(ग) संपरिवर्तन के प्रभार की गणना निम्नानुसार की जायेगीः–

(1) संपरिवर्तन प्रदान करने की तिथि को आवासीय प्रयोजन के प्रचलित बाजार मूल्य का एक प्रतिशत के बराबर राशि तथा नवीनीकरण की आगामी तारीख तक प्रचलित लीज की शेष काल अवधि के लिए भू–भाटक जो 10 वर्षों की काल अवधि तक सीमित रहेगा परन्तु किसी पट्टाधारी द्वारा 30 वर्षों हेतु एकमुश्त भू–भाटक प्रदान किया जा चुका है तो पृथक से भू–भाटक की राशि की गणना नहीं की जावेगी।

(2) 600 वर्गफुट या उससे कम माप वाले आवासीय भूखण्डों / भवनों (निर्मित क्षेत्र) के लिये संपरिवर्तन प्रभार देय नहीं होगा।

(3) शासकीय भूमि के संबंध में संपरिवर्तन प्रभार हेतु गणना के लिए लीज की शेष काल अवधि के लिए प्राप्त भू–भाटक की राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जायेगा।

(4) फ्री–होल्ड करने के आदेश के पश्चात् संपरिवर्तन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर हस्तांतरण अभिलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जावेगा। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन व्यय के भार का वहन पट्टाधारी द्वारा किया जावेगा।

(घ) भू–राजस्व के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा जिसमें नियत किये गये वार्षिक भू–राजस्व के 10 गुने के बराबर एकमुश्त भुगतान करने की व्यवस्था हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता./–
(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव

क्रमांक एफ–1–100/2009/32 रायपुर, दिनांक 30/12/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. सचिव, छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी/वाणिज्यिकर विभाग विभाग
4. आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, रायपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
6. समस्त कलेक्टर छ.ग.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. पंजीयन महानिरीक्षक, रायपुर
9. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय रायपुर
10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय,
/ / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 13.03.2012

क्रमांक–एफ 1–100 / 2009 / 32 : रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं छ. ग.गृह निर्माण मण्डल हेतु आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.12.2011 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं, राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार प्रक्रिया एवं समय सीमा का निर्धारण किया जाता है:–

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने संबंधी प्रक्रिया :–

1.0 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपरिवर्तन – रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल द्वारा फ्री–होल्ड में परिवर्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित करेगा जो निर्धारित संपरिवर्तन प्रभार के भुगतान पर लीज होल्ड अधिकार को फ्री–होल्ड अधिकार में संपरिवर्तित कर सकेगा।

2.0 आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) कोई व्यक्ति जो संपरिवर्तन के लिये पात्र भूमि धारित करता है, परिशिष्ट –एक में प्राधिकृत अधिकारी को संपरिवर्तन के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) संपरिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पर कोई आदेशिका फीस प्रभारित नहीं होगी।

(3) संपरिवर्तन वैकल्पिक है तथा पात्र पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन किया जायेगा।

3.0 आवेदन के निराकरण की प्रक्रिया – आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(1) आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उद्घोषणा जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उद्घोषणा जारी करेगा।

(2) हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी आवेदित संपरिवर्तन मंजूर कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि –

(क) भूमि का पट्टा वैध है,

(ख) पट्टे की शर्तों से संबंधित सभी शोध्यों के भुगतान कर दिये गये हैं,

(ग) पट्टे की शर्तें भंग नहीं हुई है और यदि भंग हुआ है तब यह नियमित कर दिया गया है,

(घ) पट्टे की शर्तें संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध नहीं करती है,

(ड.) आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष ऐसे भूमि के संबंध में कोई प्रकरण लंबित नहीं है,

(3) संपरिवर्तन के आवेदन का यथासम्भव साठ दिवस की कालावधि के भीतर अंतिम रूप से निराकरण किया जायेगा।

4.0 हस्तान्तरण विलेखः– प्राधिकृत अधिकारी कंडिका 3 (ii) के अधीन फ्री–होल्ड अधिकार मंजूर करने के आदेश के पश्चात् संपरिवर्तन प्रभार और अन्य शोध्य, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर निर्धारित प्रारूप में हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 क्रमांक 16 सन् 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा तथा मुद्रांक शुल्क सम्मिलित करते हुए, ऐसे पंजीयन के खर्चे पट्टाधारी द्वारा वहन किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./–
(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव

क्रमांक एफ–1–100/2009/32 रायपुर, दिनांक 13/03/2012

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. सचिव, छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी/वाणिज्यिकर विभाग विभाग
4. आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, रायपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
6. समस्त कलेक्टर छ.ग.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. पंजीयन महानिरीक्षक, रायपुर
9. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय रायपुर
10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट – एक

लीज होल्ड भूमि को फ्री–होल्ड अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन

प्रति,

आवेदक/आवेदकों का स्वयं अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार का छायाप्रति

————————————————

(संपरिवर्तन के लिये प्राधिकृत अधिकारी)

मैं/हम, मेरे/हमारे लीज होल्ड अधिकार को फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन कराना चाहते हैं, मेरे/हमारे ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

(क) प्रथम आवेदक (पट्टाधारी) का नाम

(ख) पिता/पति का नाम

(ग) स्थायी पता

(घ) वर्तमान डाक का पता

(च) दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो

(क) द्वितीय आवेदक (पट्टाधारी) का नाम

(ख) पिता/पति का नाम

(ग) स्थायी पता

(घ) वर्तमान डाक का पता

(च) दूरभाष क्रमांक, यदि हो तो

टिप्पणीः– समस्त पट्टाधारियों के उपरोक्त ब्यौरे प्रस्तुत करे जिसमें से एक संपरिवर्तन के लिये आवेदन कर सकता है, बशर्ते की वह आवेदन करने के लिए किसी अन्य को प्राधिकृत करने हेतु वैध खास मुख्तारनामा प्रस्तुत करें।

4. पट्टे के ब्यौरे –

(एक) पट्टाधारी का नाम

(दो) योजना/सेक्टर क्रमांक

(तीन) भूखण्ड/भवन क्रमांक और या खसरा नंबर

(चार) ग्राम/शहर/नगर

(पांच) भूमि (भूखण्ड)/भवन का क्षेत्रफल

(छ) तहसील और जिला

(सात) वर्तमान वार्षिक भू–भाटक रूपये

(आठ) पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है

(नौ) पट्टा कालावधि से तक

(दस) क्या भुगतान, यदि कोई हो, के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू–भाटक संदत्त किया गया है ?

हाँ	नहीं

5. क्या भूमि का वर्तमान उपयोग वही है जो प्रयोजन पट्टा प्रलेख में उल्लिखित है ?

हाँ	नहीं

6. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है ?

हाँ	नहीं

7. संलग्नकः–

(क) पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

(ग) भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति

अन्य अभिलेखः–

(1) अन्य पट्टाधारी के विशेष (खास) मुख्तारनामा

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का ब्यौरा (यदि कोई हो)

(3)

आवेदक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

/ / आदेश / /

क्रमांक 247,
दिनांक 05.05.2012

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल के संचालक, अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु भाड़ाक्रय योजना मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 27 पर पारित संकल्प क्रमांक 981–27 / 35 / 04 / 2012 से लागू की गई है। मण्डल निर्णय अनुसार परिपत्र क्रमांक–07 दिनांक 28.04.2012 जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए भाटकीय भवनों के आबंटन हेतु समिति का गठन आदेश क्रमांक–217 दिनांक 26 / 04 / 2012 द्वारा निम्नानुसार किया गया है :–

1.	अपर आयुक्त, मुख्यालय रायपुर	–	अध्यक्ष
2.	उपायुक्त–II (विकास), मुख्यालय रायपुर	–	सदस्य
3.	संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता	–	सदस्य
4.	सम्पदा अधिकारी, मुख्यालय रायपुर	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति प्राप्त को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में मण्डल के अध्यक्ष एवं मण्डल संचालक तथा अधिकारियों / कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय में परिवर्तन करने हेतु, मूल्य निर्धारण एवं अंतिम निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 281 / सं.शा. / सं.प्र.शा. / मुख्या. / 2012 रायपुर, दिनांक 05 / 05 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. उपायुक्त I,II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. मुख्य सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी / सम्पत्ति प्रबंधक, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–1, 2 / 3 / 4 रायपुर / राज.परि.संभाग–1 / 2रायपुर / परि.सं.दुर्ग / दुर्ग / राजनांदगांव / बिलासपुर / जगदलपुर / रायगढ़ / कोरबा (छ.ग.)
10. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल ।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

सम्पदा प्रबंधन शाखा

परिपत्र

क्रमांक 14 दिनांक 26.05.2012

विषयः– भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित आवासीय सम्पत्ति की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) वसूली हेतु भारित दाण्डिक ब्याज में छूट देने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 की पद संख्या क्रमांक 24 पर पारित संकल्प क्रमांक 978–24/35/04/2012 द्वारा मण्डल के हितग्राहियों को जिन्हें मण्डल द्वारा भवन/भूखण्ड भाड़ाक्रय पर आबंटित है और किन्हीं विशेष कारणों से परिस्थितिवश मण्डल को किश्त की राशि जमा नहीं करने पर दाण्डिक ब्याज भारित हुआ है, उन हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा समस्त अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर छूट प्रदान की जा रही है। भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित भवन/भूखण्ड की अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा कर दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ दिनांक 01.05.2012 से निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु परिपत्र क्रमांक 08 दिनांक 30.04.2012 जारी किया गया है। इस परिपत्र में उल्लेखित तिथि को निम्नानुसार संशोधित कर बकाया राशि पर भारित दाण्डिक ब्याज में छूट प्रदाय किया जावेः–

1. एच.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 से 15 जून/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह 16 जून/2012 से 31 जुलाई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) माह 1 अगस्त/2012 से 15 सितम्बर 2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।
2. एम.आई.जी. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 से 15 जून/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 75% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह 16 जून/2012 से 31 जुलाई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 60% छूट की पात्रता होगी।
 - (स) माह 1 अगस्त/2012 से 15 सितम्बर 2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।
3. एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–
 - (अ) माह मई/2012 से 15 जून/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 100% छूट की पात्रता होगी।
 - (ब) माह 16 जून/2012 से 31 जुलाई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 80% छूट की पात्रता होगी।

(स) माह 1 अगस्त/2012 से 15 सितम्बर 2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 60% छूट की पात्रता होगी।

4. व्यवसायिक भवन/भूखण्ड के हितग्राहियों के लियेः–

(अ) माह मई/2012 से 15 जून/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 50% छूट की पात्रता होगी।

(ब) माह 16 जून/2012 से 31 जुलाई/2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 40% छूट की पात्रता होगी।

(स) माह 1 अगस्त/2012 से 15 सितम्बर 2012 तक अवशेष राशि (बकाया किश्तें) जमा करने पर दाण्डिक ब्याज 30% छूट की पात्रता होगी।

संभाग कार्यालय में विशेष टीम बनाकर दाण्डिक ब्याज में छूट हेतु अभियान चलाया जाए, कॉलोनी में वसूली शिविर आयोजित की जावे तथा छूट का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 337/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 26/05/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल परि. संभाग दुर्ग.....

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 16 दिनांक 26.07.2012

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत आने वाले विलेखों के पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट देने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की मण्डल के स्व–वित्तीय योजनांतर्गत आने वाली विलखों के पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट देने के संबंध में प्रस्ताव प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 772/आ.आ./मुख्या./2012 रायपुर दिनांक 13.06.2012 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

मण्डल के 36वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 10.07.2012 के पद संख्या क्रमांक 31 पर पारित संकल्प क्रमांक 1017–31/36/07/2012 द्वारा दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत आने वाले विलेखों के पंजीयन मुद्रांक शुल्क में छूट देने की स्वीकृति के संबंध में शासन की ओर प्रेषित् प्रस्ताव क्रमांक 772/आ.आ./मुख्या./2012 रायपुर दिनांक 13.06.2012 रायपुर दिनांक 13.06.2012 से मण्डल अवगत हुआ एवं पुष्टि की गई।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 483/आ.आ./स.शा./12 रायपुर, दिनांक 26/07/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग/परि. संभाग.....
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 17 दिनांक 28.07.2012

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यभारित कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यभारित कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तित कर आबंटन न करने बाबत् मण्डल के परिपत्र क्रं. –45/2001 दिनांक 19.12.2001 जारी किया गया था। इस कारण से कार्यभारित कर्मचारियों को आबंटित भाटकीय भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित नहीं किया जा रहा था।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 36वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 10.07.2012 के पद संख्या क्रमांक–17 पर पारित संकल्प क्रमांक 1003–17/36/07/2012 द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कार्यभारित कर्मचारियों को भाटकीय आधार पर आबंटित भवनों को भाड़ाक्रय आधार पर परिवर्तित कर आबंटन करने के संबंध में अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 489/आ.आ./स.प्र./मुख्या./12 रायपुर, दिनांक 28/07/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सलाहकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल संभाग/परि. संभाग
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल हेतु प्रस्तावित अधिवक्तागण का पेनल एवं देय शुल्क/अन्य प्रभार का विवरण

(दिनांक 01.06.2004 से प्रभावशील)

विभिन्न न्यायालयों हेतु अधिवक्तागण के पेनल निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

(1) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर हेतु पैनल

1. श्री आर.एस. जायसवाल अधिवक्ता, ए 62 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर
2. श्री मनेन्द्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बिलासपुर
3. श्री संजय पटेल, अधिवक्ता, बिलासपुर

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर हेतु पैनलः–

1. श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता, जबलपुर
2. श्री मनेन्दर सिंह भट्टी अधिवक्ता, जबलपुर

(3) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग तथा राज्य औद्योगिक न्यायालय हेतु पेनल।

1. श्री सी.के. भादुड़ी, अधिवक्ता, रायपुर
2. श्री एच.एन. दास अधिवक्ता, रायपुर
3. श्री विनोद कुमार देशमुख अधिवक्ता, रायपुर
4. श्री एस.के. भादुड़ी, अधिवक्ता, रायपुर

(4) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बेन्च बिलासपुर हेतु पेनल।

1. श्री आर. दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता, बिलासपुर
2. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता, बिलासपुर
3. श्री एम.एल. यादव अधिवक्ता, बिलासपुर
4. श्री संजय कुमार पटेल, अधिवक्ता, बिलासपुर

(5) जिला न्यायालय/जिला उपभोक्ता फोरम/राजस्व न्यायालय/श्रम न्यायालय रायपुर हेतु पेनल।

अ. रायपुर

1. श्री सी.के. भादुड़ी अधिवक्ता
2. श्री एस.के. भादुड़ी अधिवक्ता
3. श्री विनोद देशमुख अधिवक्ता
4. श्रीएच.एन. दास अधिवक्ता
5. श्रीमती करूणा तिवारी (केवल जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम रायपुर हेतु)

ब. बिलासपुर

1. श्री आर.दयाल श्रीवास्तव अधिवक्ता
2. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता
3. श्री एम.एल. यादव अधिवक्ता
4. श्री संजय कुमार पटेल, अधिवक्ता

क. रायगढ़

श्री एस.के. नंदे, अधिवक्ता

ख. कोरबा

श्री बी.के. शुक्ला अधिवक्ता

ग. अम्बिकापुर

श्री हरिशंकर त्रिपाठी अधिवक्ता

स. दुर्ग

1. श्री सत्यवान अग्रवाल अधिवक्ता बनियापारा दुर्ग

2. श्री राम पाटणकर, पद्मनाभपुर दुर्ग

3. श्री एन.एम. सारस्वत दुर्ग (केवल श्रम न्यायालय एवं विविध प्रकरणों में अभिमत प्राप्त करने हेतु) अधिवक्तागणों को देय शुल्क एवं विविध व्यय की राशि निम्नानुसार प्रस्तावित की जाती है :–

1. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर/जबलपुरः–

1.	अपील/सिविल रिवीजन/याचिका दायर करने तथा उसका जवाब तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की शुल्क (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 3250/–
2.	प्रकरण में पूर्ण कार्यवाही करने तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण के पश्चात् शुल्क (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 3250/–
3.	अन्य व्यय एवं लिपिकीय चार्जः– (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 650/–
4.	केबिएट आवेदन /एल.पी.ए. कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 3900/–

2. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगः–

1.	मण्डल की ओर से अपील दायर करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं प्रकरण का अंतिम निराकरण कराने तक का शुल्क (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 1950/–
2.	अन्य व्यय एवं लिपिकीय कार्य (प्रति प्रकरण)	निर्धारित शुल्क रू. 400/–

3. जिला न्यायालयः–

1.	सिविल सूट में, मूल दावे का मूल्यांकन रू. 1 से 20000/– तक का शुल्क	निर्धारित शुल्क रू. 1300/–
2.	मूल दावे का मूल्यांकन रू. 20000/– से ऊपर 50000/– तक का शुल्क	निर्धारित दर 2.50 प्रतिशत
3.	मूल दावे का मूल्यांकन रू. 50000/– से ऊपर के प्रकरण में शुल्क	निर्धारित दर 2 प्रतिशत अधिकतम रू. 3200/–
4.	नियमित अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अंतिम निर्णय होने तक कुल शुल्क	निर्धारित दर 1950/– प्रत्येक प्रकरण
5.	अन्य व्यय	निर्धारित दर 250/–

6.	विविध अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने एवं अंतिम निर्णय होने तक कुल शुल्क	निर्धारित दर 1300/–
7.	व्यय	निर्धारित दर 250/–
8.	इजरा प्रकरण (एक्जीब्यूशन)	निर्धारित दर 1300/–
9.	व्यय	निर्धारित दर 150/–

4. जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरमः–

1.	प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने अंतिम निर्णय होने तक कुल शुल्क	निर्धारित दर 1300/– प्रत्येक प्रकरण
2.	व्यय	निर्धारित दर 250/– प्रत्येक प्रकरण

5. औद्योगिक न्यायालयः–

1.	अपील करने तथा अपील का जवाब प्रस्तुत करने एवं अंतिम कार्यवाही एवं निर्णय पश्चात् कुल शुल्क	निर्धारित दर 1950/– प्रत्येक प्रकरण
2.	व्यय	निर्धारित दर 400/– प्रत्येक प्रकरण

6. श्रम न्यायालयः–

1.	वाद तैयार कर प्रस्तुत करने एवं वाद का उत्तर प्रस्तुत करने तथा अंतिम निर्णय होने तक कुल शुल्क	निर्धारित दर 900/– प्रत्येक प्रकरण
2.	अन्य न्यायालय/कार्यालय में मंडल की ओर से कार्यवाही करने का शुल्क	निर्धारित दर अधिकतम रू. 1300/– प्रत्येक प्रकरण
3.	व्यय	निर्धारित दर 250/– प्रत्येक प्रकरण

7. परामर्श संबंधी शुल्कः–

1.	उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जो मण्डल के पेनल में है, उनका परामर्श लेने पर शुल्क	निर्धारित दर रू. 900/– प्रत्येक प्रकरण
2.	उच्च न्यायालय के कनिष्ठ अधिवक्ता जो मण्डल के पेनल में है उनका परामर्श लेने पर शुल्क	निर्धारित दर रू. 650/– प्रत्येक प्रकरण
3.	जिला न्यायालय के अधिवक्ता जो मण्डल के पेनल में है उनका परामर्श लेने पर शुल्क	निर्धारित दर रू. 500/– प्रत्येक प्रकरण

नोटः–

1. सभी न्यायालयों में मण्डल अधिवक्ताओं द्वारा मण्डल की ओर से वाद/अपील तैयार कर न्यायालय में पेश तथा वाद/अपील कर जवाब तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क तथा व्यय की पूरी रकम अग्रिम के रूप में अधिवक्ता को भुगतान किया जा सकेगा तथा शेष शुल्क प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तथा प्रमाणित निर्णय की प्रति एवं उस पर अधिवक्ता का अभिमत तथा सौंपे गए अभिलेख प्राप्त होने पर ही भुगतान होगी।
2. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अधिवक्ता को परिवर्तित किया जाता है तो अधिवक्ता द्वारा वाद/याचिका तैयार कर न्यायालय में पेश कर दिया हो अथवा वाद/अपील/याचिका का जवाब तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया हो तो निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत व्यय की पूर्ण राशि अधिवक्ता को देय होगी, शेष शुल्क दूसरे अधिवक्ता को प्राप्त करने की पात्रता होगी।
3. व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 84 के अंतर्गत प्राप्त सूचना पत्रों का उत्तर मण्डल अधिवक्ताओं से दिलाए जाने पर अधिवक्ता का शुल्क प्रति सूचना पत्र रू. 450/– देय होगा।
4. निश्चित की गई शुल्क शेड्यूल के अनुसार प्रथम प्रकरण में सम्पूर्ण शुल्क एवं व्यय तथा अन्य प्रकरणों में निश्चित शुल्क एवं व्यय का 1/2 हिस्सा अधिवक्ता को भुगतान होगा।
5. यह आदेश दिनांक 01.06.2004 से प्रभावशील होंगे।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 19 दिनांक 30.07.2012

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कॉलोनी में पेट्रोल पम्प हेतु भू–खण्ड आरक्षित करने बाबत्।

मण्डल की प्रस्तावित कॉलोनियों में पेट्रोल एवं डीजल आऊट लेट (पेट्रोल पम्प) हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा मण्डल से अनुरोध करते हुए लेख किया गया है कि वे मण्डल से भूमि लीज पर लेकर मण्डल की Term & Condition में पेट्रोल एवं डीजल आऊट लेट (पेट्रोल पम्प) की सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिसके लिये उचित मूल्य के भुगतान हेतु तैयार है।

मण्डल के 36वां सम्मिलन दिनांक 10.07.2012 के पद संख्या क्रमांक 34 पर पारित संकल्प क्रमांक 1020–34/36/07/2012 के अनुसार इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा मण्डल से समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर दीर्घविचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के कॉलोनी में भूमि उपलब्धता की स्थिति में पेट्रोल एवं डीजल रिटेल आऊट लेट (पेट्रोल पम्प), गैस एजेन्सी हेतु इंडियन ऑयल कार्पोरेशन जैसे शासकीय संस्थाओं से नियमानुसार राशि ली जाकर उन्हें लीज पर/नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराया जावे।

इसी प्रकार भूमि उपलब्धता की स्थिति में मण्डल के प्रस्तावित अटल विहार योजना/अन्य कॉलोनियों में मल्टीप्लेक्स कम शॉपिंग मॉल, संचार सुविधाएं, डाक घर, पुलिस चौकी, विद्युत उपकेन्द्र सांस्कृतिक भवन, कम्युनिटी हॉल, पुस्तकालय, सिनेमा घर, स्वास्थ्य केन्द्र, विशिष्ट चिकित्सालय, नर्सिंग होम तथा रेडक्रास के तहत् जेनेरिक दवाओं के विक्रय एवं अन्य जनहितकारी सुविधा हेतु अभिन्यास में भू–खण्ड का प्रावधान रखा जावे।

उपरोक्त संबंध में विक्रय हेतु सुरक्षित किये गये भू–खण्ड को आबंटन करने हेतु नीति निर्धारण एवं भू–खण्ड का दर निर्धारण करने हेतु अधिकृत करते हुए अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 497A/आ.आ./स.शा./12 रायपुर, दिनांक 30/07/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, संभाग/परि. संभाग
11. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, रायपुर मण्डल कार्यालय, इंडियन ऑयल भवन, राजीव गाधी मार्ग, पोस्ट–रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर पिन नं. –492006 (छ.ग.)।
12. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 21 दिनांक 13.12.2012

विषयः— दोंदेखुर्द रायपुर में स्थित जनता भवन क्रमांक 02, 05, 06 एवं 09 को एकमुश्त आधार पर परिवर्तन कर आबंटन करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 37वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 26.10.2012 की पद संख्या क्रमांक—13 पर पारित संकल्प क्रमांक 1034—13/37/10/2012 दिनांक 26.10.2012 के परिपालन में (संलग्न सूची क्रमांक—01) में दर्शित तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भाटकीय भवन पूर्ण मूल्य आधार पर परिवर्तित कर आबंटन किया जाता है।

उक्त सूची क्रमांक—01 में अंकित सरल क्रमांक—1 से 4 तक कर्मचारियों द्वारा एकमुश्त आधार पर भवन क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं आवेदित भवन भाड़ाक्रय योजना/किराये योजनांतर्गत के अंतर्गत निर्मित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार सूची क्रमांक 1 से 4 में दर्शित कर्मचारियों को निम्न शर्तों पर एकमुश्त आधार पर आबंटित किया जाएः—

1. मण्डल के कर्मचारी की सेवा 5 वर्ष नियमित स्थापना में पूर्ण हो चुकी है।
2. कर्मचारी के निवास करने का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी से प्रमाणित हो तथा कोई विवाद न्यायालीयन प्रकरण लंबित नहीं हो।
3. उक्त कर्मचारियों से नियमानुसार आवेदन/शपथ पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त कर्मचारियों ने बोर्ड से कभी भी भवन/भू—खण्ड क्रय नहीं किया हो।
4. भाटकीय भवनों का मूल्य निर्धारण सम्पदा प्रबंधन शाखा मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रक्रमांक—04 दिनांक 19.01.2007 के अनुसार किया जाए एवं मण्डल द्वारा भवन पर समय—समय पर किया गया समस्त प्रकार का विविध व्यय एवं समस्त प्रकार के शुल्क, टैक्स इत्यादि आबंटन तक मूल्य निर्धारण में आवश्यक रूप से जोड़ा जावे। निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद यदि भवन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त परिवर्तन/परिवर्धन का कार्य या अन्य कार्य किया गया हो उसका भी ब्याज सहित मूल्य आबंटन में जोड़ा जावे।

उपरोक्तानुसार आबंटित भवनों का मूल्य निर्धारण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराने उपरांत आबंटन आदेश जारी किया जाए एवं मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

संलग्न :— सूची।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./—
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 849 / आ.आ. / स.शा. / 12 रायपुर, दिनांक 13 / 12 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त–I(योजना) / II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, संभाग / परि. संभाग
11. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल ।

हस्ता. / –
अपर आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

एकमुश्त आधार पर भवन क्रय हेतु आवेदन

भाटकीय भवन को एकमुश्त क्रय में परिवर्तन बाबत् तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची

क्रं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	पद	मण्डल में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पदस्थापना दिनांक	पद श्रेणी	आबंटित भवन एवं कॉलोनी का नाम	आबंटित भवन का कुर्सी क्षे. वर्गफुट	कर्मचारी को भवन आबंटन पात्रता कुर्सी क्षेत्र वर्गफुट	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री अर्जुन लाल साहू	सहायक	24.09.1986	मुख्यालय रायपुर	तृतीय श्रेणी	जनता–02, दोंदेखुर्द, रायपुर	242.20 वर्गफुट	300 से 400 तक	भाटकीय
2.	श्री गणेश दास मानिकपुरी	सेवानिवृत्त	–	–	चतुर्थ श्रेणी	जनता–05, दोंदेखुर्द, रायपुर	242.20 वर्गफुट	200 से 300 तक	भाटकीय
3.	श्री नकुल प्रसाद साहू	तकनीकी ग्रेड–I	–	प्रयोगशाला	चतुर्थ श्रेणी	जनता–09, दोंदेख**ुर्द, रायपुर**	242.20 वर्गफुट	200 से 300 तक	भाटकीय
4.	श्रीमती कुन्ती बाई साहू पति स्व. बलदाऊ लाल साहू	कुशल श्रमिक	–	–	चतुर्थ श्रेणी	जनता–06, दोंदेखुर्द, रायपुर	242.20 वर्गफुट	200 से 300 तक	भाटकीय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 01 दिनांक 26.03.2013

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की योजनाओं हेतु अर्जित निजी भूमि में लीज पर आबंटित आवासीय भवन/भू–खण्ड को फ्री होल्ड करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 38वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 18.01.2013 की पद संख्या क्रमांक–12 पर मण्डल के आवासीय आबंटियों को लीज पर आबंटित भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तन करने संबंधी पारित संकल्प क्रमांक 1052–12/38/01/2013 को पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रं–एफ 1–100/ 2009/ 32/ रायपुर, दिनांक 30.12.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को शासन द्वारा लीज पर प्रदान की गई भूमि को फ्री–होल्ड में परिवर्तन करने संबंधी आदेश प्रसारित किया गया है (संलग्न परिशिष्ट–'अ') छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा तद्नुसार दिये गये निर्देशानुसार मण्डल के याजनाओं में लीज पर आबंटित आवासीय भवनों/भूखण्डों को फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन करने के संबंध में मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 की पद संख्या क्रमांक 06 पर पारित संकल्प क्रमांक 960–06/35/04/2012 द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिपालन में मण्डल के परिपत्र क्रमांक–12 दिनांक 01.05.2012 (संलग्न परिशिष्ट–'ब') के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के द्वारा शासन से प्राप्त शासकीय भूमि के अतिरिक्त निजी भूमि स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप निजी भूमि स्वामियों से सीधे भूमि क्रय करना प्रावधानित है, परन्तु शासन द्वारा फ्री–होल्ड हेतु जारी निर्देश में निजी भूमियों के संबंध में प्रावधान नहीं है। शासन द्वारा शासकीय भूमि के संबंध में उपरोक्त निर्देश के अनुरूप मण्डल द्वारा निजी भूमि स्वामियों से अधिग्रहित/प्राप्त की गई भूमि पर क्रियान्वित योजनाओं के आवासीय आबंटियों की भूमि को भी फ्री–होल्ड में परिवर्तित किया जाना है।

राज्य शासन के द्वारा शासकीय भूमि को फ्री–होल्ड करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुरूप मण्डल के द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि को फ्री–होल्ड करते समय भूखण्ड के वर्तमान बाजार मूल्य (कलेक्टर गाईड–लाईन) का 1% संपरिवर्तन शुल्क तथा आगामी लीज नवीनीकरण की तिथि तक का प्रचलित दर पर भू–भाटक (अधिकतम 10 वर्ष की अवधि) एकमुश्त जमा कराया जाना है। यह राशि मण्डल के राजस्व में जमा होगी। जिन आबंटियों के द्वारा 11 वर्ष का अग्रिम भू–भाटक (30 वर्ष) जमा कराया जा चुका है उनस भू–भाटक की राशि वसूल नहीं किया जाना है।

मण्डल की योजनाओं में 600 वर्गफुट या उससे कम माप वाले आवासीय भू–खण्डों/भवनों (निर्मित क्षेत्रफल) के लिए सपरिवर्तन प्रभार देय नहीं होगा।

अतः पारित संकल्प अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आदेशित किया जाता हैः–

(1) शासन द्वारा मण्डल को लीज पर आबंटित भूमि पर कार्यान्वित योजनाओं के आवासीय भवनों/भू–खण्डों को फ्री–होल्ड से परिवर्तित करने पर प्राप्त संपरिवर्तन शुल्क तथा भू–भाटक की राशि शासन के राजस्व मद में जमा की जावेगी।

(2) मण्डल द्वारा अर्जित निजी भूमि पर निर्मित भवनों/भूखण्डों को फ्री–होल्ड करने पर प्राप्त संपरिवर्तन शुल्क एवं भू–भाटक की राशि मण्डल के राजस्व खाते में जमा की जावेगी।

(3) मण्डल द्वारा अर्जित निजी भूमि पर निर्मित आवासीय भवनों/भू–खण्डों को फ्री–होल्ड करने पर उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों से रू. 2,000/– तथा मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों से रू. 1000/– प्रोसेसिंग शुल्क मण्डल के खाते में जमा कराया जावे जिससे कि मण्डल द्वारा आयोजित कैम्प, विज्ञापन, प्रचार–प्रसार तथा विविध व्यय की पूर्ति हो सके।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फ्री–होल्ड के संबंध में जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :– परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब''।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
मुख्य सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 165/आ.आ./स.शा./2013 रायपुर, दिनांक 26/03/2013

प्रतिलिपिः–

1. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त–I(योजना)/II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रं.–1/2/3/4 रायपुर, राज.परि. संभाग 1/2 रायपुर/दुर्ग/परि.सं.दुर्ग/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/ जगदलपुर/ राजनांदगांव/अम्बिकापुर/कोण्डागांव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल ।

हस्ता./–
मुख्य सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय,
/ / आदेश / /

रायपुर, दिनांक 30.12.2011

क्रमांक–एफ 1–100 / 2009 / 32 : राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल हेतु आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तित करने की निम्न शर्तों पर अनुमति प्रदान करता हैः–

(क) राजस्व विभाग द्वारा आदेश दिनांक तक रायपुर विकास प्राधिकारण एवं छ.ग. गृह निर्माण मण्डल को लीज पर प्रदान की गई भूमि को रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल को पूर्णतः हस्तांतरित कर दी जाये।

(ख) रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छ.ग.गृह निर्माण मण्डल द्वारा आदेश दिनांक तक पट्टे पर आबंटित भूमि एवं भूखण्डों को संपरिवर्तन प्रभार लेते हुए फ्री–होल्ड में परिवर्तन किया जायेगा। यह संपरिवर्तन वैकल्पिक होगा तथा पट्टेधारी द्वारा भूमि / भूखण्ड / आवासीय फ्लैट्स के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं निर्धारित समय–सीमा में निराकरण किया जाए।

(ग) संपरिवर्तन के प्रभार की गणना निम्नानुसार की जायेगीः–

(1) संपरिवर्तन प्रदान करने की तिथि को आवासीय प्रयोजन के प्रचलित बाजार मूल्य का एक प्रतिशत के बराबर राशि तथा नवीनीकरण की आगामी तारीख तक प्रचलित लीज की शेष काल अवधि के लिए भू–भाटक जो 10 वर्षों की काल अवधि तक सीमित रहेगा परन्तु किसी पट्टाधारी द्वारा 30 वर्षों हेतु एकमुश्त भू–भाटक प्रदान किया जा चुका है तो पृथक से भू–भाटक की राशि की गणना नहीं की जावेगी।

(2) 600 वर्गफुट या उससे कम माप वाले आवासीय भूखण्डों / भवनों (निर्मित क्षेत्र) के लिये संपरिवर्तन प्रभार देय नहीं होगा।

(3) शासकीय भूमि के संबंध में संपरिवर्तन प्रभार हेतु गणना के लिए लीज की शेष काल अवधि के लिए प्राप्त भू–भाटक की राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जायेगा।

(4) फ्री–होल्ड करने के आदेश के पश्चात् संपरिवर्तन प्राप्त होने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर हस्तांतरण अभिलेख निष्पादित किया जायेगा, जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जावेगा। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन व्यय के भार का वहन पट्टाधारी द्वारा किया जावेगा।

(घ) भू–राजस्व के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किया जायेगा जिसमें नियत किये गये वार्षिक भू–राजस्व के 10 गुणे के बराबर एकमुश्त भुगतान करने की व्यवस्था हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता./–
(जी.एल. सांकला)
अवर सचिव

क्रमांक एफ–1–100/2009/32 रायपुर, दिनांक 30/12/2011

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छ.ग. मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3. सचिव, छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी/वाणिज्यिकर विभाग विभाग
4. आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, रायपुर
5. समस्त संभागीय आयुक्त, छ.ग.
6. समस्त कलेक्टर छ.ग.
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. पंजीयन महानिरीक्षक, रायपुर
9. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय रायपुर
10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

हस्ता./–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र

क्रमांक 12, दिनांक 01.05.2012

विषयः– रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत्।

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक–एफ1–100/2009/32/रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं आदेश क्रमांक–एफ1–100/2009/32/रायपुर दिनांक 13.03.2012 के अनुरूप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत् शर्तों/प्रक्रिया को मण्डल में लागू करने के साथ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागों में कार्यरत कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री–होल्ड अधिकार में समपरिवर्तन करने के लिए नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव मण्डल के 35वाँ सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 को प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 35वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.04.2012 के पद संख्या क्रमांक 06 पर पारित संकल्प क्रमांक 960–06/35/04/2012 में लिये गये फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने बाबत् शर्तों/प्रक्रिया को मण्डल में लागू करने के साथ छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के संभागों में कार्यरत कार्यपालन अभियंता/सम्पदा अधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय भवन/भूखण्ड को फ्री–होल्ड अधिकार में समपरिवर्तन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्ड/आवासीय भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तन करने हेतु स्कीम के क्रियान्वयन हेतु ऐसा कोई भी कार्य या आवश्यक निर्णय लेने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

संलग्नः शासन से प्राप्त आदेश एवं
सहपत्रों की छायाप्रति

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्रं. 277 / आ.आ. / स.प्र. / मुख्या. / 12 रायपुर, दिनांक 01 / 05 / 2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त– I (योजना) / II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल परि. संभाग दुर्ग
11. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल ।

हस्ता. / –
आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

सम्पदा प्रबंधन

परिपत्र क्रमांक 02 दिनांक 30.03.2013

विषयः– लीजरेन्ट नवीनीकरण की दर पुनरीक्षित करने बाबत्।

मडल द्वारा आबंटित सम्पत्ति को लीज की अवधि 30 वर्ष पूर्ण होने पर उसके लीज रेन्ट हेतु नवीनीकरण किया जाता है, व लीज रेन्ट नवीनीकरण बाबत् मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक–4463 दिनांक 22.11.1997 जारी किया गया है। इस परिपत्र अनुसार आबंटित सम्पत्ति का लीज नवीनीकरण करने पर सम्पत्ति के अंतर्गत उपलब्ध भू–खण्ड का मूल्यांकन प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार किया जाकर आवासीय भू–खण्ड हेतु आधा प्रतिशत् एवं व्यावसायिक भू–खण्ड हेतु एक प्रतिशत प्रतिवर्ष लीजरेन्ट के रूप में लिया जाता है। इस प्रक्रिया से लीज नवीनीकरण करते समय जो लीज रेन्ट आ रहा है, उसमें अत्यधिक वृद्धि मण्डल द्वारा 6 गुना की जाए, जैसा कि राजस्व परिपत्रपुस्तक में प्रावधान है।

उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर एवं लीज रेन्ट के युक्ति–युक्तकरण हेतु प्रकरण मण्डल के 39वाँ सम्मिलन दिनांक 22.03.2013 एवं पद संख्या क्रं.–28 पर प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरांत पारित संकल्प क्रमांक 1087–28/ 39/03/2013 दिनांक 22.03.2013 अनुसार निर्णय लिया गया है कि 30 वर्ष उपरान्त लीज नवीनीकरण करते समय संबंधित भूमि जिसके अंतर्गत सम्पत्ति आबंटित है उस हेतु कलेक्टर द्वारा पूर्व में जो लीजरेन्ट निर्धारित किया गया है उसमें 6 गुना की वृद्धि की जाए तथा उसमें 10 प्रतिशत मण्डल का पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर संशोधित लीजरेन्ट आबंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अनुरूप लिया जाए। लीज नवीनीकरण करते समय यह भी देखा जाए कि यदि पूर्व में मण्डल द्वारा संबंधित आबंटी से निष्पादित लीज अनुबंध अनुसार जो लीज रेन्ट लिया गया है, वह यदि कलेक्टर को देय लीज रेन्ट की अपेक्षा कम है तो ऐसे कम लिया गया लीज रेन्ट भी व्यतीत अवधि हेतु मय ब्याज के एवं मण्डल के 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण के साथ लिया जाकर मण्डल को हुई क्षति की पूर्ति की जाए एवं मण्डल को कोई हानि न हो।

ऐसे प्रकरण जिसमें 30 वर्ष के उपरान्त लीज नवीनीकरण मण्डल के परिपत्र क्रमांक 4463 दिनांक 22.11.1997 द्वारा किया जा चुका है व संशोधित लीज रेन्ट लिया जा रहा है। उसके अंतर्गत यदि आबंटी पुनः लीज रेन्ट के संशोधन हेतु आवेदन करता है तो उसे भी उपरोक्त लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया का विकल्प दिया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में आबंटी द्वारा जमा की गई लीजरेन्ट की राशि अधिक पाई जाती है तो उसका समायोजन आगे के वर्ष में देय लीजरेन्ट के अंतर्गत किया जा सकेगा।

मण्डल को आबंटित भूमियों का 30 वर्ष की अवधि के उपरांत लीज नवीनीकरण हेतु मण्डल परिपत्र क्रमांक–4463 दिनांक 22.11.1997 में आंशिक संशोधन करते हुए लीज नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्धारित राशि में 6 गुना की वृद्धि की जाए तथा 10% पर्यवेक्षण शुल्क सहित लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता./–
मुख्य सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर

पृ.क्रं. 1607 / आ.आ. / मु.सं.अधि. / 2013 रायपुर, दिनांक 30 / 03 / 2013

प्रतिलिपिः–

1. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
3. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
5. उपायुक्त–I(योजना) / II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. लेखा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर।
9. सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश नस्ती / गार्ड फाईल ।

हस्ता. / –
मुख्य सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर